राजस्थान विधान सभा

पंचम् बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–२१ मार्च, सन् १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८. १७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५

जयपुर से कालवाड़ तक के सड़क निर्माण की प्रगति

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जयपुर से कालावाड़ तक सड़क बनाये जाने के कार्य की प्रगति क्या है और वह कब तक पूरी हो जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—सड़क की प्रोग्रेस निम्नलिखित है :

(१) मिट्टी का काम ४ मीलों में हुआ है, सिलिंग बिछाया ३॥ मील में। मैटल इकट्ठा किया ३॥ मील में सन् १९५९ तक पूरी होने की आशा है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सही है कि उक्त रोड के लिए कोई रोड रोलर अभी तक सप्लाई नहीं किया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—रोड रौलर अब सप्लाई कर दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अब कब तक सप्लाई कर दिया जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपको कह दिया है कि रोड रौलर सप्लाई कर दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह सही है कि यह रोड बारह महीने से योंही पड़ी हुई है और उस पर कोई काम नहीं हुआ है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसमें फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत ८० हजार रुपया रखा गया था जिसमें से अब तक करीब ६० हजार रुपया इसके निर्माण पर खर्च हो गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या अब यह आशा की जाय कि इस पर काम जल्दी ही खत्म हो जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—अगले दो साल के अन्दर ही यह कार्य खत्म हो जायेगा।

प्रश्न संख्या ६

खातीपुरा (जिला जयपुर) से सिरसी तक सड़क निर्माण कार्य

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जिला जयपुर में खातीपुरा से सिरसी तक सड़क बनाने का कार्य कब तक शुरु कर दिया जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—शीघ्र ही।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मैं आपका उत्तर अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—जल्दी के माने क्या मैं यह समझूं कि मार्च तक यह काम खत्म हो जायेगा, क्योंकि यह साल मार्च में ही खत्म हो जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हां इसी साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी ५७-५८ की साल में पूरा हो जायेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—इसमें आपने कोई माह नहीं बताया क्योंकि साल में १२ महीने होते हैं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—उसकी फाइनल सेंक्शन फरवरी में हुई है, अब इस महीने से एक साल के अन्दर तो हो हो जायेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मैं समझता हूं कि काम शुरू हो जायेगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैं आपको कह चुका हूं कि काम एक साल में खत्म हो जायगा और इस सड़क पर काम तो शुरू हो चुका है । कॉन्ट्रेक्टर ने शायद काम शुरू कर दिया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मगर मेरी सूचना है कि इस सड़क पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—सन् ५७ के शुरू में काम शुरू हो गया है । टेन्डर पास हो चुके हैं और ज्यों ही कॉन्ट्रेक्टर का टेन्डर मन्जूर हो जाता है वह काम शुरू करा देता है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि क्या यह काम मार्च तक शुरू हो जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—काम तो शुरू हो चुका है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या अभी तक टेन्डर कॉल नही हुए हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—टेन्डर तो मंजूर भी हो चुके हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—आखिरकार यह टेन्डर किसका है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कॉन्ट्रेक्टर का नाम मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

Page No.4

प्रश्न संख्या ७

चौमू जिला जयपुर से उदयपुर या इटाया इत्यादि तक सड़क बनाने की शासकीय योजना

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार की जिला जयपुर में चौमू से उदयपुर या इटावा, भोपजी, निवाणा, खेजड़ली तक सड़क बनाये जाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक इसका सर्वे वगैरह हुआ या नहीं ? यदि हुआ है तो किधर होकर तथा इस सड़क को बनाये जाने का काम कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह सही है कि यह सड़क एक साइड से न निकाल कर ११ मील के टुकड़े से निकाली जा रही है और वर्तमान में जो रूट है उसको चेन्ज किया जा रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—पहले छः मील के टुकड़े को ठीक करने का विचार था लेकिन उसके खिलाफ कुछ लोगों की दरख्वास्तें आयीं, उन पर कलेक्टर साहब से भी पूछा गया, उन्होंने उस टुकड़े की जांच की और उन्होंने अपनी राय यह जाहिर की कि जो टुकड़ा ११ मील का पड़ता है उससे सड़क निकालना ज्यादा फायदेमन्द है। पहले ६ मील के टुकड़े के लिये १॥ लाख रुपया मन्जूर हुआ था अब इस ११ मील के टुकड़े के लिये २ लाख ६५ हजार रुपये चाहिये उसके लिये रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बनाये गये हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मांगी गई है उसके बाद काम चालू हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—वह सेंक्शन कब तक आ जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जल्दी ही आ जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—तो क्या मैं यह समझूं कि आगामी अप्रेल मास तक काम शुरू हो जायगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसकी फीलिंग ५७-५८ और ५६-६० में हो जायगी।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या ११ मील के टुकड़े को बनाया जायगा या छ: मील के टुकड़े को ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—११ मील के टुकड़े को बनाने की मन्जूरी मांगी है।

प्रश्न संख्या ८

तहसील आमेर में चौमू से सामोद तक की सड़क का जीर्णोद्धार

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील आमेर में चौमू से सामोद तक जो सड़क गई हुई है उसकी मरम्मत किस वर्ष में हुई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार का उसकी मरम्मत कब तक करवाने का विचार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) साधारण मरम्मत सन् १९५६ में।

(ख) सन्तोषजनक नहीं है।

(ग) आशा है सन् १९५९ के मार्च तक पूरा हो जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह बताऊंगा कि उस सड़क में इतने गहरे खड्डे आसपास में हैं कि अगर कोई गाड़ी खड्डे में गिर जाय तो लोगों के जान-मान का नुक्सान हो सकता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह सड़क पहले ठिकाने की थी, सरकार के कब्जे में नहीं आयी थी और ठिकाने ने उस सड़क की मरम्मत नहीं की, पिछले कई सालों से सड़क की दशा सन्तोषजनक नहीं थी, अभी तक भी बाकायदा सड़क ठिकाने के कब्जे से नहीं ली गई है, फिर भी आने वाले दो सालों में उस पर डामर कर दिया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—डामर कर दिया जायगा सो तो ठीक है, लेकिन सड़क के आसपास जो गड्ढे हो रहे हैं जिनसे एक्सीडेन्ट होने का खतरा बना रहता है इस एक्सीडेन्ट की जिम्मेदारी ठिकाने पर होगी या सरकार की होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने आपको अर्ज किया कि इस सडक की मरम्मत साधारण तौर से १९५६ में की गई थी, एक गेंग भी तैनात कर दी गई है और आने वाले दो सालों में डामर करने का भी उस पर प्रोग्राम है।

श्री मानसिंह महार—रोड टैक्स कौन लेता है, सरकार लेती है या ठिकाना चौमू लेता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—रोड टैक्स तो नहीं लिया जाता, वेहिकल्स पर टैक्स लिया जाता है, सड़क पर चलने का नहीं, चाहे किसी भी सड़क पर चले। जैसा कि मैंने अर्ज किया वहां के लिये एक गेंग भी तैनात कर दी गई है, वह उस रोड को ठीक रखने के लिये है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो गेंग काम कर रहा है वह केवल सडक पर ही काम कर रहा है उसके आसपास जो गड्ढे पड़े हुए हैं उसमें मिट्टी नहीं डालते, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि सड़क में जो गड्ढे हैं वे कब तक भरवा दिये जायेंगे ताकि एक्सीडेन्ट न हो और जनता के जान-माल की रक्षा हो सके ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसके लिये साधारण मरम्मत की जो आवश्यकता होगी वह तो की ही जायगी।

धन्यवाद के प्रस्ताव पर श्रीमान् राज्यपाल से प्राप्त सन्देश

श्री अध्यक्ष—I have to inform the Members that I have received the following message from the Governor of Rajasthan:-

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by members of the Assembly for the Address I delivered to them on the 18th March, 1957."

(हर्ष-ध्वनि)

Next

राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (अमेण्डमेण्ट) एक्ट १९५६ के आधीन विज्ञप्ति

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेंट) एक्ट, १९५६ के अन्तर्गत गृह विभाग (ख) विज्ञप्ति संख्या एफ १० (२) ७ होम. बी। ५५, दिनांक २१ जनवरी, १९५७ जिसके द्वारा रेलवेज़ के वेहिकल्स को सड़क के कर से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, Dr. Mangal Singh.

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डा० श्री मंगलसिंह—Mr. Speaker, Sir, I present the Estimates Committee Reports on the following Departments:—

(1) Agriculture Department,

(2) Revenue Department, and

(3) Labour Department.

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पारित)

श्री अध्यक्ष—Yes, Discussion on the motion that the Rajasthan District Boards (Amendment) Bill, 1956 be passed.

श्री भैरूंसिंह (दांता-रामगढ़)—बजट पर डिस्कशन होने के बाद इसको ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ले लिया जाय तो क्या एतराज है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, कल तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट अवेलेबल नहीं था, आज मैं ले आया हूं, उसे माननीय सदस्य देख लें।

श्री अध्यक्ष—कल जब साढ़े बारह बजे हाउस एडजर्न किया था उसके बाद आपस में डिस्कशन होकर तय हो जाना चाहिये था। कल तो म्युचुअल डिस्कशन होकर तय होने की बात नहीं थी।

श्री भैरूंसिंह—कल जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट उपलब्ध नहीं था।

Page No.8

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा से) अब तो आपको केवल जवाब ही देना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस बिल के तृतीय वाचन पर विरोध करते हुए हमारे माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय। उस समय उन्होंने एक गलतफहमी पैदा कर दी थी जिसे मैं समझता हूं साफ करना उचित है। जो इस एक्ट में अमेंडमेंट है एरियर्स के रिलाइज़ेशन के बारे में वह इस प्रकार है कि एरियर्स किस प्रकार वसूल किये जायें। उस समय यह शंका प्रगट की गई थी कि अगर किसी जागीरदार ने किसान से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस वसूल नहीं की तो वह किस तरह से सरकार को देगा ? इससे काश्तकार और जागीरदार के बीच झगड़ा खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की आशंका विरोधी दल के सदस्यों ने जाहिर की थी, उसके लिये मैं सदन का ध्यान जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, १९४७ की धारा-३४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा ३४ इस प्रकार है:—

"The Government shall realise from each State garantee an amount equal to the aggregate of the amount of cess payable to him by his tenants,"

जितनी रकम एक टिनेन्ट से वसूल करने की होती है उसी के बराबर की रकम स्टेट ग्रान्टी से राजस्थान सरकार रिअलाइज़ करेगी, काश्तकारों से वसूल करने न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जागीरदार से रकम रिअलाइज़ करने की है वह तो की ही जानी चाहिये। मान लीजिये किसी जागीरदार से दस रुपये वसूल करते हैं, तो वह तो सरकार रिअलाइज़ करेगी; जो हिस्सा जागीरदार का दस रुपये का है वह तो गवर्नमेंट लेगी ही। धारा ३४ के अनुसार स्टेट ग्रान्टी से जो इक्वल अमाउन्ट लेने का है उसी के लिये यहां प्रोवीज़ो लाया गया है। जागीरदार इससे एग्ज़ेम्प्ट होना चाहे तो वह किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। लगान के जरिये जो रकम जितनी पेइबल थी, उस हिस्से की गवर्नमेन्ट को देनी थी, वह गवर्नमेंट वसूल कर सकती है। यही पॉवर्स इस एक्ट के जरिये लिये जा रहे हैं। जागीरदार को जो रकम देनी चाहिये उसकी जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर है, अगर काश्तकार ने नहीं दी है तो वह खत्म हो गई, उसके हिस्से की रकम तो उसको देनी चाहिये, उससे एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया जायगा। यह जो अमेन्डमेन्ट है वह केवल उसी के लिये लागू होगा, दूसरी ओर रकम वसूल करने के लिये नहीं।

मैं समझता हूं मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय मित्रों को सन्तोष हुआ होगा और वे अब इसको पारित करेंगे।

श्री भैरूं सिंह(१६)--अध्यक्ष महोदय, उचित तो यह होता कि इस एक्ट को हम भी देख लेते और तब तक के लिये इसे पोस्टपोन कर दिया जाता। यह सैकिंड रीडिंग हो रहा है, थर्ड रीडिंग पर हमें इस पर समय लेना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—This is third reading.

Page No.9

श्री भैंरू सिंह—सैकिंड रीडिंग है साहब, इसलिये इसको इस समय पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पोस्टपोन नहीं होगा। आप आपस में बात कर लीजिये। कल का आज पोस्टपोन हुआ। आज फिर आप कल के लिये पोस्टपोन करना चाहते हैं।

श्री भैंरू सिंह—कल के लिये नहीं चाहते, साहब; कुछ देर के लिये आज ही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—तब आप देख लीजिये। क्या टेक्निकल डिफीकल्टी है आपको इसमें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लेन्गवेज़ क्लियर है साहब।

श्री भैंरू सिंह—कल हमें यह एक्ट नहीं मिला था, नहीं तो उसे देखकर ही आते। उसे देख लेना है।

श्री मानसिंह महार—मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इसमें डिफिकल्टी यह है कि जिस वक्त इस कानून को पास किया गया था उस समय सरकार की यह मंशा थी कि कई वर्ष ऐसे आ जावेंगे जैसे फेमीन ईयर वगैरह और क्योंकि इसमें कन्ट्रीब्यूशन सरकार को भी और जागीरदार दोनों को करना पड़ता है, इसलिये यह प्रोविज़न रक्खा था कि जितनी रकम काश्तकारों से वसूल की जावेगी उतनी ही रकम जागीरदार या सरकार द्वारा दी जावेगी, कन्ट्रीब्यूशन के तौर पर। वित्त मन्त्रीजी ने इस पैरा का कल गलत इन्टरप्रीटेशन लगाया था। तब यह सारी कन्ट्रोवर्सी अराइज़ हुई। आज भी जो इन्टरप्रीटेशन कर रहे हैं वह गलत है। यह अर्ज है। इसलिये थोड़ा समय चाहते हैं कि उनको भी समझें।

श्री अध्यक्ष—अब तक क्या कर रहे थे ? बात कर लेते आपस में।

श्री भैंरू सिंह—यह एक्ट नहीं था साहब हमारे पास।

श्री अध्यक्ष—लाइब्रेरी में था, आप देख लेते।

श्री भैंरू सिंह—उस वक्त था नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा से) इसको बाद में रख लें तो फिर ?

You want it to be taken just now or what ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जैसा आप ठीक समझें।

श्री अध्यक्ष—आज का आज ही खतम हो जाना चाहिये फिर। This is third reading and I will put the question. No further discussion I will allow.

श्री भैरूंसिंह—सैकिंड रीडिंग है, माननीय अध्यक्ष। कल क्लॉज़ पर···

श्री अध्यक्ष—हमारी प्रोसीडिंग्स को झूठा मत करिये। This is third reading. I will not allow any discussion. If there are things to be discussed, they can be mutually discussed outside the House.

Yes; Shri H. K. Vyas. General dicussion on Budget,

आय-व्ययक पर सामान्य वाद—विवाद

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, बजट पर बातचीत करते समय कल मैंने उल्लेख किया था इस बात का कि जिन आमदनी के जरियों का अभी निर्णय ही नहीं हो पाया है उन पर भी सम्भावित आमदनी का हिसाब तो लगा लिया गया है। आज मैं जिक्र करूंगा कुछ ऐसी चीजों का कि जहां न मालूम किन कारणों से होने वाली महत्वपूर्ण आमदनी नहीं की जा रही है और मुझे आशा है कि चाहे कितना ही कम इन्टरेस्ट अब वित्त मन्त्री महोदय का क्यों न रह गया हो पर फिर भी काफी महत्वपूर्ण आमदनी के जिन जरियों का मैं उल्लेख करूंगा उन पर वे गौर से विचार करेंगे।

पिछले वर्षों के आंकड़ों अनुसार अदर टैक्सेशन और ड्यूटीज में करीब दो करोड़ तीस लाख की आमदनी का उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष महोदय, और इस अदर टैक्सेशन और ड्यूटीज में राजस्थान में मोटर स्पिरिट पर जो टैक्स लागू है उसका भी अंश शामिल है। मेरी यह मान्यता है और मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार के इस विभाग में और राज्य सरकार के इस विभाग के उच्चाधिकारी जो हैं उन्होंने मिलकर, या गलती से समझ लीजिये, या ना समझी से समझ लीजिये करोड़ों रुपयों का नुकसान राजस्थान राज्य का किया है और जो करोड़ों रुपयों की आमदनी कानून के अन्तर्गत हो जानी चाहिये थी यह आमदनी लेने से लगभग उन्होंने इन्कार किया। आज तो नये आमदनी के साधन हमें ढूंढने पड़ेंगे इस प्रश्न पर बार-बार जोर से उल्लेख होता है। यदि स्कूल के विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने या न बढ़ाने का प्रश्न उपस्थित होता है तो यह कहा जाता है कि सारी की सारी योजना की कामयाबी खटाई में पड़ जावेगी। यदि लगान अथवा सिंचाई की दरें बढ़ाने के प्रश्न आयें तो भी इस बात का हवाला दिया जाता है। पर मुझे ताज्जुब है और पूछना चाहूँगा वित्त मन्त्री महोदय को कि जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है तीन वर्षों तक लगातार बजट पेश करने का कि यह करोड़ों रुपयों की आमदनी जो कानून के अन्तर्गत होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं हुई और इस प्रकार से राजस्थान सरकार को इतना बड़ा भारी जो घाटा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं आपका ध्यान राजस्थान सेल ऑफ मोटर स्पिरिट एण्ड टैक्सेशन एक्ट, १६५४ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस एक्ट के अन्तर्गत सैक्शन २ में मोटर स्पिरिट की परिभाषा की गई है और वह परिभाषा इस प्रकार है:—

"Motor spirit means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) which is ordinarily used for providing reasonably efficient motive power for any form of motor vehicle or for internal combustion engines"

मोटर स्पिरिट की परिभाषा में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन पर राजस्थान सेल ऑफ मोटर स्पिरिट एण्ड टैक्सेशन एक्ट, १६५४, जिसे कि मार्च, २६ को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, उसके अन्तर्गत यह टैक्स लागू होने को था और इसलिये जो राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, १६५४ है उसकी धारा २७ के अनुसार इस बात का उल्लेख भी कर दिया था कि:—

"Nothing in this Act shall affect the operation of the Rajasthan Sale of Motor Spirit Taxation Act, 1954."

राजस्थान में जिन वस्तुओं पर राजस्थान सेल ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन एक्ट, १६५४ के अन्तर्गत टैक्स लगना चाहिये अथवा लग सकता है उनकी शिड्यूल में आइटम नम्बर १२ के अनुसार एग्ज़ेम्पट (exempt) कर दिया गया। आइटम नम्बर १२ इस प्रकार है—

"Motor spirit which is liable to tax under the Rajasthan Sale of Motor Spirit Taxation Act, 1954."

१६५४ से आज तक इन तीन वर्षों में एक विचित्र स्थिति राजस्थान में रही है और वह यह कि पेट्रोल पर तो राजस्थान सेल ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन एक्ट, ५४ के अनुसार चार आना, पांच आना के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा रहा है। और दूसरे हाइड्रोकारबन्स जो हैं, जो पॉवर पैदा करने के लिये इस्तेमाल में लाये जाते हैं—जैसे डीज़ल ऑइल, पॉवर केरोसीन और इस प्रकार के दूसरे हाइड्रोकार्बन्स मानकर राजस्थान सेल्स टैक्स के अन्तर्गत दो पैसे और तीन पैसे के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है। मैं स्वयम् केमिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते माननीय मंत्री जी को यह सूचना दे दूं कि केरोसीन से लेकर डीज़ल ऑइल, पॉवर केरोसीन, ये जितने भी लिक्वेड हैं यहां तक कि वेक्स तक है, ये सब हैड्रोकार्बन्स हैं और इन सब हाइड्रोकार्बन्स में पॉवर पैदा करने की शक्ति होती है और जब ये प्रयोग में आने वाली चीजें होती हैं वे मोटर स्प्रिट गिनी जानी चाहिए; लेकिन पूरे तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने डीज़ल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ऑइल को और इस प्रकार की वस्तुओं को गिना नहीं है और जब राजस्थान के अधिकारियों के ध्यान में यह बात लायी गई तो यह उत्तर दिया गया कि:—

'It was not intended that it should cover disel oil and power Kerosene and such other material,'

यह उत्तर किस बिना पर दिया और इस पर लॉ डिपार्टमेन्ट क्या राय देगा यह मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। क्योंकि जिस कानून को विधान सभा ने पास किया है उस पर क्या मंशा है, क्या राय होगी, उस पर हाई कोर्ट के अलावा कोई राय व्यक्त करने का अधिकारी नहीं है और कम से कम एग्जीक्युटिव अधिकारियों को तो यह हक हासिल नहीं है। यही कह सकते हैं कि विधान सभा ने कानून पास करते समय कौनसी मंशा रखी होगी जब कि जो मंशा थी वह परिभाषा के मातहत साफ है। और हुआ यह है अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का प्रिफोर्स्ड कानून था उस कानून के इन्टरप्रिटेशन के आधार पर काम चलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह नहीं देखा गया कि भारत सरकार द्वारा फोर्स किया गया कानून है उसमें मोटर स्प्रिट की परिभाषा में दो चीजों के अलावा और चीजों का उल्लेख है और वे ऐसी चीजें हैं जो पॉवर पैदा करने के काम में लाई जाती हैं, न० १, दूसरा मिक्स्चर हाइड्रोकारबन होना चाहिए और उसका मिक्स्चर ७६ प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए। तो एक ओर पेट्रोल आदि चीजें हैं और दूसरी ओर केरोसीन अथवा पॉवर केरोसीन अथवा डीज़ल ऑइल ये सब हाइड्रोकारबन्स हैं और उनमें फर्क यह है कि अलग अलग फ्लेश पाइन्ट है। और जो ७६ फ्लेश पॉइन्ट्स के ऊपर जाते हैं उसमें भी भारत सरकार ने परिधि रखी थी। राजस्थान द्वारा पास किये गये कानून में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। यदि ऐसी कोई वस्तु जो हाइड्रोकारबन है और पॉवर जेनेरेट करने के काम में लायी जाती है वह मोटर स्प्रिट गिनी जानी चाहिए। हाइड्रोकारबन तो केरोसीन भी है लेकिन वह पॉवर पैदा करने के काम में नहीं लाया जाता लेकिन डिज़ल ऑइल ऐसी चीज़ है जिसका फ्लेश पॉइन्ट काफी ज्यादा होता है, वह बहुत उपयोगी है और वह पॉवर जेनेरेट करने के काम में लाया जाता है। आज बड़े बड़े डीज़ल ऑइल के ट्रक्स चलते हैं उन पर सेन्ट्रल एक्साइज़ ड्यूटि भी कम है और जहां पांच आना वसूल किया जाना चाहिए वहां राजस्थान राज्य के अधिकारी सेल्स टैक्स के अन्तर्गत उनसे दो पैसा, तीन पैसा ही वसूल करते हैं। अगर वह मोटर स्पिरिट नहीं है तो सेल्स टैक्स के अन्तर्गत आवेगा लेकिन मोटर स्प्रिट होने पर भी उसकी सेल्स टैक्स के अन्तर्गत लेने से, चाहे ना समझी हो, चाहे और कोई कारण हो, लेकिन पिछले तीन वर्षों में करोड़ों रुपयों का नुकसान राज्य की आमदनी का हुआ है। अनजाने में होता तो ऐसा समझा जाता कि गलती हुई, लेकिन पिछले १॥ वर्ष से, पहले मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सारी की सारी परिभाषा और प्रोविजन्स बदलने की नीयत से अलग अलग राज्यों में क्या परिभाषायें हैं और यहां तक कि इंगलैंड में क्या मोटर स्प्रिट की परिभाषा है और जो मन्त्री जी की जानकारी में भी हो सकता है राज-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्थान सरकार के पास युनाइटेड किंगडम की परिभाषा मौजूद है जहां डीज़ल ऑइल और ऑइल आदि की माइनर परिभाषा का जो जिक्र है वह यहां है। क्योंकि जहां वित्त मंत्री यह कह रहे थे कि १.८०. लाख का जिम्मा लिया और वह जिम्मा पूरा नहीं करेंगे तो योजना नाकामयाब। ठीक है। लेकिन ताज्जुब यह होता है कि योजना पूरी करने के बारे में दिल और जान लगाना है तो सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि तीन साल से डीज़ल ऑइल जैसी वस्तु जिससे करोड़ों की आमदनी हो सकती थी और सूचना के लिए यह भी बतादूं कि पॉवर केरोसीन पर सेल्स टैक्स लिया जाता है और विक्टर आदि के लिए यूज़ किया है उसके लिए परमिट दिया जाता है और यह पूरी जानकारी न रखने के कारण हैं और जो उच्चाधिकारी हैं, इससे सम्बन्धित हैं, मन्त्री महोदय खुद हैं क्यों उन्होंने ऐसा रुख लिया ? क्या सार्वजनिक नीति से लिया ? अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक नीति भी इसमें नहीं है, आम लोगों का हित भी इसमें नहीं है; हित है तो उनका, बड़े बड़े उद्योगपति समझ लीजिये, या ऑपरेटर समझ लीजिये जो ट्रक और बसों के जरिये आमदनी करते हैं।

एक बात का उल्लेख किया और इस तरह से एक दो चीजों का उल्लेख और कर दूं। जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिया है उसमें राज्य सरकार ने कुछ खर्चा समझ लीजिये या आमदनी कम हो गई ऐसा समझ लीजिये, उसका उल्लेख किया है। और वह उल्लेख किस प्रकार है जो मुझे ऐसा लगता है कि वस्तु-स्थिति को छिपाने जैसी हालत उसमें पैदा की गई है। यह कहा गया है अध्यक्ष महोदय, प्रिवीपर्स और अलाउन्सेज़ टु दी रूलर्स यहां कहा गया है कि:—

"The government of India have sanctioned continuance of payment of charity allowance for 5 years to the present Maharana of Udaipur at a reduced rate of Rs. 2 lakhs against Rs. 5 lakhs."

मेरी समझ में नहीं आया कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने सैन्क्शन राजस्थान सरकार के निर्णय करने के बाद में दी है या गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने ही तय करके आदेश भेजा। जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान सरकार ने ही यह निर्णय किया था कि २ लाख चेरीटी अलाउन्स उदयपुर के महाराणा को दिया जाय और राज्य सरकार के इस निर्णय पर शायद संभव है भारत सरकार ने यह मन्जूरी दी। यह गलत सैद्धान्तिक चीज़ है। सन् ४६ में कोई कहता कि विचित्र चीज़ थी, अन्देशा था कि गड़बड़ी हो जायगी, न मालूम ये राजा पाकिस्तान से जाकर मेल जोल करलें और न मालूम दंगा फिसाद हो जाय इस कारण या किसी कारण से प्रलोभन देकर इन्टीग्रेशन करवाना था, दस्तखत करवाने थे। सन् ४९ में एक राय हो सकती थी लेकिन संभव है कुछ कल्पना करनी जैसी बात होगी २० लाख देकर कम से कम भारत का एकीकरण तो होगा। अलग अलग राजा थे लेकिन सोचने का आधार था। आज सन् ५६-५७ में कोई इस प्रकार का स्वप्न देखने की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोशिश करें ऐसी हालत नहीं आयेगी। ये रास्ते चलते दो लाख रुपया गलत आधार पर खर्च करना यह भी राज्य के साधनों के साथ खिलवाड़ नजर आता है। और उसके साथ दूसरे उल्लेख हैं। एक वह है जो सदन के सामने आई है उसके बारे में चन्द शब्द निवेदन करूंगा।

इसी पैराग्राफ में बाद में कहा है;

"As a result of final decision taken of free supply of electricity and water to the Maharajas of Bikanar 1 lac, Jaipur 1. 44 lacs and Jodhpur 1 lac, provision to the extent of 3. 44 lacs is required to be made on this account under this head."

राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया कि प्रिवी पर्स का १० पर्सेंट तक अगर खर्चा बिजली का इन राजघरानों के अन्दर हो तो उनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जायगा। और यह आंकडे मैंने वह दिये हैं जो आंकडे सदन के सामने हैं। मैंने हिसाब रखने की कोशिश की है। ६ आने युनिट का जो भाव है उस ६ आने युनिट के भाव से कितने किलोवाट पॉवर को एक घन्टे के लिये प्रयोग में लाने की गुंजायश रखी गई है, और उन किलोवाट पॉवर की वजह से कितने प्वाइन्ट्स की गुंजायश रखी गई है, तो ५ घन्टे औसतन रोज़ यदि १०० किलोवाट पॉवर का बल्ब जले तो २॥ हजार बल्ब का औसत रखा गया है। ५ घन्टे का औसत कहीं होता नहीं है। १०० किलोवाट्स के बल्बस् कहीं जलते नहीं हैं। यदि सामान्य आदमी के स्तर पर गिना जाय यानी ३० किलोवाट पॉवर का और १० प्वॉइन्ट का एवरेज लें और उसका और ढ़ाई घन्टे का एवरेज कन्जम्प्शन मानें तो १५००० आदमियों के, सामान्य आदमियों का मैंने हिसाब रखा। राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये विधान सभा के सदस्यों के जो क्वार्टर्स हैं इनमें कितने प्वॉइन्टस हैं उन प्वॉइन्टस के एवरेज को लेकर उस हिसाब से १५०० फेमिलीज़ के कन्जम्प्शन के मुताबिक उसके बराबर का प्रोवीज़न इस एक घराने के लिये किया गया है। कल माननीय मुख्य मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं, और वित्त मन्त्री महोदय ने तो अपने भाषण में भी कहा कि हम समाजवाद की ओर निश्चित तौर से अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा मैं (वित्त मंत्री) कहे बिना नहीं रह सकता मैंने एक नमूना समाजवाद की ओर अग्रसर होने के जो प्रयत्न हो रहे हैं उसका दिया। अभी अभी राजस्थान सरकार ने डिसीजन यह लिया है, छोटे अहलकारों की बात जाने दीजिये, राजस्थान सरकार ने खुद क्वार्टर बनाकर प्रोवीज़न किया है। विधान सभा के सदस्य के स्तर को सामान्य व्यक्ति का स्तर माना जाय। उस स्तर में और सामान्य व्यक्ति को छोड़कर बीच के एक परिवार को लें तो १५०० फेमिलीज़ होती हैं। इतना फर्क इस निर्णय के अनुसार किया है। यदि वह समाजवाद है तो बड़ा खेद इस लिए होता हैं, अध्यक्ष महोदय, कि किशनगढ़ बिजली घर में काम करने वाले मज़दूरों को किशनगढ़ रियासत के समय में फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कायदा था और उसके बाद राजस्थान सरकार हुई। समाजवाद की कल्पना को लेकर चलने वाले, समाजवाद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की दुहाई देने वाले मित्रों द्वारा जो कार्य किये जारहे हैं वह इस प्रकार के समाजवाद के आधारभूत अंग हैं। किशनगढ़ के मजदूरों को जिनको पुराने जमाने में फ्री बिजली मिलती थी, ४५) रु० और ५५) रु० पाने वाले गरीब आदमी को जिसको कि किशनगढ़ सरकार ने कहा था कि तू बिजलीघर में काम करता है तो जैसे कि रेलवे में काम करने वालों को रेलवे फ्री पास दिया जाता है उसी प्रकार तुझे भी बिजली दी जायगी, उसे राजस्थान सरकार ने कहा कि फ्री बिजली नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे फाइनेन्स की हैंडबुक में कहीं नहीं आता है। और कुछ चन्द व्यक्ति जिन्होंने राज्य किया और राज्य के साधनों का उपयोग किया अथवा दुरुपयोग किया लेकिन एकांगी रूप से उपयोग किया। पुराने जमाने में उन्हीं का राज्य था इसलिए उन्हें मुफ्त बिजली मिलती थी या मुफ्त पानी मिलता था, आज वही राजस्थान सरकार समाजवाद की कल्पना करने वाले हमारे मित्र, उन्हें एक परिवार के बराबर नहीं लेकिन १५०० परिवारों के बराबर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देती है और किशनगढ़ के मजदूरों से कहना चाहती है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। यदि पुराने वायदों का प्रश्न है, पुराने जमाने में जो सुविधायें दी गई हैं उनको कायम रखने का प्रश्न है, अगर राजस्थान सरकार ने यह कल्पना की हो कि जो कुछ पुरानी सरकार ने तय कर दिया है उसको वे बदलेंगे नहीं तो वे क्यों किशनगढ़ के मजदूरों के सिलसिले में बदलते हैं और पुराने जमाने के राजा-महाराजाओं के लिए नहीं बदलते हैं और कायम रहते हैं? यदि यही समाजवाद की कल्पना है तो हम कठिनाई में पड़ेंगे। ऐसी कठिनाई से दूर निकलें यही सबके लिये श्रेयकर है।

गंगानगर शुगर फेक्ट्री की आमदनी का उल्लेख नहीं किया गया है, अध्यक्ष महोदय। उसको क्यों नहीं किया गया है इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। अब सरकार की लीज खत्म हो गई। यह बात ठीक है, लेकिन सरकार ने मेनेजिंग एजेन्सी लेली, मेनेजिंग एजेन्सी के अधिकार कीमत देकर खरीद लिये। १६ लाख रुपये राजस्थान सरकार के खुद उसमें इन्वेस्ट थे। वे चाहें डिबेन्चर्स के रूप में हों, चाहे शेयर्स के रूप में हों। १२ लाख ४० हजार के शेयर्स का जो अधिकार मेनेजिंग एजेन्सी खरीदने के जरिये राजस्थान सरकार को मिल गया जिसमें ५ लाख नगदी दिये और बाकी दिये या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मान लिया जाय कि वह मामला खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी लगभग वही स्थिति है। गंगानगर शुगर फेक्ट्री की मालिक राजस्थान सरकार है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब उस फेक्ट्री के शेयर होल्डर्स राजस्थान सरकार है और मेनेजिंग एजेन्सी भी राजस्थान सरकार के हाथ में। अब इस कारखाने से मेनेजिंग एजेन्सी का जो कमीशन होगा वह सीधे राज्य में क्रेडिट होगा। डिबेन्चर्स के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वह भी आयेगा। अगर डिविडेन्ड डिक्लेयर किया तो पुराने प्रिफरेन्स शेयर्स पर पका पकाया जो डिविडेन्ड है क्युमुलेटिव शेयर्स पर वह भी आयेगा। यदि रिजर्व बने डेप्रिसियेशन वगैरह यह भी हमारी पूंजी पर बिल्ट होने वाला है। रिजर्व होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बजट ऐसा बनाया गया है कि ३.४४ लाख की बिजली फ्री सप्लाई की जायगी। इसका प्रोवीजन यहां तो कर दिया, लेकिन बिजलीघर से रिसीट को एन्ट्रीज् रिसीट्स फ्रॉम इलेक्ट्रीसिटी स्कीम्स के अन्दर प्रोवीज़न है वहां उसका उल्लेखमात्र भी नहीं है।

इस प्रकार से दोनों ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है और न संभावित आमदनी के जरियों की ओर खबरदारी बरती गई है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई है। जो ४ करोड़ ४२ लाख की कमी हमारे सामने है उसको पूरा करने की कोई बड़ी भारी नई योजना नहीं है।

चलते चलते एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक समझता हूँ। जहां आमदनी की एक संभावित मद है वहां पर स्थिति इस प्रकार है कि राजस्थान की जो भू-गर्भ संपत्ति है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना सारे राजस्थान की उन्नति के लिए आवश्यक है और अभी सर्वे किया गया है कॉपर के लिए, जिंक के लिए, पेट्रोलियम के लिए और दूसरी चीजों के लिये। आइरन और बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान से बाहर जाने लगा है। कुछ स्थिति गोआ की स्थिति के कारण भी है। इससे संभव है माइनिंग विभाग की आमदनी बढ़ी होगी। लेकिन मैंने देखा कि सन् १९५१ में जो ४४ लाख की आमदनी थी वह आज ४९ लाख रखी गई है। ५ साल में ५ लाख रुपयों की बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी जो विशाल संपत्ति है जिसको प्रयोग में लाए बगैर राजस्थान की उन्नति, न साधन में हो सकती है और न रोजगार में हो सकती है, न उसके बिना लोगों को आमदनी का जरिया मिल सकता है, उस विशाल आमदनी के मद की गाड़ी ४४ लाख से बढ़ कर ४९ लाख पर अटकी हुई है। सारांश यह है कि जो बजट पेश किया गया है वह जल्दी जल्दी में रस्म-अदाई के तौर पर पेश किया गया है और नयी आमदनी क्या हो सकती है उसका उल्लेख ही नहीं है। केवल यही नहीं बल्कि जो आमदनी का जरिया है उसके लिए भी स्पष्ट नीति नहीं बरती जा रही है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष का यह बजट है। लेकिन इस दूसरी पंच वर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में भी राजस्थान के आम लोगों के सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं इसका कोई उल्लेख यहां नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश कर देना चाहता हूं। अभी ८ महीनों पहले अखबारों में खबर आई थी और इस विधान सभा में भी इसका उल्लेख आया था कि सूरतगढ़ में ३० हजार एकड़ का एक फार्म खोला गया है, जिसके लिये सोवियत यूनियन से मशीनरी और टेक्निकल सहायता प्रदान हुई थी। मान लीजिये कि ३० हजार एकड़ का फार्म खोला गया है और यह भी मान लीजिये कि इस साल यह पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल तो हो ही जायगा। यहाँ पर अच्छे से अच्छे बीज का उपयोग किया जायगा, अनुसंधान कार्य भी किया

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जायगा यहां पर पानी की नहर भी है और जमीन भी उपजाऊ है। यहां पर ट्रेक्टर, हारवेस्टर, पोवर प्लान्ट और जेनेरेटिंग प्लान्ट की सुविधा भी मिली है, तो क्या यह सब होते हुए भी वहां से आमदनी नहीं होगी ? लेकिन इस बजट में इतने बड़े फार्म का कतई उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बड़ी आमदनी के जरिये हैं और बड़ी आमदनी के जरियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था लेकिन इसकी कल्पना इस बजट में नहीं है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि रस्म-अदाई के तौर पर यह बजट पेश किया गया है।

अब अन्त में मैं एक बात और कह दूं। स्टेट ट्रेडिंग स्कीम का उल्लेख बार बार होता है। इस उल्लेख के बजाय स्टेट पर्चेजिंग स्कीम की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, हालांकि यह आमदनी का जरिया नहीं है, खर्चे का जरिया है, लेकिन वर्षानुवर्ष ऐसा पाया जाता है या देखा जाता है कि राज्य सरकार के पास आये हुए साधन को खर्च करने के लिये होड़ लगी हुई है, उतावलापन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति का पता नहीं है लेकिन इस वर्ष में यह बात पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। पिछले वर्ष सितम्बर महीने में राजस्थान शिक्षा विभाग ने पुस्तकें खरीदने के लिये एक टेन्डर नोटिस शाया किया था, "Government of Rajasthan, Education Department, Tender notice for purchase of books". इसकी लम्बी चौड़ी तफसील पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल यह कहा था "Text books, English, Hindi, prescribed by the Departmental Board,......General English, Hindi, Sanskrit books, reference books, foreign publications". इनके बारे में कितना डिस्काउन्ट आप देंगे ऐसा लिखकर भेजें, टेन्डर भेजें। कितनी किताबें खरीदी जावेंगी, कौनसी किताबें खरीदी जायेंगी, किस लेखक की खरीदी जायंगी और कौनसे एडिशन की खरीदी जायेंगी आदि, किसीभी बात का उसमें संकेत नहीं था। किताबें खरीदनी हैं, आम तौर पर खरीदनी हैं इसलिये टेन्डर दे दें। बुकसेलर्स को यह पता नहीं था कि ओर्डर कितने का होगा, इसलिये उसी तरह का टेन्डर दिया जैसे १००० की पुस्तकें खरीदने पर यह डिस्काउन्ट और २००० या ५००० की पुस्तकें खरीदने पर यह डिस्काउन्ट और इससे अधिक का ओर्डर होगा तो इतना डिस्काउन्ट दिया जायगा। किसी ने किस हिसाब से और किसी ने किस हिसाब से टेन्डर दिया। नतीजा यह हुआ, लुब्बेलुबाब कि एक फर्म को सारे राजस्थान के लिये किताबों को ओर्डर २५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर दे दिया गया और मैं अर्ज करूंगा अध्यक्ष महोदय, और आपके जरिये यह जानकारी के लिए कह दूं कि यह वही फर्म है जिसने पिछले वर्ष भारत सरकार के पब्लिकेशन्स राजस्थान सरकार को दिये थे १० पर्सेन्ट पर, १७ परसेन्ट पर और २३ परसेन्ट पर। खैर यह तो हुई टेन्डर की बात। मैं उसके बाद की बात बताता हूँ। जब ओर्डर दिया तो वे किताबें किस रूप में आई या किस रूप में सप्लाई हुई हैं उसका सारा ब्योरा मेरा ख्याल है एक दिलचस्प कहानी का रूप ले सकता है। मैं अर्ज कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि इसका विवरण और ब्योरा एक दिलचस्प कहानी है। स्वर्गीय प्रेमचन्दजी के नाम से हिन्दी साहित्य को पढ़नेवाला कोई भी व्यक्ति परिचित होगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उन्होंने एक पुस्तक लिखी है 'दो बहनें' जिसकी कीमत है एक रुपया तीन आना। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के ऑर्डर इस पुस्तक के लिये आये। एक दूसरे और लेखक हैं जिन्होंने भी 'दो बहिनें' नाम की पुस्तक लिखी है। प्रेमचन्दजी की पुस्तक के बजाय उनकी पुस्तक सप्लाई हो गई। श्री जयशंकर प्रसादजी द्वारा लिखी गई 'कामायनी' पुस्तक के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया। एक दूसरे लेखक ने 'कामायनी' पर नोट्स लिखे हैं वे नोट्स 'कामायनी' के बजाय सप्लाई हो गये। मैं सूचना दे दूं वित्त मन्त्रीजी को और उनके जरिये शिक्षा विभाग के इन्चार्ज मुख्य मन्त्रीजी को कि चाहे सोशियल एज्युकेशन विभाग के अफसर हों, चाहे इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हों, उन्होंने जितने ऑर्डर दिये हैं उनको आज भी आप अपने पास ले लें। आज, टुडे (To-day) जो किताबें सप्लाई की हैं और उनके पेमेन्ट बने हैं जिनमें से कुछ पास भी हो गये हैं, उन सब कागजात को आप अपने पास ले लें। आप पायेंगे कि ७५ परसेन्ट ऑर्डर जुदा है और सप्लाई जुदा है। यह भी सही है, मैं बतला दूं कि ऑर्डर जहां से नहीं आया था उनसे कहा जाता है कि यह गोदाम पड़ा है इसमें जितनी किताबें हैं वे आप ले सकते हैं। नई किताबें देने की स्थिति है नहीं और आपका बजट लेप्स हो जायगा, इसलिये किताबें लेनी हैं तो अभी अभी लेलें क्योंकि ३१ मार्च के बाद बजट समाप्त हो जायगा। इस तरह से जितनी किताबें खरीदी गई उनमें से ९० प्रतिशत ऐसी हैं जो प्रमुख लेखकों की किताबें नहीं हैं। अब और प्रयत्न करके ३-४ प्रमुख लेखकों की किताबें खरीदी जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सोशियल एज्युकेशन ऑफिसर ने ऑर्डर प्लेस किया है वह ऑर्डर अभी तक सप्लाई नहीं हुआ और मेरी यह धारणा है कि आज २१ मार्च है और अभी १० दिन बाकी हैं लेकिन इस विभाग का ऑर्डर सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वे ऑर्डर बदलने को राजी नहीं होंगे और टेन्डर देनेवाला किताबें देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि २५ परसेन्ट डिस्काउन्ट तय हुआ है लेकिन २५ के बजाय ३५-४० परसेन्ट लेकर भी सप्लाई नहीं कर सकता। अब यह क्यों हो पाया, क्या किसी ने यह देखा है? जो किताबें सप्लाई की गई, उनकी कन्डीशन्स क्या है, क्या किसी ने यह देखा है? जो ऑर्डर दिये गये वे लाइब्रेरी एडीशन के लिए दिये गये या सामान्य एडीशन के लिए दिये गये, कौनसी सप्लाई हुई है, अगर इसकी जानकारी की जाय तो जैसे कोई पुराण लिखना हो, ऐसा पुराण निकलेगा। मैं इतनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ। अगर मन्त्री महोदय या कोई भी चाहें तो यहां विधान सभा के सत्र के खत्म होने के तुरन्त बाद हम चलें और जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये रिकॉर्ड के आधार पर कही हैं, यह बात वहां पर साबित न हो जाय तो कम से कम अपनी तसल्ली तो वे कर लें कि किस स्थिति में आज विभाग है या नहीं। आज यह हो रहा है और होता जायगा। हर वर्ष अगर ऐसा होगा तो यह काम कैसे चलेगा? कौनसी किताबें चाहिए इसका पता नहीं, लेखक कौन है इसका पता नहीं। कौन प्रकाशक है, इसका पता नहीं, अलग अलग पुस्तकों के अलग अलग प्रकाशक होते हैं, अलग अलग बाइन्डिंग होती है, अलग अलग प्रिन्टिंग होती है, और कीमतें भी अलग अलग होती हैं। प्रकाशकों के अलग अलग एडीशन होते हैं। मैं निश्चित तौर पर बता दूं कि स्टेन्डर्ड किताबों के छः छः

Page No.19

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एडीशन जहां निकल चुके हैं, उनमें से फर्स्ट एडीशन सप्लाई किया जाय, जिसे बाजार में कोई खरीदता नहीं है, उसकी हालत यह है कि जैसे बरसात के अन्दर एक सेट भीगने के कारण, उसके ऊपर लाल, पीले, नीले नक्शे बने हुए हों। उन किताबों के बोरे के बोरे लिये जा रहे हैं जैसे किसी रद्दी चीज के बोरे बांध कर लिये जा रहे हों या बाजार से खरीदी हुई मामूली इस्तेमाल की चीजें हों। तो यह स्थिति आज है। ऐसी स्थिति का मैंने आपके सामने विशेष उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति अमूमन आज हर खर्चे के सिलसिले में आती है। जो आमदनी हो रही है, उसमें से दूसरी और आवश्यकताओं के अनुसार प्रावीजन न करने की स्थिति और जो कुछ है, उसको इस ढंग से खर्च करने की स्थिति आज इस प्रकार को है। आज हमारे शासन की यह हालत है। ऐसी ही चर्चा इस बजट में प्रस्तुत है, जिसे किसी भी हालत में संतोष का विषय नहीं माना जा सकता। मैं कहूँगा कि इस बजट से यदि पैसा भर संतोष हुआ तो इस बात पर कि मामूली और १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों को पांच रुपये मिले, पांच रुपये मिले इसका संतोष इसलिये हुआ कि उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह मिल गया, यह बहुत है। वैसे तो यह आवश्यकता के मुकाबले में बहुत कम है लेकिन कम से कम एक बड़ा काम हुआ। वैसे अगर बहुत से कितने ही आन्दोलन करते, कहना सुनना करते, वह भी नहीं मिलते। "A bird in hand is better than two in a bush", लेकिन जो पांच रुपये मिले, उनका भी जल्दी भुगतान हो जाय, तब सार्थक होंगे। अभी तक पुराने इन्क्रीमेन्ट का भी भुगतान नहीं हुआ है। जो कुछ भी उनके लिए मंजूर किया गया, वह अपर्याप्त है बहुत कम है। इसके अलावा तो यह बजट एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो कि परम्परागत है और जिसका परम्परा के अनुसार बार बार उल्लेख होता है। ये चीजें परम्परागत जमाने से चलती आ रही हैं, वैसी ही चलती आरही हैं।

मैं आशा करता हूँ कि जो दो-तीन बातों का मैंने जिक्र किया इन सब पर कुछ छोटा-मोटा जवाब देने की कोशिश मन्त्री महोदय करेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो यह काम-चलाऊ बजट इस प्रकार से प्रस्तुत किया है और उसके अंत में उन्होंने जैसा कहा है कि यह केवल अन्तरिम बजट है इसलिए मैंने आंकड़ों की विस्तृत व्याख्या नहीं की है और न सदन को इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहता हूं। वही हालत हमारी भी है। हम भी यह समझते हैं कि हम कोई उनसे ज्यादा पिछड़े हुए नहीं हैं।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

हम लोग भी शायद एम. एल. ए. गिरी से हटने से दुखी हैं और वे हमसे ऊंची कमाई सब

[श्री मानसिंह महार]

से हट रहे हैं, इसलिए उन्हें भी दुःख है (हंसी) मैं मानता हूं, लेकिन हमें भी दुख है, यह उनसे निवेदन कर दूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्होंने जो हम लोगों को यह कहना चाहा है कि हम लोग भी अधिक समय न लें तो मैं यह निवेदन करूं, चेयरमैन महोदय, मेरी निश्चित धारणा है कि इस बजट पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूं कुछ बातें ऐसी हो गई। वित्त मंत्री जी ने एक बात तो ऐसी कह दी जिसको सुन कर वास्तविकता में दुख हुआ और दुःख भी इसलिए हुआ कि कोई आयन्दा आशा रखने वाला ऐसी बात करता है। जो सब तरह से निराश हो चुका हो, आयन्दा जिसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो वह ऐसी बात कहे।

इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, जिसका विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है और वह महत्वपूर्ण बात उनकी निगाह में यह है कि १०० रुपये से कम तनख्वाह जो पाने वाले हैं उनकी बहुत शोचनीय दशा है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वे इस तीन वर्ष के कार्यकाल में सत्ता के मद में मस्त होते हुए भी, उन्हें इतना ज्ञान हुआ, उनको इतना आभास हुआ कि आज ढाई सेर के भाव के जमाने में १००) रुपये से कम वेतन पाने वाले व्यक्ति की दशा बहुत शोचनीय है, मैं उनको बधाई देता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने तरक्की दी है, वह उनके लिए एक बड़ी भारी शोभा की बात है। उन्होंने तरक्की कितनी दी है इस ओर हमको ध्यान देना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया और उन्होंने तरक्की दी है लेकिन वह केवल साढ़े बारह सेर अनाज महीने की। आप इसकी व्याख्या कर लें ढाई सेर अनाज के हिसाब से ५ रुपये की बढ़ोत्तरी होती है तो पांच ढाई साढ़े बारह सेर अनाज की होती है।। हमारे यहां पर पुराने जमाने में जब रियासतें बेगार लेती थी, तो उस बेगार के लिए कुछ सेर अनाज पेटियों का देते थे। वह भी जाकर करीब ५० सेर अनाज पड़ता था। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने वह पेटी मात्र की बढ़ोत्तरी नहीं दी हैं, उन्होंने साढ़े बारह सेर कर दिया। इस पर मुझे एक कहावत याद आ गई। पुराने ज़माने में जागीरदार और राजाओं का जब राज्य था तब जागीरदार या राजा लोग किसी आदमी को किसी कसूर पर सजा देना चाहते तो वे क्या करते थे कि वे जागीरदार जुर्माना नहीं करते थे क्योंकि वे समझते थे कि अगर वे जुर्माना करेंगे तो कम से कम १०० रुपये या ५० रुपये करेंगे। वे कहते थे कि गांव के बढ़ई को बुलाओ वह जो उचित समझे वह जुर्माना कर दिया जाय। गांव का बढ़ई गरीब आदमी होता था तो वह उस पर चार आने या आठ आने जुर्माना कर देता था और वह सजा पूरी हो जाती थी। लेकिन यहां गांव के बढ़ई की बात नहीं है, यहां तो जयपुर में लाखों की इमारतें हैं, १ हजार और २ हजार तनख्वाह पाने वाले यह देते हैं कि जो वकालत के जमाने में जो की थी वह खा रहे हैं, जो अब कमा रहे हैं उससे काम नहीं चलता। यह उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की हालत है, जो अपने को कांग्रेस का सेवक कहते हैं। उनकी इतनी तनख्वाह में गुजर बसर नहीं होती। यह उनके खर्चे की व्याख्या है, और दूसरी तरफ गरीबों की तरफ आते हैं तो यह समझते हैं कि इस पांच रुपये के भुलावे

[श्री मानसिंह महार]

मात्र से उनको संतोष होगा। इससे अधिक बधाई की और क्या बात हो सकती है ? हमारी सरकार ने आज को अगर पांच रुपये की तरक्की दे दी है और चेयरमेन महोदय, उस पांच रुपये की तरक्की में भी एक विशेषता आ रही है वह विशेषता भी देखिये। वह विशेषता यह है कि वहां भी हमारा ध्यान इतना संकुचित रहा है कि जब यह पांच रुपये का बढ़ावा एल. डी. सी. के ऊपर जा कर पड़ता है तो एल. डी. सी. को करीब अपोइन्टमेंट के समय १००रुपये मिलते हैं मंहगाई और तनख्वाह मिल कर और पहले जब उन्हें इन्क्रीमेंट मिल जाते हैं और उनकी तनख्वाह १०५ रुपया माहवार हो जाती है, जो कई वर्षों के नौकर हैं वे १०० रुपयों की अवधि को पार कर जाते हैं उन्हें यह ५ रुपया माहवार नहीं मिलेगा, जो नया एल. डी. सी. रखा जायगा उसको ५ रुपये की तरक्की मिल जायगी, पर जो पुराना है और वर्षों से ठोकरें खा रहा है और इस सरकार की तरफ वर्षा की तरह देखा करता है, जैसे आषाढ़ के महीनें में किसान बादलों की तरफ देखता है, इद्र भगवान की तरफ देखता है, उसी तरह छोटे वेतन पाने वाले कर्मचारी वित्त विभाग रूपी रावण की तरफ देखते रहते हैं।

(हंसी)

देख रहे थे, इस रावण की तरफ देख रहे थे और ऐसा समझ रहे थे कि यह विधान सभा जा रही है, ये लोग भी जा रहे हैं, वित्त मंत्री भी ५ वर्ष के लिये ही नहीं बल्कि अपने जीवन-काल के लिये मन्त्री पद से सिधार रहे हैं और हमें कुछ मिलेगा, वे यह सब कुछ देख रहे थे पर देखने से क्या; खोदा पहाड़ तो चुहिया निकली, कि साढ़े बारह सेर धान उनको मिला। यदि कोई छोटा जागीरदार अपने नौकर को साढ़े बारह सेर अनाज की तरक्की देता या कोई किसान अपने हाली को साढ़े बारह सेर अनाज की तरक्की देता तो वाजिब होता, पर आज का यह विशाल राजस्थान जिसके अन्दर कि लाखों रुपया तो यों ही ठोकरों में फेंक दिया जाता है, करोड़ों रुपयों की रिश्वतें चलती हैं, उस राजस्थान के लिये यह शर्म की बात है इन गरीबों के लिये ५) रुपया माहवार की तरक्की देती है, लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसे मन्त्री पर जिसने ऐसा काम किया। चेयरमेन महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा वह वित्त विभाग जिसने इस प्रकार का दकियानुसी अनसोशियल बजट पेश किया है, एक तरफ तो कहते हैं कि सोशियलिस्टिक पेटर्न पर, इसमें सोशियल क्या है ? छोटे से छोटे कर्मचारी की तनख्वाह १०० रुपया तक करने में शायद ज्यादा से ज्यादा सरकार को तीन करोड़ का घाटा होगा, यह क्या बड़ी बात है ? आपका घाटा वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है, क्या किया इन पांच वर्षों में आपने ? एक सेठ भी होता है तो वह वर्ष के अन्त में लेखा जोखा देखता है कि कितना खर्च किया कितनी बचत हुई। यह कहावत है कि पैसा खर्च करने से पैसा पैदा होता है, वह सेठ पैसा खूब खर्च करता है पर वर्षके अन्त में देखता है कि यह एक करोड़ रुपया खर्च किया पर डेढ़ करोड़ रुपया कमा लिया। कई लोग यह करते हैं, चुनावों पर खूब रुपया खर्च करते हैं, कई बड़े बड़े सेठ चुनाव भी लड़ते हैं तो क्या समझ कर लड़ते हैं ? अगर कोई सेठ २० लाख

[श्री मानसिंह महार]

रुपया खर्च कर के दिल्ली संसद के लिये लड़ता है ५ लाख रुपया कांग्रेस को दे देता है, मंत्रियों को दो दो जीपें देता है, तो अगले ५ वर्षों में वह २ करोड़ रुपयों का लाभ उठा लेगा, वह भी इस बात की ओर देखता है पर हमारा वित्त विभाग तो इस ओर भी नहीं देखता । करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया जाता है, उनसे क्या लाभ है ? शिक्षा पर इतना खर्चा किया जाता है पर कोई पढ़ाई नही होती, आज कल जो लड़के पढ़ कर निकलते हैं वे सन् ४० से पहले के क्वालिफाइड आदमी हैं उनसे बहुत अनक्वालिफाइड निकलते हैं। इसी तरह मेडिकल विभाग को ले लीजिये, हमने खर्चा बढ़ा दिया मेडिकल का पर अस्पतालों की हालत देखिये कि जनता का दुख-दर्द बढ़ता जा रहा है । इसी तरह हर विभाग में रुपया लगाया जा रहा है पर उसका कोई रिटर्न नहीं, इसका जो लाभ जनता को पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँचता। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है, जिनके हाथों में शासन की बागडोर है, उनकी अयोग्यता। वे लायक नहीं हैं यह बात देखने में कि पैसा किस मद में लगाना चाहिये।

आज अगर सरकार १०० रुपया महावार की तनख्वाह छोटे से छोटे कर्मचारियों को कर के ३ करोड़ रुपयों का घाटा भी उठा लेती है तो सरकार को इससे ३० करोड़ रुपयों का फायदा हो सकता है। आज जो कर्मचारी रुष्ट हैं, असन्तुष्ट हैं वे इस प्रकार तरक्की कर देने से १० गुना अधिक काम करेंगे। पर इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में पैसा खर्च नहीं किया जाकर और लोगों की जेबों में जाता है, फर्ज कीजिये कोई क्वार्टर बनाया जाय, किसी बिल्डिंग की मरम्मत कराई जाय, कोई सड़क बनाई जाय, या किसी सड़क की मरम्मत कराई जाय, किसी होस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाय, हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाय या कोई कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाय तो २५ परसेंट तो इन लोगों का खरा है, अधिक ले लें तो और बात है। इसी प्रकार जंगलों की बात है। राजस्थान जो जंगलों से हरा भरा लहलहा रहा था, उसके जंगल कट चुके हैं, जंगल काटने के बावजूद भी आमदनी नहीं बढ़ी है, जो हम महसूस करें कि जो ५० लाख की आमदनी आज से पांच वर्ष पहले थी वह बढ़ कर दो, तीन करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच गई, आज मंहगाई का जमाना है आज जब लकड़ी इतनी मंहगी हो गई है तो मंहगाई के हिसाब से वह आमदनी तीन गुना तक हो जाती है तब तक तो वह बढ़ी हुई नहीं समझी जाती पर वह आमदनी वहीं की वहीं पड़ी हुई है और जंगलों का सफाया हो रहा है, इस तरह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नाश हो रहा है, मैं कहूँगा कि इस सरकार के जमाने में राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश हुआ है ।

मेरे एक मित्र ने खनिज विभाग का जिक्र किया, इस विभाग के बारे में क्या जिक्र किया जाय, यह राजस्थान सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो सकता है। आज के युग में अगर खनिज विभाग किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में हो, अगर खनिज विभाग को सही तरीके से चलाया जाय तो, मैं सही निवेदन करता हूँ, कि यह एक ऐसा विभाग है जिससे सरकार को इतनी

Page No.23

[श्री मानसिंह महार]

आमदनी हो सकती है कि किसानों से यदि सरकार एक पैसा भी लैंड रेवेन्यु का नहीं ले तो खनिज विभाग उस सारी क्षति की पूर्ति कर सकता है। पर आज सन् ५७ में ५० लाख रुपयों से भी कम आमदनी इस विभाग की रखी जाती है यह राजस्थान सरकार के लिये दुर्भाग्य की बात है।

अगर इस विभाग को सही तरीके से चलाया जाय तो यहां पास ही में मोरिजा में लोहे की खानें मौजूद हैं, इन खानों से सरकार को जो आमदनी हो रही है वह नहीं के बराबर है। मोरिजा आयरन ओर की खाने हैं उनसे सरकार की आमदनी नहीं के बराबर है। यदि नेशनेलाइज़ करके इन खानों को चलाया जाय तो १० बारह लाख रुपया सालाना की आमदनी इनसे हो सकती है। पर किया कैसे जाय वहां तो ऊंचे से ऊंचे शिखर तक लोगों को, ऊपर से लेकर नीचे से नीचे तक लोगों को पैसा पहुँचता है। अगर यह नहीं होता तो आसपुर के चुनाव में चिट्ठयां कैसे पकड़ी जातीं तीन लाख रुपया भी खर्च कर दो, तो पर्वाह नहीं, पर डूंगरपुर महाराज नहीं आने चाहिये, डूंगरपुर महाराज को हराने के लिये ३ लाख रुपये तक खर्च हो जाय तो भी कोई पर्वाह नहीं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पर इस तीन लाख रुपये का रिटर्न क्या मिलेगा, इस विधान सभा में २०० रुपया माहवार मिलता है जो, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि वह २०० रुपया तो आने-जाने में पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है।

मैं समझता हूं कि मोरिजा की लोहे की खानों से जो आमदनी होती है और किस तरह से होती है इस पर विचार करते तो उचित था। इसके अलावा अगर इन खानों के मजदूरों की हालत अच्छी होती तो हम महसूस करते कि खेर सरकार को अगर इससे आमदनी नहीं होती है तो गरीब मजदूरों को ही लाभ होता है। मगर यह बात भी नहीं। पहले मजदूरों को वहां पर रु० १।) मिलता था और मंगलवार को छुट्टि मिलती थी और इस मंगलवार को उनकी तनख्वाह काट ली जाती थी। मगर ऊपर से दबाव आया कि सप्ताह में एक छुट्टी करते हो उसकी तनख्वाह देनी चाहिये तो सेठ ने क्या किया कि सवा रुपया जो मजदूरों को हमेशा का मिलता था उसको एक रुपया दो आना रोज दे दिये और मजदूरों से कह दिया गया कि तुमको एक रोज की छुट्टी सप्ताह में सवेतन दी जावेगी मगर उधर उनकी मजदूरी में रोज के दो आने कम कर दिये। इस प्रकार करके सेठ ने कह दिया कि हम मजदूरों को सवेतन छुट्टी देते हैं। यह हालत है हमारे खनिज विभाग की। जो हमारे यहां सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है उसकी आज यह हालत है और उसकी आज हालत इसलिये है कि आज यह विभाग जलील और लच्चड़ अधिकारियों के हाथ में है, जो आज इस राजस्थान के विभाग को रसातल में ले जा रहे हैं। यह वह विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार लाखों में जाता है और अगर भ्रष्टाचार न हो तो हमारी इस विभाग की आमदनी करोड़ों पे जाती है। हमारे राज्य की जो ५० लाख की आमदनी है वह ५ करोड़ की

Page No.24

[श्री मानसिंह महार]

हो सकती है अगर भ्रष्टाचार न हो । यह मैं दावे के साथ विधान सभा में कह सकता हूं और विधान सभा के बाहर भी कह सकता हूँ। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप एक व्यक्ति को इसका ठेका दे दीजिये । मैं आज ठेका दिलाने के लिये तैयार हूं। मैं दिलाता हूँ ठेका आप दीजिये। आप डरते क्यों हैं ? अगर आप यह नहीं करते और डरते हैं कि हमारे आसपुर में तीन करोड़ रुपये कैसे आवेंगे ? अब आप क्यों डरते हैं ? अब आप तो आ ही गये हैं। ५ वर्ष के लिये आ बैठे हैं। इसके बाद सोचा जावेगा और देखा जावेगा। अभी तो आप गरीब किसानों जिनके पास खाने को दाने नहीं हैं उनको लैन्ड रेवेन्यू माफ करें। अगर आप यह करते हैं तो कोई बात हो सकती है। एक तरफ आप बजट में यह कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद को लारहे हैं, मगर मैं यह कहूँगा कि आप का यह कैसा समाजवाद, जिसमें पूंजीपति ही पनप रहे हैं और लोग लखपति और करोड़पति होते जारहे हैं और किसान लोग दिनों दिन गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। चपरासी भूखे मरते हैं, गरीब किसान भूखों मरता है यह आपका कैसा समाजवाद है ? मैं यह कहूँगा कि आप इस प्रकार के समाजवाद को समाजवाद कह कर कलंकित क्यों किया जाता है ? आपको इसको समाजवाद नहीं कहना चाहिये ।

एक बात यह अर्ज करूंगा जो मेरे साम्यवादी मित्र ने कही। जिसमें कुछ राजाओं के मामले आजाते हैं। जब कभी राजाओं के मामले आ जाते हैं तो वह शायद अपने साम्यवाद के सिद्धान्तों में डूब जाते हैं। उनको मुझे देखते चार वर्ष हो गये हैं मगर उन्होंने कभी भी किसानों को लगान माफ कराने के लिये नहीं कहा। अगर कहीं राजाओं की लाख दो लाख की बात आती है तो वे उछल-कूद कर बोलते हैं। वे यह समझते हैं कि राजा तो ऐसी चीज हैं कि उनके खिलाफ बोलना एक बड़ा टारजेट है। मैं सोच रहा था जब उन्होंने राजाओं को बिजली के चार्जेज में फेसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में कहा कि उनको यह इतना क्यों दिया जाता है ? मेरे समझ में नहीं आता कि वे राजाओं से इतने रुष्ट क्यों हैं ? अगर इस जड़ की ओर जावेंगे तो पता चलेगा। वे लोग यह जानते थे कि अगर भारतवर्ष में ब्लडशेड हो सकता था या खून खच्चर हो सकता था तो वह उसी दिन फैल सकता था जबकि राजा लोग पटेल की राय को नहीं मानते । मगर राजाओं ने श्री पटेल की रायको मानकर अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते और सरकार का मुकाबला करते तो खून-खच्चर होता और वह मेरे साम्यवादी मित्र के लिये एक प्रकार से सहायता पहुंचाता। लेकिन यह बात नहीं हुई, इस लिये उनको बड़ा दुख हुआ और इसी लिये वे राजाओं को आज भी कोसते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब वे ये बातें कह रहे थे हमारे मंत्री भी घबराते रहे। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अभी जोधपुर में जब कांग्रेस के पक्षपाती श्री नेहरू पधारे थे, उन्होंने जोधपुर की सभा में कि जब रूस से बुल्गेनिन और ख्रुश्चेव पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि रियासतों का विलीनीकरण और जागीरदारों का हिन्दुस्तान में जिस तरह से खात्मा हुआ है वह एक बड़ा सराहनीय कदम है। यह काम बहुत कम खर्च में हुआ है। आपने इस काम

Page No.25

[श्री मानसिंह महार]

को बहुत कम खर्च में किया है और इससे सैकड़ों गुणा अधिक खर्च लेन्ड लोर्ड को खत्म करने में दूसरी जगह हुआ है। रूस जहां से वे इसकी प्रेरणा लेते हैं वे भी कहते हैं कि लेन्ड लोर्ड्स और राजाओं ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और उन्होंने देश के लिये महान् त्याग किया है। अगर उनके इतने बड़े त्याग के फलस्वरूप उनको छोटी मोटी रियायतें दे दी गई तो कोई मोटी चीज नहीं है। आज भी मैं आपसे यह कहता हूं कि पब्लिक को भी उन लोगों से बड़ी सहानुभूति है। मैं यह कहता हूं कि आज भी हमारे तख्तशाहियों के तख्त उनके खड़े होने पर हिल उठते हैं, हमारे तख्तशाही जो हैं उनके पीडे कांप उठते हैं। वे ही बूंदी के पेलेस में जाकर उनके पैर दबाते हैं और कहते हैं अन्नदाता शम्भुनाथसिंह को बिठा दें, ग्वालियर में जाते हैं और श्री देशपांडे को हराने के लिये महारानी ग्वालियर को टिकट दिया जाता है। यह आपका सोशियलिज्म है। राजा और जागीरदार लोग इस माने में तो बड़े भले हैं मगर जिस समय उनको मुआवजा दिया जाता है या वे किसी विरोधी दल से खड़े हो जाते हैं उस समय वे नालायक हो जाते हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस में चला जाता है तो उसके सब कुसूर माफ हो जाते हैं।

तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यह सोच कर जोधपुर, कोटा और बीकानेर नरेशों ने कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा, इसलिये इस प्रकार की जो उनकी रियायतें हैं वे खत्म की जावें, यह उचित नहीं होगा। मैं यह कहता हूँ कि हमको उनके बलिदानों की ओर देखना है; लाख, दो लाख रुपये की तरफ नहीं देखना है। उन्होंने हमारे देश के लिये इतना काम किया है, उन्होंने लाखों वीरों के खून को बचाया है, हमें उनकी इन बातों को सराहना है कि अगर वे लालच में या किसी मूर्खतावश कोई काम कर देते तो देश में लाशें बिछ जातीं और बिछ सकती थीं। उन्होंने देश को अपना माना और अब उन लोगों का फर्ज है कि जो अपने आपको देश-सेवक कहते हैं उनकी देश-सेवाओं पर ध्यान न दें।

मेरे साम्यवादी मित्र ने एक बात जरूर कही कि मेवाड़ के महाराणा साहब को पुन्यार्थ में दो लाख रुपया दिया गया है। लेकिन यह बात तो कम जंचने वाली थी। मगर यह जो पुन्यार्थ का विभाग है वह मेवाड़ में ही क्यों है? दूसरी जगहों पर भी यह पुन्यार्थ विभाग क्यों नहीं काम करता है? अगर यह पुन्यार्थ का पैसा कुछ जोधपुर और बीकानेर वालों को भी दे दिया जाता तो हम लोगों को भी कुछ फायदा हो जाता। मैं यह नहीं कहता कि मेवाड़ के महाराणा को यह पैसा न दिया जाय, उनको जरूर दिया जाय लेकिन केवल उन्हीं को क्यों दिया जाय, दूसरों को भी तो यह पुन्यार्थ रकम दी जा सकती है। मगर जहां तक मेरा ख्याल है उनको यह पुन्यार्थ में पैसा इसलिए दिया गया कि वह इतने डेमोक्रेटिक हैं कि जब उदयपुर में नेहरूजी आए तो वे उनके सामने बेंचों पर बैठे थे और जहां जहां नेहरूजी गए उनके पीछे पीछे वह गए। यही कारण है कि उदयपुर के महाराणा साहब को पुन्यार्थ में पैसा मिला। लेकिन यह रियायत दूसरी रियासत वालों को भी दी जाय तो हमें ईर्ष्या न हो। उदयपुर में ही ऐसा क्यों और दसरी जगह क्यों नहीं? इस तरह से मेरे कहने का

[श्री मानसिंह महार]

मतलब यह है कि यह जो दो लाख रुपया उदयपुर के महाराणा साहब को दिया गया है, वह रकम और बढ़ा दी जाय और वह दूसरे लोगों को भी दी जाय ताकि गरीब नौकर जो कि इन दूसरी जगहों पर हैं उनको किसी प्रकार से थोड़ी बहुत राहत पहुंचे, ऐसा मेरा अन्दाजा है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आज यह मेरा आखिरी मौका है और वित्त मंत्रीजी का भी आखिरी ही है। मैं तो सम्भव है फिर से उप-चुनावों में लड़कर जीतकर पुनः आ सकता हूं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी के लिए तो रास्ता भी बंद है। लेकिन आज तो वह और हम एक ही स्कोर पर है। वह बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं। कैसे स्पोर्ट्स मैन रिप्ट में आपने इजेक्शन पिटीशन के कामों को लिया वह मैं जानता हूं और सभी जानते हैं। उन्होंने यहां पर दो माह का बजट पेश किया और उसमें बताया कि हमारे छोटे कर्मचारियों की पांच रुपये माहवार की तरक्की हुई। इससे अधिक और क्या मुबारिकबादी की बात हो सकती? मेरा खयाल है कि हमारे वित्त मंत्री का यह एलान करने के बाद में १० सेर वजन बढ़ जाना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, उस रोज जिस रोज कि चुनाव की चर्चा हो रही थी और हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि देखिये हमने चुनावों के दिनों में इस पांच रुपये की बढ़ोत्तरी के बारे में किसी को नहीं मालूम होने दिया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल बजट पर बोल रहा हूँ। मैं विषय के बाहर जाऊंगा तो आप मुझे कह सकते हैं। वैसे भी आज तो कोई और बोलने वाला नहीं है, फिर कम से कम दस तो बजा ही दूं। आखिर यहां सदस्य आते हैं और उनको १२।। रुपये मिलते हैं तो उसका सदुपयोग तो किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या कोई और भी बोलेंगे?

(किसी माननीय सदस्य का खड़ा न होना)

श्री मानसिंह महार—(जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस रोज यह कहा था कि हमने इस पांच रुपये माहवार की तरक्की जो कि सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले के लिए की है किसी को भी आउट नहीं होने दिया, तो श्रीमान् यह तो अच्छा ही किया। मैं यह कहता हूं कि यह तो हमारी ही तकदीर फूटी जो आपने इस चीज को उस समय आउट नहीं किया। अगर यह पांच रुपये वाली बात कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पहले मालूम हो जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से आपको कोई एक भी वोट नहीं देता। आप वोट लेकर देख लें और इन लोगों से पूछ कर देखलें कि कौन इससे संतुष्ट है? मैं तो यहां तक कहूँगा कि यह पांच रुपये चन्दे के लेकर सारा पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए और वह भी चांदी के रुपये हों और

[श्री मानसिंह महार]

इनको एक थैली में भरकर एक यूनियन की तरफ से हमारे वित्त मंत्री महोदय की तोंद पर फेंक देनी चाहिए, इन रुपयों को उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। यह तो एक छोटी सी बात है। हमको तो शर्म आती है कि हम जिस विधान सभा में बैठे हैं, जिस विधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने ऐसी सरकार बनाई है और ऐसी सरकार को चुना है उस सरकार के वित्त मंत्री की हालत यह की गई है कि अब उनको डिसकार्ड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को १२।। सेर धान माहवार की तरक्की देकर इस सदन को कलंकित किया है।

अब मैं इस समाजवादी बजट के बारे में यह निवेदन करूंगा कि अगर हमें सही तरीके से राजस्थान में समाजवाद लाना है, अगर समाजवादी ढंग का ढांचा बनाना है तो हमें नीचे से चलना पड़ेगा। हमें इसके लिए नीचे वालों को ऊंचा उठाना पड़ेगा। मगर जो ऊंचे हैं उनको आप अवश्य ऊंचा रखिये। हम यह नहीं कहते कि आप आई. ए. एस. या आई. सी. एस. या आई. पी. एस. या आर. ए. एस. वालों को नीचे गिरायें। यह तो हम कभी नहीं कहते। हम तो यह कहते है कि आप नीचे स्तर के लोगों को ऊंचा उठायें। यह जो अन्तर है ऊपर और नीचे का इसको कम किया जाय। लेकिन यह काम कैसे हो सकता है? उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या यह ही है कि इस ऊंच-नीच को कैसे कम किया जाय? यह कोई मंत्रियों के बलबूते का काम नहीं है। हमारे मंत्रियों को अपने अपने चुनावों से ही फुर्सत नहीं मिलती, वह क्या बजट को बनाने थोड़े ही बैठते हैं। उनके पास तो हर चीज बनी हुई आ जाती है। उन्हें कोई काम थोड़े ही है। यह बजट आदि का काम तो हमारे वित्त सचिव महोदय करते हैं। इसके लिए कि स्तर बराबर हो हमें उन कर्मचारियों को देखना होगा, उन अधिकारियों को देखना होगा जो कि इस बजट को बनाते हैं, जिनको इसके लिए अधिक तनख्वाह मिलती है, जिनको इसके लिए अलाउन्स मिलता है। उन लोगों में प्रगति कैसे आ सकती है कि जिन लोगों की विचारधारा शायद १६२७ की विचारधारा है। अगर राजस्थान के पिछले बजट को देखा जाये और सन् २७ तक के बजटों को देखाजाय तो आजका बजट भी वही सन् २७ वाला बजट है, फाइनेन्स पर आज भी वही स्थिति काबू पाये हुए है जो कि सन् २७ में पाये हुए थी। तो इसमें वित्त मंत्री का दोष कैसे बताया जाय? दरअसल दोष तो हमारे उन सचिव महोदय का है जो कि इस बजट को तैयार करते है। मैं तो इतना तक कहूँगा कि यह बजट ५७ की विचारधारा का नहीं बल्कि सन् १९१८ की विचारधारा का है। आज भी अगर किसी नये एनर्जेटिक आदमी को फाइनेन्स सेक्रेटरी बनाया जाता तो वह नये प्रकार का बजट लाता, लेकिन हमारा तो वही दकियानूसी बजट अभी तक चला जा रहा है। हम जयपुर राज्य का जो पिछले कई सालों का बजट देखते आ रहे हैं और जो उसका ढांचा है हूबहू उसी का रिपीटीशन होता है। जयपुर राज्य के यूनिट के आदमियों को नुकसान उसी बजट से हुआ और करीब करीब सभी यूनिट वालों को इससे फायदा हुआ। किसी को दस रुपये का किसी को बीस रुपये माहवार का और कहीं कहीं तो दो-दो सौ रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन जयपुर में तो किसी को भी फायदा नहीं हुआ। यह हमारे वित्त सचिव भी जानते हैं और जयपुर के

[श्री मानसिंह महार]

समस्त एम० एल० ए० भी जानते हैं। पहले जो जयपुर के लोगों के गले कटे वह अब राजस्थान के लोगों के भी गले कटने लगे। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अब हमें कोई नये विचार का आदमी चाहिए, हमको कोई एनर्जेटिक आदमी चाहिए, हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता नहीं है जिसकी विचारधारा वही पुरानें ढांचे पर चले। ऊपर से जब तक कोई दबाव न आये एक सांप बनकर बैठे रहना चाहते हैं। आज डेवेलपमेंट में इतना पैसा खर्च होता है वह इसलिए खर्च होता है कि परिस्थिति उनके बस की नहीं होती है। तो डेवेलपमेन्ट पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन जब नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आता है तो मंत्रियों को कोई चिन्ता नहीं होती है। इस पर तो वह कहते है कि इतना पैसा कहां से लायेंगे, इतना पैसा खर्च हो जायेगा तो हद हो जायेगी। यह ओवर ड्राफ्ट दस साल तक चलता रहेगा। मैं वित्त सचिव से कहूँ, अगर उन्होंने इस ओवर ड्राफ्ट को कम किया होता तो मैं उनको बधाई देता। लेकिन एक तरफ तो घाटा बढ़ता जा रहा है और घाटे को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जारही है और दूसरी तरफ जब गरीब और छोटे कर्मचारियों की तनखा बढ़ाने को कहा जाता है तो उस समय कहा जाता है कि घाटा अधिक हो जायगा। इसलिए उनको तो पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करनी चाहिए, तो आप ही बतायें कि यह कहां तक न्यायसंगत बात है? मुझे अफसोस इस इस बात का है कि आज समाजवादी ढांचा स्थापित करने वाली सरकार, समाजवाद की तरफ अग्रसर होने वाली सरकार अपने बजट के अन्दर लैण्ड रेवेन्यू के मद में आमदनी बताती है और वह बताती हैं कि किसानों से कितना लगान लिया है और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह केवल १०० रुपये तक के वेतन पाने वालों की बढ़ाई जायेगी, तो जब यह बातें मेरे सामने आती हैं तो मैं समाजवाद को रोता देखता हूं, कराहता देखता हूँ। समाजवाद इन लोगों को कोसता है जो कि इसकी आड़ में शिकार खेलना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी को तो इससे कोसता ही हूं लेकिन मैं तो समाजवाद का एक रोता हुआ रूप अपने सम्मुख देखता हूं। मैं तो आपसे सच कहता हूं कि मैं समाजवाद को रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं इन गरीबों को जब रोते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी दया आती है। मैं जब इन गरीब लोगों को देखता हूं तो पाता हूं कि किसी के भी ४५ इंच की तोंद नहीं हैं। सब के पेट पिचके हुए हैं, मेरी तरह। वह गरीब भूखों मरते हैं और जब उनको भूखों मरते देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। मेरा यह आखिरी कहना है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको इस पांच रुपये के बढ़ाने वाली बात पर शर्मिन्दगी आई होगी। चाहे हमारे नेता बदल जायें, हमारे वित्त मन्त्री बदल जायें लेकिन हमारे सचिव तो वहां के वहां ही रहेंगे। उन लोगों को तो इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज जो सरकार अपने को कहती है कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं वह सरकार इस प्रकार के कार्यों द्वारा समाजवाद को कलंकित करने जा रही है, वास्तव में समाजवाद को लाने वाली यह सरकार नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली सरकार जब अपना नया बजट बनायेगी उस इसमें बात का ध्यान रखा जायगा कि जिन लोगों को सौ रुपये से कम वेतन मिलता है उनको सौ रुपये वेतन कर दिया जायगा। ताकि ट्रेजरी बेन्चेज़ पर बैठने वाले मेरे मित्र कहेंगे कि

[श्री मानसिंह महार]

हम ऐसे राज्य पर शासन कर रहे हैं जहां का कोई कर्मचारी सौ रुपये से कम वेतन नहीं पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का दुख अवश्य महसूस हुआ राज्यपाल के भाषण में और हमारे वित्त मंत्रीजी के भाषण में भी। जहां हम लोग ईमानदारी चाहते हैं, आज हमारे राज्य में वास्तव में ईमानदारी है या नहीं? हमारे राज्यपाल ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कुछ नहीं कहा और न वित्त मंत्री जी के भाषण में ही इसका उल्लेख था। मानो राजस्थान में रिश्वतखोरी का नाम ही न हो, बजट में हमने ऐसी कोई मद नहीं देखी जिसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी निवारण करने के लिए कुछ प्रबन्ध किया गया हो। आज राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें अधिक जागरूक होना चाहिये। उन दोनों भाषणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानों राजस्थान में रामराज्य स्थापित हो गया है, भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मामला इससे बिल्कुल उल्टा है। आज भ्रष्टाचार टोप टू मिडिल तक मौजूद है। मैं बोटम तक नहीं कहता, बोटम कहने से तो उसमें गरीब चपरासी, एल० डी० सी और यू० डी० सी भी आ जाते हैं। मान लीजिये किसी मुकदमे का फैसला हो जाता है, अगर उसकी नकल मांगने पर किसी क्लर्क को खुश होकर कोई दो-चार रुपये दे जाता है तो मैं उसको रिश्वत नहीं मानता। लेकिन होता क्या है खुश होकर भी यदि किसी मामूली क्लर्क को कुछ दिया जाता है तो हमारा भ्रष्टाचार विरोधी महकमा वहां भूखे भेड़िये की तरह भागता है। जिस प्रकार भेड़िया मरे हुए गाय और बैल की तरफ भागता है उसी प्रकार हमारा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग उस बेचारे क्लर्क को पकड़ने के लिये दौड़ता है और ढिंढ़ोरा पीटा जाता है कि हमने भ्रष्टाचार को कैसे पकड़ लिया? मैं यदि किसी को खुश होकर दो रुपये दे देता हूं तो इसमें भ्रष्टाचार किस बात का? आपको भ्रष्टाचार ही पकड़ना हो तो वहां पकड़िये जहां लाखों और करोड़ों रुपयों का सौदा होता है, उन मोटी मोटी मुर्गियों को पकड़िये जिन्होंने रिश्वत के पैसे से जयपुर को आलीशान बंगलों से जगमगा दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे सही निवेदन कर रहा हूं, मेरी जागीर की आमदनी ८० हजार रुपया सालाना थी और सेटिलमेंट हो जाने के बाद भी करीब २३ और २४ हजार रुपये की आमदनी हो रही है, जिसका कम्पेन्सेशन भी करीब मुझे २४ हजार रुपया मिलने वाला है। मुझे अपनी जागीर के अख्तियारात सन् १९४० से मिले हुए हैं, इस प्रकार सत्रह-अठारह वर्ष हो गये किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आज तक भी एक लाख रुपये की इमारत खड़ी नहीं करवा सका। मैं तो मेरे बाप-दादाओं द्वारा बनायी गई हवेली की ही मरम्मत करवाकर उसमें रहता हूँ। मुझे ताज्जुब होता है कि हजार डेढ़ हजार पाने वाले व्यक्ति, ये जन सेवक जिनको केवल दो तीन ही वर्ष हुए मिनिस्ट्री में आये· आज उन्होंने लाखों रुपयों की ईमारतें खड़ी कर लीं, जिनके डिजाइन आलीशान हैं, जिसके नमूने देखते ही बनते हैं। आप 'सी' स्कीम में चले जाइये और उसमें भी एक्स मिनिस्टर्स कोलोनी में चले जाइये तो आपका दिल बाग-बाग हो जायगा उन आलीशान बंगलों को देखकर। यह देखकर खुशी तो होती है,

Page No.30

[श्री मानसिंह महार]

हमारी पोपूलर मिनिस्ट्री से इतना तो फायदा अवश्य हुआ है कि यहां से जो पैसा उन्होंने कमाया यहीं पर खर्च कर दिया, चाहे वह किसी भी रूप में, मजदूरों को देने में, कीमती फर्नीचर खरीदने में हो, सब यहीं पर हुआ है। हो सकता है गलीचों वगैरह के लिये बाहर पैसा दिया गया हो। मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि यहां भ्रष्टाचार की यह स्थिति है। भ्रष्टाचार जिस रूप में बढ़ रहा है उसके ये बंगले नमूने हैं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भ्रष्टाचार विभाग में रख दिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को छः महिने के अन्दर अन्दर घाट दरवाजे के ठण्डे महलों में न पहुँचा दूं तो आप मेरे पर थूक सकते हैं। आज बेचारे छोटे छोटे कर्मचारियों को जो पांच रुपये भी ले लेता है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का ढिंढोरा पीट दिया जाता है। लेकिन लाखों रुपये जंगलों के ठेके में खा जाते हैं उनको भ्रष्टाचार नहीं माना जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सही निवेदन करूं कि जंगल के जंगल काटे गये, सरकार ने उन जंगलों से आमदनी का एक तरीका अपनाया है। जंगल बेचे जाते हैं, उनमें क्या होता है कि उन ठेकेदारों को जिन्हें जंगल बेचा जाता है उनको हिदायत की जाती है कि तुम्हें लो रेटस पर जंगल दिये जाते हैं लेकिन आप लकड़ी बेचने के लिये जयपुर में मत लाना। आप लकड़ी टोंक ले जा सकते हैं, टोडा-रायसिंह ले जा सकते हैं, केकड़ी ले जा सकते हैं, किन्तु लकड़ी बेचने के लिये जयपुर नहीं ला सकते। इस प्रकार अलग अलग जंगलों पर अलग अलग प्रकार की पाबन्दियां होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की पाबन्दियां होने के बाद उन ठेकेदारों को यह लाभ पहुँचता है कि रियायती भाव पर उनको जंगल मिल जाते हैं। अगर वे ले जाकर टोंक में लकड़ी बेचते हैं तो वहां सस्ते भावों में बिकती है और जयपुर में वही लकड़ी मंहगे भाव में बिकती है, तो होता क्या है उपाध्यक्ष महोदय, कि ठेकेदार लोग जो हैं वे रात को ट्रकों में भर कर लकड़ी जयपुर लाते हैं और बेच देते हैं। यह बातें मुझे इस तरह से मालूम पड़ीं कि मैंने अब की बार एक ट्रक किराये पर चालू किया था उस किराये के ट्रक से इतनी बातें मालूम पड़ीं।

एक माननीय सदस्य—शायद लाइसेन्स नहीं होगा।

श्री मानसिंह महार-लाइसेन्स बाकायदा है। मैंने जब ट्रक वाले को पूछा कि तुम रात को लकड़ियां क्यों लाते हो तो उसने जबाव दिया कि ठेकेदार लोग यह कहते हैं कि दिन को लकड़ियां जयपुर ले जाते हैं तो हमारे पास परमिट नहीं, इसलिये रात को लेकर चलते हैं। मैंने जब पूछा, रात्रि में कैसे लकड़ियां जयपुर में आने दी जाती हैं, मामला क्या है? तो ठेकेदारों ने कहा कि हम अधिकारियों को मना लेते हैं, ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों को ले जाकर थैलियां भेंट कर देते हैं इस लिये अपने आप काम हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गलत कह रहा हूं तो मन्त्री जी खुद सब ठेकेदारों को पहचानते हैं, अगर वे नहीं चलना चाहते तो अपने किसी विश्वासपात्र अधिकारी को भेज कर पता चला सकते हैं। मैं बोलियों ठेकेदारों से यह कहला सकता हूं। ठेकेदार लोग जिन

[श्री मानसिंह महार]

जंगलों का ठेका लेते हैं उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, यह तो आप सोचिये। अगर मैं मन्त्री जी को यह न कहला दूं ठेकेदारों से तो वे मुझ पर थूक सकते हैं। एक नहीं, दस-बीस ऐसे जंगल हैं जहां इस प्रकार की रिश्वतखोरी होती है। एक कूकस के बोर्ड का ठेका देने के कारण हमारे एक मन्त्री जी को टिकट नहीं मिला, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा कि उनके जो सक्सेसर हैं उन्होंने एक नहीं सैकड़ों जंगलों का ठेका देकर लाखों रुपये कमा लिये। क्या ऐसे व्यक्तियों से हम समाजवाद की आशा कर सकते हैं ? आज ऐसे लोगों द्वारा समाजवाद का नारा लगाया जा रहा है, वह गलत है; अगर इसी प्रकार का समाजवाद लाने की आप चेष्टा कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां पर साम्यवाद आना अच्छा है और अगर यही हालत रही तो साम्यवाद जल्दी आयेगा और वह साम्यवाद ऐसा होगा कि जिन लोगों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग होना पाया जायगा या जो अधिकारी रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी मालूम होंगे उनको गोली से उड़ा दिया जायगा, हमारा साम्यवाद वही होगा। सरकार के विरोध में बोलने वाले तो बोलते रहेंगे लेकिन हमारा साम्यवाद वह होगा, जो लोग हमारे पैसे का दुरुपयोग करते हैं जो लोग आसपुरा चुनाव क्षेत्र में तीन लाख रुपया खर्च कर सकते हैं उनको भी गोली से उड़ा दिया जायगा। हम लोगों को गोली से उड़ाना आसान नहीं, हम तो इसी प्रकार बोलते रहेंगे लेकिन जो लोग गू खाते हैं उन लोगों के लिये कहा गया है। गू खाने वाले तो खाते रहेंगे, हम तो उसको गू समझते हैं, लेकिन गू खाने वाले इसको गू नहीं कहेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही निवेदन कर रहा हूं। उनकी आदत तो ऐसी ही बनी रहेगी।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, सही निवेदन कर रहा हूं और मुझे दुख होता है इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष-स्टेन्डर्ड रखें।

श्री मानसिंह महार—स्टेन्डर्ड ही है, उपाध्यक्ष महोदय। बड़ा दुख हो रहा है यह देख कर कि भ्रष्टाचार नीचे नहीं ऊपर ही ऊपर तेजी से बढ़ता जा रहा है, पर उसे रोकने की कोई कोशिश सरकार नहीं कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष—भाषा ठीक होनी चाहिये, होली के दिन नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार—भाषा ठीक ही है उपाध्यक्ष महोदय, 'गू' माने शहद। अकबर बादशाह ने भी यही कहा था, उपाध्यक्ष महोदय। वहां भी ऐसा ही सवाल आ गया था

Page No.32

[श्री मानसिंह महार]

तब इसका मतलब शहद किया गया था । वे शहद जीमते हैं उपाध्यक्ष महोदय। तो यह अर्ज कर रहा था मैं। मेरी भाषा कुछ संस्कृटाइज्ड है [हंसी] इसलिये मन्त्री महोदय की समझ में न आई हो और इस कारण बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। 'गू' से मेरा अर्थ टट्टी से नहीं है [हंसी] वह तो शहद से है।

वे शहद जीमते हैं। बड़ी मीठी लगती है उपाध्यक्ष महोदय यह वह है करोड़ों का रिश्वत रूपी शहद। मैं उन्हें चोर डाकू नहीं कहता । वह तो बहुत मीठी चीज है, वह मीठी लगने वाली शहद जीमते हैं ये मन्त्री लोग और फिर मन्त्री जी को टिकट नहीं मिलता। बेचारे उदासीन होते हैं, वे जिस वक्त जनता के बीच जाते हैं तो कई तरह के झांसे देकर जनता से वोट ले लिये जाते हैं। वे कहते हैं कि उनको वोट दोगे तो क्या होगा ? हमें वोट देने से आपके यहां सड़कें बन जावेंगी, स्कूल और अस्पताल बन जावेंगे। आमेर तहसील की सड़क के लिए इन्कार हो गये सदन में। अब यहां मेरे एक मित्र जीत कर आ गये हैं तो अब आमेर तहसील में भी सड़क बनाई जा रही है। अब वहां सड़क बनाई जावेगी तो ठेकेदार से कमीशन मिल जावेगा। खैर, अच्छी ही बात है, सबको पैदा होगी। तो एक तरह से समाजवाद ही होता है। तो यह अर्ज थी मेरी उपाध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी राष्ट्र के बारे में तो यह अर्ज किया।

अब जो मुझे एक बात और निवेदन करनी है वह है एक और दूसरी मद पर। वह है राज्य का आबकारी कर । इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि मैं शुरू से प्रोहिबिशन का पक्षपाती रहा हूँ। मैं हमेशा से शराबबन्दी का पक्षपाती रहा हूँ। मैंने जन्म से शराब नहीं पी। गांधीजी का भी मैं इस लिहाज से पूरा अनुयायी रहा हूँ, लेकिन आज जब उन्हीं महात्माजी के नाम से वोट लेने वाले उनके चट्टे-बट्टों को देखता हूँ मैं तो उन्हें खुद को शराब पीते पाता हूँ, वे लोगों को भी पिलाते हैं और इस तरह से उस शराब को पीने से और पिलाने से सरकारी धनराशि को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है तो मुझे अफसोस होता है। जब कांग्रेस पार्टी के ऑब्ज़र्वर दिल्ली से यहां आये थे तो मैंने बहुत लोगों को यह कहते हुए भी पाया उनसे कि इन कांग्रेस वालों में जितने भी शराबी हैं उनको भी टिकट न दिया जावे। और इस बात पर काफी लानत मलामत दिल्ली में भी हुई थी। मैं क्या कहूँ आपसे ये भी आपस में इन टिकटों के लिये किस तरह से एक दूसरे के गुणों का बखान करते हैं। हमें तो मालूम भी नहीं होता पर ये ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और बखान करते हैं मैं क्या कहूँ, सुना नहीं जा सकता, सुनते भी हमें तो शर्म आती है। वे कहते हैं फलां चोर है, डाकू है, शराबी है, भ्रष्टाचारी है और न मालूम क्या क्या है और इस तरह से किस प्रकार दिल्ली में छींटा कशी हुई आपस में। तो यह भी कोई अच्छी चीज नहीं हुई। राजस्थान के लिए यह बुरा हुआ। मैं तो यह मानता हूँ । कईयों ने कहा कि फलां मन्त्री जी उस औरत के साथ बैठे हैं, यह तस्वीर है। कई ने कहा और फोटो बताई कि यह मेज पर शराब की गिलास रखी हुई है और मन्त्री जी विराजे हैं, पी रहे हैं। ये गलत चीजें थीं, ऐसा आपस में ही

[श्री मानसिंह महार]

नहीं करना चाहिये था उनको, कुछ तो समझदारी रखनी थी। (घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब के बारे में तो मैं अर्ज करूंगा ही। तो इन सब बातों से दुख इसलिये होता है और कहनी इसलिए पड़ती हैं कि इन्हीं कारणों से शराबबन्दी नहीं होती, क्योंकि इन मिनिस्टर लोगों को और इनके चट्टे-बट्टे साथियों को शराब चाहिये, शराबबन्दी हो जाय तो फिर ये कहां से गुलछर्रे उड़ावें, ये कहां से शराब के भरे गिलास खाली करें और औरतों के साथ बैठें ? वे खुद अपना प्रोहिबिशन पहले करें तब तो जनता को भी बाध्य करें। (घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ (हंसी) व्यक्तिगत बात तो कहना मैं सीखा ही नहीं। आम बात ही कहूंगा। जिसके बारे में होगी वह स्वयं ही समझ जायेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं क्या कहूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि वित्त मन्त्री जी शराब पीते हैं। वे तो एक बड़े उच्च ब्राह्मण घराने के व्यक्ति हैं। किसी का व्यक्तिगत नाम लेना तो मैं सीखा ही नहीं। (हंसी) जिस पर लागू होती होगी वह महसूस कर लेगा अपने आप। तो शराब के बारे में मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, वह बन्द करना जरूरी है। अबके तो उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों में भी शराब की बोतलों ने गज़ब ढा दिया। (हंसी) गांव गांव में हमारे कांग्रेसी मित्रों ने शराब बांटी। शराब के पीपे के पीपे खुले-आम ऊंटों पर चले और वह भी अवैध शराब। इसके साथ ही मैं निवेदन करदूं कि यह प्रकट करता है हमारी पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्पक्षता का नमूना। हमारे यहां तो इतना आराम था इन कांग्रेसी मित्रों को कि बेखटके इस अवैध शराब से भरे पीपों से लदे ऊंटों की टोली की टोली चलती थी, कोई पुलिस वाला या आबकारी विभाग का नाम लेने वाला भी वहां नजर नहीं आता था और इस तरह से गांव गांव में शराब पानी की तरह से बांटी गई। यह हमारे कांग्रेसी मित्रों के रामराज्य का नमूना है। मैं यह मानता हूं कि यह तीन रुपये बोतल वाली या पांच रुपये बोतल वाली शराब नहीं थी बल्कि एक रुपया-डेढ़ रुपया वाली शराब थी और वह फ्री बांटी गई। इस तरह से यह हमारी सरकार एक समाजवाद की तरफ अग्रसर हो रही है। (हंसी) यह हमारी कांग्रेसी सरकार और कांग्रेसी मन्त्री इस तरह के समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह तो एक उचित ही बात है। यह तो जरूरी है। (हंसी) पर मैं सभी भाइयों से यह नम्र निवेदन करूं कि अगर हमको हमारे उन पूजनीय बापू की आत्मा को शान्ति देनी है तो इस शराबखोरी को जरूर कम करनी है, शराबबन्दी अवश्य लागू करनी है।

क्या बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शराब के मन्त्री जी जो हैं वे यहां आते ही नहीं बेचारे, शर्म के मारे शायद, टिकट नहीं मिला उनको, आरोप थे और तगड़े आरोप थे इसलिए। नहीं तो उनके बारे में भी निवेदन करता। पर क्या मरे मुर्दे उखाड़ूं। इसलिये उनको कुछ नहीं कह कर मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो यह उम्मीद करता था इस बजट को देखकर कि हमारे वित्त मन्त्री जी हम लोगों को गौरवान्वित करेंगे और यह कहेंगे कि आगामी पांच वर्षों में, पिछले पांच वर्षों में न सही, आगामी पांच वर्षों में सही, चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे पहले कभी नहीं पर इस अन्तिम अधिवेशन में मैं ऐलान करता हूं कि राजस्थान में, पूरे में अगर नहीं तो, राजस्थान के

[श्री मानसिंह महार]

फलां फलां जिले के अन्दर जरूर हम शराबबन्दी करते हैं। पर यह ऐलान भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय से और उनकी सरकार से तो नहीं हुआ, अफसोस इसी बात का है। आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, दूसरों से भी तो हम लोग सबक नहीं लेते, अपने पड़ौसी से ही सबक लेते, उसी की नकल करते। पर इस प्रकार का समझ का माद्दा भी हमारे पास नहीं है, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। हमारे पड़ौसी प्रान्त बम्बई के भूत-पूर्व मुख्यमन्त्री श्री मुरार जी भाई देसाई ने बड़ा भारी विरोध होते हुए भी बम्बई में बड़ी बहादुरी के साथ शराबबन्दी की। जो इरादा कर लिया सो कर लिया, अड़िग रहे, भारी विरोध और आर्थिक व अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां लिंग्वेस्टिक स्टेट के फोर्मेशन के प्रश्न पर बड़ी भारी कड़वाहट होते हुए भी वे डेढ़ लाख वोटों से जीते। इसका एक मात्र कारण वह था कि वहां लोगों ने यह महसूस किया कि मुरार जी भाई एक उच्च सिद्धान्तों के आदमी हैं, जो वे सही समझते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं उसका ईमानदारी से पालन करते हैं और उसी तरह काम करते हैं। उन लोगों की तरह से वे नहीं हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वोटों को गरज पड़ी तो गांव गांव में शराब बांटदी और पार्टी की मीटिंगें हों तो वहां शराबबन्दी के लिये लम्बे लम्बे भाषण कर दिये और फिर शराबबन्दी की बात यहां विधान सभा में कही जावे तो मौन साध लें ये। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत बुरी हैं उपाध्यक्ष महोदय। (हंसी) तो मैं व्यक्तिगत मामले में नहीं जाता। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सरकार के लिये, वर्तमान सरकार के लिये और भावी सरकार के लिये भी यह जरूरी हो जावेगा कि राजस्थान में वह शराबबन्दी करें। राजस्थानी के नाते और एक राजपूत होने के नाते मैं कहता हूं कि इससे राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब जनता है उसका और राजपूत जाति का भी बहुत बड़ा लाभ होगा, उनका उद्धार होगा एक तरह से। हमारी जाति में भी यह कुरीति काफी हद तक मौजूद है। हमारे भाई भी शराब पीते है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये चन्द बातें बजट के सिलसिले में अन्तिम रूप से निवेदन की है अगर इस सिलसिले में कोई ऐसी-वैसी बात कही हो तो उसके लिये क्षमा प्रार्थना करता हूं। लेकिन फिर भी मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इन पांच मोटे मुद्दों की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि अब भी जाते जाते अगर वे इनमें सुधार कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो शराबबन्दी कर दें; दूसरे राजस्थान के जो आधे नंगे-भूखे रहने वाले, कम तनख्वाह पाने वाले, निम्न कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, अध्यापक हैं, वैद्य हैं, कम्पाउन्डर्स और नर्स हैं, एल० डी० सी० हैं, यू० डी० सी० हैं आदि जो ये कम वेतन भोगी जो वर्ग के लोग हैं और उनको जो आज वेतन मिलता है वह कभी भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता और भी जो लोग सौ रुपया मासिक से कम पाते हैं उन सब का वेतन आप एक दम सौ कर दीजिये। और तीसरी बात, जिनका वेतन दो सौ सवा-दो सौ है उनका महंगाई भत्ता पच्चीस-तीस अधिक कर दीजिये। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो ये कर्मचारियों की श्रेणी कभी सन्तुष्ट नहीं होगी। इनके असन्तोष से आपका काम ठीक नहीं चलेगा। यह मांग उचित भी

[श्री मानसिंह महार]

है । यह जमाने की मांग है । आज दो सेर-ढ़ाई सेर के दाणे मिलते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं उस जमाने की जब अनाज का दुष्काल पड़ गया था और महंगाई बहुत बढ़ गई थी, महाराजा माधोसिंह जी के जमाने में, तो उन्होंने तत्काल हुक्म दिया कि मेरी तिजोरियां खाली कर दो, खजाना खोल दो, जयपुर शहर में बाहर से अन्न लाना पड़े तो वह लाओ पर लोगों को दस सेर का अनाज दो । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस नजीर को भी देखें और जो खामी इस बजट में रह गई है वह भी आप दूर कर दें ।

हमारी सरकार ने तो २।। सेर की अनाज, ३ सेर, ३।। सेर के जौ बेचने के लिए इस बजट के खोखले के अन्दर, जिसको मैं खोखला कहता हूं, यह बेकार का पौधा है, जिसमें इतना रुपया खर्च किया गया, राजस्थान का पैसा बर्बाद किया गया उसमें एक पैसा नहीं रखा गया, गरीबों के लिये सस्ते अनाज की व्यवस्था की जाय । व्यवस्था क्यों की जाय जब खुद के घरों के अन्दर अनाज आ जाय, तहसीलों से गाड़ियां भर भर कर अनाज आजाय, मालूम कैसे पड़े मंहगाई की, घी की शुद्धि अशुद्धि की मालूम किसको है ? एक तरफ तो यह बात थी कि सस्ता अनाज करो । हमारे दिमाग में यह भी है गेहूं सस्ता करदो । गरीब लोग हैं वे गेहूं नहीं खाते हैं, खाना जानते नहीं ये जो मोटी मोटी मुर्गी हैं, हजार-दो हजार की तनख्वाहें पाते हैं, गेहूं खाना जानते हैं, गरीब गेहूं क्यों नहीं खाता है इसलिए कि गेहूं के साथ घी चाहिए, गेहूं को हजम करने के लिए घी चाहिये अगर कोरा गेहूं खाता है तो पेट में हजम नहीं होता और इसीलिए गरीब लोग गेहूं नहीं खाते हैं क्योंकि वे हजम नहीं कर सकते । आप गेहूं की व्यवस्था मत कीजिये । जौ की व्यवस्था कीजिये । उससे पहली बात क्या होगी कि ब्लेक होना बन्द हो जायगा । १०० रुपया तनख्वाह पाने वालों के लिए जो पांच रुपया बढ़ाया है वे खरीद कर सकें, पांच चार रुपया होगा वे खरीद लेंगे, उनके बच्चे जिनको एक टाइम रोटी मिल सकती थी उनको दो टाइम रोटी मिल जायगी, वे अपना पेट भर सकेंगे । यह अनाज वाली बात है। इसने राजस्थान में ऐसा भयंकर रूप धारण किया है । परसों मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यह कहा गया कि भाव ठीक होते जारहे हैं । जो पैमाना है ठीक होने का वह मालूम नहीं हुआ । अगर २।। के बजाय तीन सेर के बिकने लगेंगे तो क्या उसको ठीक मान लिया जावेगा, उसको पर्याप्त मान लिया जावेगा ? मैं यह कहता हूं कि अनाज के भाव ठीक नहीं रहे हैं । इसके लिए चाहे सरकार को एक करोड़ का घाटा खाना चाहिये, इस वक्त जौ काफी मात्रा में पैदा हुआ है, उसको खरीदना चाहिए । लेकिन खरीद कर रखें कहां उपाध्यक्ष महोदय ?

हमारे जयपुर में वी. टी. कृष्णमचारी के वक्त में गोदाम बनाये गये थे लेकिन उनको चर्खा संघ को दे दिया । उनमें बुनाई और कताई होती है । उनको साइन्टिफिक तरीकों से बनाया गया था । लेकिन हमारे यहां दुर्भाग्य है कि भूखी-नंगी सरकार के पास नाज नहीं । कहीं खादी भंडार बना दिया । जब वह समय आगया है कि उनको खाली करवाया जाय । फसल का मौका है ।

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

बस समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष जी।

ईश्वर की कृपा से फसल अच्छी है। बस पांच सात करोड़ रुपये का माल उसमें भर दीजिये ताकि सरकार को भी इस बात की बधाई मिले कि हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि जहां २॥ सेर के जौ मिलते थे वहां अब पांच सेर के दिये जा रहे हैं। यह तो कोई बात हुई वरना लोग आपको कोसेंगे।

एक आखिरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़ जैसी ऐतिहासिक नगरी के लिए दो शब्द नहीं कहे गये। लाख दो लाख रुपया सेन्टर से गाडोलियों के लिये ले आये, चित्तौड़ के लिए लाख दो लाख रुपया प्रोवाइड करा लीजिये, चाहे ११ वोट ही हों, जीत आपकी हुई है। उस चित्तौड़ से ईर्ष्या मत करना। यह चित्तौड़ की बात है। यदि दिलेर मेवाड़ी भाइयों से कोई बात कही हो तो क्षमा मांगता हूँ। वित्त मंत्री महोदय से मैं आशा करूंगा कि कम से कम राजस्थान में १०० रुपये से कम का नौकर न रखिये, यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है।

श्री अर्जुनदास—Mr. Deputy Speaker, till yesterday I had an idea that I would not be speaking on the floor of this House in this Session, as I could see from the Budget speech of the Hon'ble Finance Minister that he practically requested each one of us not to speak and allow the Budget to be passed. But yesterday, I found one thing at least here which forced me to speak and that was with regard to corruption amongst the lower ranks here in Jaipur. I have had the advantage of having seen the Ajmer Assembly, Ajmer Ministry and also Jaipur Ministry. I have also had the advantage of seeing Ajmer Government servants as well as the Jaipur Government servants and I can see the difference of one thing between the two. In Ajmer, of course, I gave various examples of corruption to the Hon'ble Home and Finance Minister who took no notice of them ostenesibly, because he himself was addicted to those. And here also now I would like to bring one instance before the Hon'ble Minister in charge, and I expect him to take some steps to see that the bribery does not continue as has been continued so far. I do not know whether the Hon'ble Minister would really take notice of it, but I would I fail in my duty if I do not bring this to their notice.

Yesterday I wanted to take a certified copy from the office of the Registrar of Firms. The Registrar of firms himself was good enough to oblige me, and he passed immediate order that the copy be given to me, but when I went to the clerk concerned the clerk expected me to pay him something, and there lies a

[श्री अर्जुनदास]

difference. At least in Ajmer Government servants, I know, did take money but they did not to expect from the M. L. A's. to pay some thing. That is the difference between the Ajmer Government and what I saw here yesterday. I do not know whether it is prevalent amongst all lower ranks, but yesterday I had the opportunity to come across one lower rank clerk who expected me to pay something, but I refused and he did not do my job and wasted my time and money over it. I spent something on tonga hire, but still the job could not be done and I did not get the copy yesterday, and I cannot get it today. I have to stay in Jaipur for one or two days more only because I must have the copy before I go to Ajmer. Because I did not pay money to the clerk concerned, he would not do my job. The job has not been done and I do not expect him to do in a day or two. I, on my part refused to pay him anything whether I get the copy or not. Whether I suffer a loss or not but I on my part refused to pay, and I would request the Government to look into the matter. I have brought the case before you and I expect you to look into the matter and in the next session give a reply to me on the floor of the House. I expect the Government to take some steps against the clerk concerned not with a view to punish the clerk concerned but with a view that other clerks do take a lesson from it.

Then so far as the budget is concerned I find one difference between the present budget at Jaipur and the Budget at Ajmer with regard to displaced persons. In Ajmer, the Hon'ble Finance Minister would put down facts and figures—that such and such amount has been earmarked for displaced persons. The whole of the budget would not be amount but it will be allowed to lapse. In the present budget I find that the Hon'ble Finance Minister is honest to himself and to me that be has not given any figure about displaced persons. That is the difference between this budget and the Ajmer budget. I expect the Hon'ble Finance Minister to keep certain amounts for the displaced persons and do finance them within the next year. I take this opportunity to bring to the notice of the Government so that at least in the real full budget that is likely to come up before this House after a month or so, I will expect the Hon'ble Minister for Finance to keep a certain amounts for the displaced persons, and if the present Finance Minister has been bold or has been honest enough not to put down anything because they do not mean to misguide us, I will at least suggest some of the demands of the displaced persons.

In Ajmer town no colony for displaced persons has been built up so far, no colony has been built up. I will expect the Government to do it. Though

[श्री अर्जुनदास]

before this some meetings were held for building some colony of the displaced persons, but for one reason or the other, the whole thing had been evaded. Plots are avilable within the town itself and we can have very good colonies if the Government proposes to do. But it should not be a burden upon the displaced persons. The amount involved will have to be spent by the displaced persons, but the Government will have to give a helping hand to them. The present position of the houses of the displaced persons in the town of Ajmer is so pitiable that if any of the present Ministers here had time enough to go there. they would see that they are not houses for living, but dungeons or pigeon-holes where more people are living than any person should be allowed to reside in them.

The other difficulty is the schools. In Ajmer during this year also provision had been made for constructing schools for displaced persons, but it has not been constructed at all, the amount is being allowed to lapse. The Ajmer Municipal Committe had resolved to give some plot to the Government for constructing a school for displaced persons. If nothing can be done this year I will expectthe present Hon'ble Minister for Finance to make some provision for this in the next budget. In Jaipur also I was told the same difficulty arises here also. There are no separate chools and our boys unfortunately have got to attend second shifts. I do not know why they are the displaced students being made to study in second shifts always ? I will expect Government to construct buildings for schools in towns. You are constructing school buildings in villages where you do not get boys. In towns where students are available you do not give them buildings for education. Why this disparity ? You should construct buildings for schools in towns sufficient enough to accomodate students who are anxious enough to take education. In Jaipur, I was told, the Government proposes to charge Rs. 650/- in the colony of displaced persons as development charges. I believe this is high-handedness of the Government. Rs. 650/- would not be the price of the plot itself. I would only say that Government is trying to fleece the displaced persons by one name or the other. Instead of doing this, you sale the plot and take 650/—. You are only trying to make money from them in the name of development charges. Development charges could not have been Rs. 650/-per plot and if they were sold by Government in those days, then probably the cost of the plot would have come to Rs. 650/-per plot, though, of course, today after constructions have been carried out, so many other persons would be willing to pay higher charges and buy them, but Government has got to take into consideration the state of affairs than and not today I will expect the Goverment to take this point also into consideration and not

Page No.39

[श्री अर्जुनदास]

charge anything towards development charges. This charge is most unfair and undemocratic itself.

Then I would like to bring to the notice of the Government some of the difficulties of primary teachers at Ajmer. Promotion of the displaced primary teachers serving in Ajmer has been stopped since February, 1956. I believe it is a wrong drafting of the orders of the A. G. C. R. from Delhi that this promotion has been stopped. The matter had been referred to Delhi for the secondary teacher and in pursuance of that correspondence orders were passed that promotion may be stopped. But the Government has misinterpreted it and ordered that the promotion of the primary teachers may also be stopped. That matter was never referred and has never been decided. Still the orders of the present Government are to that effect. I will expect the Hon'ble Minister concerned to look into this aspect and pass orders at an early date for rescinding the orders and ordering that the promotions should continue in the usual way.

The other difficulty that I would like to bring to the notice of the Government is that confirmation of the primary displaced teachers is not being done at all. There are orders, Sir, that teachers who have put in three years service may be confirmed. Various displaced teachers have put in more than three years service in India, apart from their service in the present Pakistan territory. Yet many of them are not being confirmed even though some about 32 posts are lying vacant. When 32 posts of primary teachers are lying vacant, 32 primary teachers can easily be confirm edtoday. But this is being evaded on one pretext or the other.

The other difficulty is about the superannuated teachers. I understand Government has passed orders that the superannuated teachers, who have reached the age of 55, should be allowed to continue in service upto 60 on the old pay scale. Still they are not being given the old pay scale, but much less than that. Inspite of the fact that orders have been passed, of which I have been given a copy. This is the order of the Director of Education, "dated Ajmer the 15 th, June, 1956." Yet these orders are not being carried out and the old pay is not being granted to the teachers. I will expect the Government to please look into this aspect of the case and pass orders so that a fair deal might be done to them also.

With regard to Ajmer Municipal Committee, Sir, there was a provision made by the Government that the Ajmer Municipal Committee is to get something towards grant-in-aid and half the money as loan. I am now told that the Rajasthan Government refuses to give them anything towards grant-in-aid and they want to

[श्री अर्जुनदास]

give half the sum towards loan only. When there was a definite provision in the budget and the Government of India was giving that subsidy. I see no reason why the Rajasthan Government should feel shy in giving that sum of money to the Ajmer Municipal Committee as Grant-in-Aid.

I may also state that the present Rajasthan Government desires to allow the sum of money reserved for Panchayat Buildings to lapse. When there was a definite provision in the Budget for Panchayat buildings why not distribute that amount before the year is out and why allow it to lapse ? At least I am not able to understand why the amount is allowed to be lapsed ?

Then I will also bring to the notice of the Government the difficulties of the Ajmer Government Servants. Ajmer Government Servants have made repeated representations but they are not decided in their favour at all. Now I am also told that the various Ajmer Government Servants who were residing in Peeramal Hotel have been served with notice that they have to vacate the premises. May I ask where they are to reside then ? You can ask them to leave the buildings only when you provide alternate accommodation. I may ask the Government to construct quarters before they are forced to vacate Peeramal Hotel. Are they to pass their nights under the stars ? Are they to sleep on the foot-paths ? They have got to live somewhere under the roof at least. Give them some accomodation before you ask them to leave Peeramal Hotel.

I may also mention that the question of their seniority is not being decided. Why not decide it when you have decided cases over-night ? Why take years in deciding ?

On this subject I may also bring to the notice of the Government that they have ordered that the appointment made by the Ajmer State Government after 1st. November, 1955, should be in the new scales rather than in the old scales of Ajmer. On this point I may explain, Sir, that some of the Government servants have been promoted from one post to another. In their cases some were granted old scales whereas some are being forced to draw the new scales only. I have one case to narrate; Laboratory Assistant in the Mahatma Gandhi Vidyalaya Mr. Lilaram. He has been promoted as a clerk after 1st. November but after promotion he is being asked to draw the new scales whereas the other government servants who were also promoted or the new government servants-they are being given the old scales. Why this discrimination between man and man ? I will ask that those government

[श्री अर्जुनदास]

servants who were already in service and have been promoted since 1st. November, 1955, in a post which already existed, not that new posts were created for them, atleast they should be allowed to continue in the old scales and not the new ones.

(घन्टी)

Of course as the time is up I have got to look to the clock. I now expect the Government to tell it in the next Session that these suggestions of mine have been looked into and if possible carried out. Then and then alone I will be in a position to thank the Government otherwise I can only say that we are wasting our time for those ears who do not listen and if listen do not propose to carry out anything.

श्री उपाध्यक्ष—श्री संतोषसिंह बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, कल भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन इजाजत नहीं मिली।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप तो नये सदन में बोलना।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर काफी बहस हुई। इसके मुतलिक मैं भी दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बजट में जो मांगे पेश की गई हैं उनमें से शिक्षा विभाग के बारे में मैं कुछ कहूँगा। शिक्षा विभाग का इतना बजट होते हुए भी जोधपुर में आज तक कुछ नहीं हुआ है, खास कर स्त्री शिक्षा के बारे में मैं कहूँगा। लड़कियों की शिक्षा के लिये कॉलेज की जो व्यवस्था वहां की गई थी वह दो साल से ठीक नहीं है। राजमहल गर्ल्स इन्टरमीजियेट कॉलेज में थर्ड इयर क्लासेज़ खोली गई थीं और उसके लिये जो प्रोफेसर्स भेजे गये थे, उनको आधे टाइम तक राजमहल गर्ल्स कॉलेज में रखा गया और आधे टाइम के लिये महाराज कुमार कॉलेज में लाया गया। इस तरह लड़कियों की पढ़ाई में २-२॥ महीनों का नुकसान हुआ और बाद में जब युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर वहां आये तब उन्होंने कहा कि अगले साल क्लासेज़ चालू हों या नहीं, उसके लिये कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है हालांकि फाउन्डेशन स्टोन वहां रख दिया गया है लेकिन कोई टेन्डर कॉल नहीं किया गया है और न बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया गया है। यदि बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया भी जायगा तो उसमें पूरा होने में २ साल लगेंगे, क्योंकि ऐसा सुना है कि ५ लाख रुपयों की सेंक्शन सरकार देगी। इतने बड़े काम के लिये २ वर्ष लगेंगे। कॉलेज दूसरी जगह शिफ्ट किया है, वहां पर युनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती क्योंकि वह बिल्डिंग काफी नहीं है। इसके लिये कई दफा सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि बिल्डिंग काफी नहीं है।

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

मैंने खुद ने जाकर देखा है कि कॉलेज के लिये व्यवस्था ठीक नहीं है। इस वर्ष २० हजार रुपयों का साइन्स लेबोरेटरी का सामान खरीदा जाकर आया है, लेकिन वह सब बक्सों में बन्द पड़ा है। कारण यह है कि कमरे नहीं हैं इसलिये फिट नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में वित्त मन्त्रीजी लाखों रुपयों का बजट पेश करते हैं, लेकिन जोधपुर में किसी भी प्रकार का शिक्षा का प्रबन्ध लड़कियों के लिये नहीं है।

जो बस लड़कियों के लिये वहां चलती है उसमें सौ-सौ लड़कियों को एक साथ भर कर ले जाते हैं। वहां पर ३ बसेज़ हैं जिनमें से २ खराब पड़ी रहती हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी कि बसेज़ का पूरा इन्तजाम किया जाय लेकिन ५ वर्षों में भी ठीक इन्तजाम नहीं किया गया, हालांकि यह कहा गया कि बस की चेसिस पड़ी है। हमने कहा ये चेसिस हमको दे दो हम बोडी बनाकर लड़कियों के लिये दे देंगे, लेकिन ये चेसिस नहीं दी गई। तारीफ यह है कि सरकार पहले १ रु. एक मील का किराये के रूप में लेती थी वहां जब २) रु. प्रति मील कर दिये गये हैं और ५ मील से बाहर बस जाती भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जिन्युआइन डिस्कशन होना चाहिये।

श्री संतोषसिंह—यह बजट की बात है। इतना खर्चा होते हुए भी पढ़ाई में अन्धेर गर्दी है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जोधपुर में लड़कियों की पढ़ाई की अस्त-व्यस्त अवस्था है उसको ठीक किया जाय। अगले साल जुलाई में डिग्री कॉलेज होने वाला है उसके लिये युनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिखी जाय और सब तरह की सुविधा दी जाय।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि पंच वर्षीय योजना में जोधपुर में कुछ नहीं हुआ है और जो कुछ हुआ है वह नाम मात्र के लिये ही हुआ है। अभी सुना है कि राजस्थान में दूसरी मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार हो रहा है। मेडीकल कॉलेज किस जगह खोला जाय, उसके लिए मैंने जानकारी की तो पता चला कि वह मेडीकल कॉलेज बीकानेर में खोलने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वहां के हिज़ हाईनेस और बीकानेर से बोलने वाले काफी हैं, सुझाने वाले भी हैं, इसलिए मेडीकल कॉलेज बीकानेर में खोला जा रहा है। मैं सरकार से कहूँगा कि वह मेडीकल कॉलेज बीकानेर में न खोल कर जोधपुर में खोला जाय क्योंकि बीकानेर का स्तर ऊंचा करने के लिए तो भाकरा डेम की नहरें वहां आने वाली हैं, नहरों की वजह से वहां पर ज्यादा काम होने वाला है। लेकिन जोधपुर की किस तरीके से उन्नति हो इसका कोई विचार नहीं हुआ है, न सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। जब कभी हम कहते हैं तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमने जोधपुर में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है। इसके अलावा क्या चाहते हो? लेकिन एक इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने से क्या होता है? पहले कहा जाता था कि जोधपुर में ऑडिट ऑफिस आने वाला है, हैल्थ डिपार्टमेन्ट आने वाला था। पिछले राजप्रमुख के भाषणों से बहुत

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

डिपार्टमेंट जोधपुर में भेजने के लिए कहा था लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, वह भाषणों में ही रहा, या कागजों में रहा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो वायदे उन्होंने जोधपुर के लिए पहले किये हैं, उनको पूरा करने के लिए वे फिर दुबारा उन पर गौर करें और कोशिश करें। मेडीकल कॉलेज बीकानेर में बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, (घंटी) सुझाव दे दे रहे हैं, वे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीकानेर में जो अस्पताल है, उसके आस पास जमीन जायदाद है और उसके एक्सटेन्शन की गुंजाइश है। ऐसे एक्सटेन्शन की गुंजाइश तो जोधपुर में भी है, वहां अस्पताल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं और होस्टल भी बना सकते हैं, इसके लिए काफी जगह है। मैं सरकार को यह व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना करूंगा और चाहूँगा कि पंच वर्षीय योजना के लिए मेडीकल कॉलेज की व्यवस्था करने का आप सुझाव पेश करें। मेरी आपसे अर्ज है कि जोधपुर में इतनी जगह है, इतनी गुंजायश है कि अगर वहां मेडीकल कॉलेज, होस्टल या होस्पिटल बनाया तो उस सब की व्यवस्था अच्छी तरह हो सकती है। मैं नहीं समझता कि बीकानेर का ही ध्यान उन्हें क्यों आता है ? (घंटी) क्या जोधपुर के बोलने वाले कम हैं, इसलिए ऐसा होता है। जो बोलने वाले आदमी हैं, वे बीकानेर से आये हैं।...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जोधपुर से सिर्फ दो आये हैं।

(हंसी)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—इसलिए ही जोधपुर के लिए कोई बजट में प्रोवीजन नहीं बनाया और बीकानेर के लिए काफी व्यवस्था की। जोधपुर में सड़कों के लिए...

(घंटी)

अभी तो मैंने शुरू किया है, साहब।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—यह जनरल डिस्कशन है, be brief.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैं कह रहा था कि पी. डब्ल्यू. डी. को भी लाखों रुपया दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां जो बजट के अन्दर लाखों करोड़ों रुपया आता है, तो मैं सरकार का ध्यान दिलाऊं कि जोधपुर में सड़कें बनाई जायं, बिल्डिंग्स बनाई जायं। जोधपुर में पानी की व्यवस्था इतनी खराब है कि नलों के ऊपर लोग लड़ते हैं, उनके मटके फूटते हैं, लाठियां चलती हैं। जो करोड़ों रुपये का बजट बनता है उसमें से कुछ इन सुविधाओं के लिए खर्च करें। वहां पर पाइप लाइन १० इंच की है, उसको दो फुट की लाइन से बदल दिया जाय,

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

बड़ी लाइन हो जायगी तो काफी तादाद में शहर में पानी मिलेगा और पानी का कोई टोटा नहीं रहेगा। लड़ाई-झगड़ा पानी की कमी की वजह से होता है, यह टंटा बाद में नहीं रहेगा।

बिजली की व्यवस्था जो जोधपुर में है, वह भी इसी ढ़ंग की है। वहां बिजली का एक ही टर्बाइन लगा हुआ है, वह जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से नहीं चलता है, कभी डिम हो जाता है, कभी फुल हो जाता, कभी बन्द हो जाता है। सरकार को चाहिए कि बिजली का एक टर्बाइन वहां पर और लगाया जाय, जिससे जब वह काम करे तो पहेला वाला रेस्ट कर सके, या बन्द रहे और दूसरा चलता रहे। इसलिए दूसरा टर्बाइन लगाना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि यदि इस पर एक हजार, दो हजार, या १० हजार रुपये लगें तो भी एक और टर्बाइन लगा दिया जाय जिससे एक को रेस्ट मिले और वह खराब नहीं होगा। इस तरह अगर बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जायगी तो हर आदमी को बिजली मिल सकेगी। अभी हर आदमी को बिजली नहीं मिलती, काम करने वाले कारीगरों को पॉवर नहीं मिलता जिससे कि वे अपना काम तेजी से कर सकें, वे बेकार बैठे रहते हैं। इस तरह से होनहार और होशियार आदमियों को बेकार बैठना पड़ता है।

(घंटी)

(श्री अध्यक्ष महोदय पुनः पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की बात कह रहा था। मेरा मतलब यह है कि जोधपुर में जो कुछ होना चाहिए वह नहीं होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जोधपुर में कॉलेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, लड़कियों के स्कूलों की व्यवस्था, इन्टरमीडिएट कॉलेज का जो भवन बनाने के लिए निर्णय लिया गया था, उसका कार्य जल्दी कराया जाय। इस भवन का शिलान्यास मुख्य मन्त्री जी ने कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके टेन्डर नहीं हुए हैं, दो वर्ष में तो बिल्डिन्ग पूरी होगी। इसलिए दूसरी बिल्डिन्ग की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपया इस एज्युकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिजूल खर्च करते हैं, तो फिर लड़कियों से फीस न ली जाय। कई दफा मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि लड़कियों से फीस नहीं ली जाती है लेकिन मैं जो जानता हूँ कि वह सिर्फ यह है कि ट्यूशन फीस नहीं ली जाती किन्तु उसके अलावा गेम्स फीस, इत्यादि १० तरह की फीसें लेते हैं, यानि पर हैड लड़की १०)-१५) रु. साल या २२), २३) रुपये साल लड़कियों को देने पड़ते हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में हम बगैर फीस के २०, २५ साल तक पढ़े हैं, पुराने राज्य में मुफ्त पढ़ाई होती थी। अब जब लड़कियों की स्कूलें खोली हैं तो उनको मुफ्त पढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाय। गेम्स फीस ली जाती है लेकिन गेम्स की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई फील्ड नहीं है, कोई गेम्स की चीजें नहीं दी जाती हैं। आज-कल स्कूलों में कई तरह की फीसें

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

ली जाती हैं, गेम्स फीस, इन्क फीस, तरह तरह की १० फीस हो जाती हैं, न मालूम कौन कौन सी फीस बढ़ा दी है। इन फीसों को कम करने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि फीस बिल्कुल बन्द हो जाय और फ्री ऑफ चार्ज एज्युकेशन होनी चाहिए। जितने भी अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, लखनऊ हैं, वहां पर लड़कों व लड़कियों की फीस यानी शिक्षा निःशुल्क कर दी है। राजस्थान में भी कम से कम यह स्टेप उठावें और लड़कियों के लिए चाहे बी.ए. हो या एम. ए. हो कोई फीस नहीं ली जाय। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलालजी बोलेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(श्री मुक्तिलाल मोदी की ओर संकेत कर) आप तो राज्यपाल के भाषण पर बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--श्री रूपनारायणजी शास्त्री बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—लड़ाई हो जायगी। फिर आप कहोगे कि लड़ाई करते हो।

श्री रूपनारायण शास्त्री--अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर चर्चा चल रही है और इस पर अनेक वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिये हैं। मैं भी कम से कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं और शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का बजट तो बढ़ता जाता है और उसके अनुसार प्रबन्ध होता है और तरक्की करते हैं परन्तु मुझे आश्चर्य है कि हम १०० रुपये से नीचे पाने वालों को सुविधा देते हैं, लेकिन गर्ल्स स्कूल को नौ सेविकायें ऐसी हैं जिन्हें केवल १५ रुपये मिलते हैं, उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता है। एक दो वर्ष हो गये लेकिन उन्हें १५ रुपये तनख्वाह मिलती है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उनको यह सुविधा नहीं मिलती है जब कि उनसे काम बराबर लिया जाता है जितना कि चपरासियों से लिया जाता है। नौ कन्या पाठशालायें ऐसी हैं कि उनकी सेविकाओं को करीब १५ रुपये मिलते हैं, वे डेढ़ वर्ष से, २ वर्ष से प्रार्थना करती हैं, लेकिन उनके उत्तर नहीं मिलते और बराबर वे चक्कर काटा करती हैं। कम से कम जो ये ६ सेविकायें हैं, उनको, जो नये स्कूल खोले जा रहे हैं, चपरासियों की जगह नियुक्त किया जाय या ऐसा कर लिया जाय कि उनको चपरासिनें मुकर्रर करके चपरासी के मुकाबले में वेतन दिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह विषमता की द्योतक है। जो ये सेविकायें

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

हैं इन गरीब सेविकाओं के दावे पर विचार नहीं करते हैं। आप जरा सोचिये कि १०), १५) रुपये उनको मिलते हैं, तो क्या वे उनसे अपना जीवन-निर्वाह कर सकती हैं ?

और न निरीक्षक या डाइरेक्टर महोदय या उप निरीक्षक इस सम्बन्ध में आवेदन करते हैं मन्त्री महोदय के पास कि यह स्थिति भी सुधरनी चाहिये। यह स्थिति कौन से अधिकारों के बाहर, कौन सी शक्ति के बाहर आ गई है, कौन सी कठिन समस्या आ गई है कि हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते ? पर समस्या का हल तभी करें कि जब गरीबों के प्रति सहानुभूति हो, पर गरीबों की हमें क्या पर्वाह, हमें तो अपना आराम चाहिये। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम इस विषय पर विचार होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र में दिन प्रतिदिन इस बात पर जोर दिया जाता है, चिंतामणी देशमुख, वी० टी० कृष्णमाचारी आदि संस्कृत पर बड़ा जोर देते हैं, पर राजस्थान सरकार को न जाने संस्कृत से क्या दुश्मनी है कि शास्त्री का ६०-४-१०० का ग्रेड था उसको ७०-४-९० कर दिया ? १० रूपये और घटा दिये। क्या बात है कि आप बजट पेश करते हैं तो संस्कृत के लिये घाटा आ जाता है कि उनकी तनख्वाह को आप और भी कम करें। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम इस बात पर भी विचार अवश्य करना चाहिये क्योंकि शास्त्री में भी उतना ही समय लगता है जितना कि बी० ए० करने में लगता है। तो ऐसी दशा में संस्कृत भाषा जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की पोषक है उसका अंग्रेजी भाषा के बराबर का ग्रेड होना चाहिये, यह न करके पहले से जो स्टेट ने कर रखा था उससे भी कम करें तो क्या राजस्थान स्टेट जयपुर स्टेट से भी कमजोर है ?

दूसरी बात यह है कि विशारद पास होता है उसको एस. टी. सी. में लिया जाता है। तो क्या कारण है कि विशारद वाले को एस. टी. सी. में शास्त्री करने पर नहीं लिया जाता ? इन सब बातों पर बजट में ध्यान दिया जाय तो बजट की सार्थकता हो सकती है, यह नहीं होकर केवल यह कर दिया जाय कि जो स्कूल खोल दिये वे भी नेताओं के कहने पर कि अमुक ढानी में चाहे १० ढानियां ही हों, पढ़ने वाला लड़का चाहे एक भी न हो, केवल मास्टर दस्तखत करके चला जाय, उस स्थान के लिये कोई नेता कह दे कि यहां स्कूल खोल दिया जाना चाहिये तो वहां स्कूल खोल दिया जाय और जहां आवश्यक है वहां पर स्कूल नहीं खोलें, इससे कोई लाभ नहीं। यह स्थिति रहेगी तो केवल बजट पास करलें, इससे हम उन्नति तो नहीं कर सकते।

तो इसमें जो खामियां हैं उनकी ओर मैंने दिग्दर्शन कराया है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। इसी तरह आयुर्वेद के वैद्य हैं, उनका फिक्सेशन अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाया है, इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये अब मैं ज्यादा न कह कर, मुझे जो विशेष बात कहनी थी, उन स्त्री सेविकाओं के लिए वह मैंने कह दी हैं। उनके लिये अवश्य प्रबन्ध करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री मुक्ति लाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,.......

श्री अध्यक्ष—कितने आदमी और बोलना चाहते है ?

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—बस ये ही एक।

(श्री रामरतन टिक्कीवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप बोलना चाहते हैं, पहले आप बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे बोलेंगे या मैं बोलूं ? अगर वे पहले बोलें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आपको किसी के बोलने में एतराज नहीं होगा।

श्री मोदी—मुझे किसी के बोलने में एतराज नहीं है। पहले अगर वे बोलते हैं तो बोलें, फिर में बोलूंगा। पर मैं बोलूंगा जरूर।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—अध्यक्ष महोदय, बजट में जो प्रस्तुत किया है और यह बात बताई है कि जहां बेकारी है उस बेकारी को मिटाया जाय, किन्तु यह नहीं बताया कि किन-किन जिलों में किस किस तरह की बेकारी है जिसे कि मिटाया जाय। मेरा एरिया सरप्लस एरिया है। वहां इतनी बेकारी है, फिर भी उसे मिटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। वहां की जनता ऐसी है कि इस वक्त भी सरप्लस एरिया होते हुए भी जनता बेकार है, कभी गाजर कभी मूली खा कर एक टाइम गुजारा करती है, उसके लिये खास निवेदन करना है कि कुछ न कुछ बजट में प्रोविजन हो जिससे कि वहां की बेकारी दूर हो।

एक यह बात बतलाई गई कि ५ रुपया माहवार छोटे कर्मचारियों का बढ़ाया गया, यह तो खुशी की बात है पर कहीं ऐसा नहीं हो जाय कि इनके ५ रुपये बढ़ा कर ऊंचे ऊंचे कर्मचारियों के सौ-सौ रुपये बढ़ा दिये जांय। जब तक छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह १०० रुपया माहवार तक न आ जाय तब तक ऊंचे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़े, ऐसा आश्वासन हमें दिया जाना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि छोटे कर्मचारियों के ५ रुपये बढ़ा दिये, उसी में संतोष रख लें क्योंकि पहले ही बड़े बड़े कर्मचारियों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो बहुत दे दी हैं। जब तक छोटे कर्मचारियों की तनख्वह को आगे न बढ़ा सकें तब तक तो इन मोटे मोटे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिये। उधर छोटे कर्मचारियों के ५ रुपये बढ़ाये गये तो किसी न किसी तरह मंहगाई भत्ता बढ़ा कर या एक ही आदमी को दो-दो, तीन-तीन डिपार्टमेंट देकर ७०० रुपया, ८०० रुपये की तनख्वाह कर दी जाती है। गरीब चपरासियों की पूर्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अगाड़ी नहीं पहुँच सकेंगे।

Page No.48

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

एक बात यह भी है कि इस पंचवर्षीय योजना में राजमहल बनास योजना का काम चालू करने के लिये विश्वास दिया गया था, पर वहां किसी कर्मचारी ने बताया कि यहां पर नहर नहीं आ रही है, इसलिये दूसरी जगह देख भाल करेंगे। जहाजपुर का विकास करना है। मैं आशा करता हूं कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस बनास योजना से इस जिले को जितना फायदा हो सके इस योजना में रखा जाना चाहिये ताकि बनास योजना से किसानों की बारानी खेती की सिंचाई हो सके और उन किसानों की और जिले की तरक्की हो सके।

इसी तरह से एक यह है कि बनास पर पुल बना हुआ है, उस पर किसी तरह से प्राइवेट मोटर्स हैं उनको तो टेक्स माफ है और जो प्राइवेट गाड़ियां, साइकिल चलाने वाले हैं उन पर दो पैसा, एक आना टेक्स लगा हुआ है। यह जनरल रोड मानी हुई है तो रईसों को क्यों माफ हुआ और जनता के रात दिन काम में आने वाली बातों पर क्यों लगा हुआ है? वह खत्म होना चाहिये या सब पर होना चाहिये।

जहां तक मेरा निवेदन है वह यह है कि कई स्थानों पर पुलिये बने हुए हैं और बन चुके हैं मगर टोंक से ही इस प्रकार का टैक्स इस पुलिये से गुजरने वाली गाड़ियों आदि से क्यों लिया जाता है और इसको बदनाम किया जाता है? इससे १२ हजार रुपये ही सालाना आमदनी होती है। यह ठीक नहीं है। इसलिए यह टैक्स जो है वह हटाया जाना चाहिये। रोजाना वहां पर किसानों की गाड़ियां आती हैं, साइकिलें चलाने वाले उस पर से निकलते हैं, यह टैक्स सब पर लगता है, एक प्राइवेट कार को छोड़ कर। यह क्यों? सब के साथ समानता का वर्ताव होना चाहिये।

इसी तरह से सिंचाई के तीन-चार बांध टोंक में बंधे हैं। इस पर गंगानगर के हिसाब से लगान लगाया जाता है। वहां पर कुछ जिलों को लेकर देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि वहां के लोग इतने गरीब हैं कि वे इतना ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते हैं। १४ रु० या १५ रु० बीघा सिंचाई के लिये जावें तो वे नहीं दे सकते। जब उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा कि सब राजस्थान में नये बांधों के टैक्स इसी तरह से लग रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि वहां की जमीन की कीमत और जमीन और तरह की है और वहां की आमदनी और पैदावार भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां टोंक की आमदनी और पैदावार भी बहुत कम है। यहां पर ४ मन की बैठती है जो वहां पर १०-१२ मन और इससे भी अधिक। इसीलिये यहां पर (टोंक) में १४) रु० या १५) रु प्रति बीघा लगाना कहां तक वाजिब है? इसलिये इस पर विचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि पुरानी सिंचाई की दरें हैं वे दो और ४ रूपये हैं। यहां पर अब १०) और १५) लगाना वाजिब नहीं। अगर बांध बना कर इस तरह के टैक्स बढ़ाये जावें तो इससे तो यहां पर बांधों का नहीं होना ही ठीक है। यह टैक्स इतना है कि वे लोग अदा नहीं कर सकते हैं।

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

मुझे पुलिस के मामलों में खास निवेदन करना है और मैं निवेदन करूंगा कि डाकू दरअसल कम हुए, डाके कम हुए परन्तु टोंक सिटी में ऐसे कांड हुये हैं जिनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी है। इस तरह पुलिस की लापरवाही पब्लिक बरदाश्त नहीं कर सकती। शाम को एक कोलिक चना बेचने को निकली। सुबह को उसकी लाश बोरी में बंधी हुई कुए में मिली। एस. पी., डी. आई. जी. और थानेदार वहां रहते हैं किन्तु रात दिन जो शराब के नशे में मस्त रहते हैं, वे किसी न किसी डी. आई. जी., सुप्रिन्टेन्डेन्ट या किसी के बेटे या रिश्तेदार हैं। इसके लिये आई. जी. पी. को लिखा पढ़ी की गई मगर उनको मोअत्तिल करके फिर बहाल कर दिया गया। यह हमारी जिम्मेदारियें हैं। एक तरफ हम शराब की बातें करते हैं और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी २४ घंटे शराबों में मस्त रहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें काफी सुधार होना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये।

(घंटी)

बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्षजी, यह जो आज राजस्थान सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है उस बजट में कुछ आंकड़े पूरे तो नहीं दिये जिस तरह के सालाना के वक्त दिये जाते हैं, बजट में अलग अलग हेड के आंकड़े आते हैं। इस बजट में करीब चार या साढ़े चार करोड़ का घाटा बताया, इसमें भी तीन करोड़ रुपये सरकार ने बताये कि हम टैक्स और बिल्डिंग्ज को बेच कर वसूल कर लेंगे। माननीय अध्यक्षजी, मैं इस सदन के सामने कुछ ऐसी मिसालें रखना चाहता हूं कि आज सरकार ने पहली साल का बजट में रुपया जरूर मंजूर किया। रुपया जरूर मंजूर हो जाता है परन्तु वह पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जाता है और कुछ तो पी. डब्लू. डी. की ऐसी चीजें हैं कि करीब एक एक सड़क को आज चार चार वर्ष हो गये और वह सड़क अभी तक भी नहीं बन पाई है और जब हम अधिकारियों की बातें करते हैं और कहते हैं तो वे कहते हैं कि ऊपर से दबाव आता है कि ठेकेदार को माफ कर दिया जावे। जब कि सरकार को चाहिये तो यह था कि एक ठेकेदार जो अपना काम एग्रीमेंट के अनुसार नहीं करता है तो उसको ब्लेक लिस्ट में करना चाहिये था और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि किसी तरह का रुपया मंजूर किया जाये तो उसके लिये यह ठीक नहीं है कि ठेकेदार को दुबारा दुबारा मौका दिया जावे और ५-५ और ६ वर्ष तक एक सडक या पुलिया आदि तैयार न हो और बाहर के लोग जो आते हैं वे परेशान हों और घन्टों, दो चार घन्टे तक पड़े रहें।

माननीय अध्यक्ष, दूसरी बात, राजस्थान में पंचायतें बनीं परन्तु मैं उन अधिकारियों को यह बता देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं कि आज भी ६ हजार और ८ हजार जन संख्या पर एक पंचायत कई तहसीलों में बनी हुई है। मगर जैसा कि कानून में

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

लिखा है कि दो हजार की जन संख्या पर एक पंचायत बनाई जानी चाहिये। मगर पूरे राजस्थान में दो हजार पर पंचायतें नहीं बनीं। कम से कम बैराठ तहसील में बहुत सी पंचायतें ५–६ हजार की जन संख्या पर बनी हैं, न कि दो हजार पर।

इसके अलावा सरकार जो राष्ट्रीय सेवा खंड खोल रही है वे आज तक जितने भी खोले गये हैं या तो किसी एम. एल. ए. की सिफारिश से या खुद की कोन्स्टीटयुएन्सी में खोला गया है। यह नहीं देखा गया कि कहां पर लोग इसमें काम कर दिखावेंगे और जो रुपया हजारों की तादाद में लेप्स होता है वह लैप्स न हो और काम में लगे मगर वे राष्ट्रीय सेवा खंड या तो एम. एल. ए. की सिफारिश से या अपनी कौन्स्टीटुएन्सी में। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की धांधली बाजी कितने दिनों तक चलेगी? जो लोग एक रुपया दें और दो रुपये का काम बताने के लिये तैयार करके तैयार हों उन गरीब जनता के यहां कोई सेवा केन्द्र नहीं खोला जाता जो खोला जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि आज हमारे मन्त्री महोदय जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे राजस्थान में जो चराई का प्रश्न है उसको हल करें और कहीं पर ८ आ० है और कहीं पर दो आना और कहीं पर एक आना ही प्रति मवेशी है उसको हटाएं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस चराई के प्रश्न को दूसरी गवर्नमेंट बने उसके पहले पहले हल कर लेंगे कि सारे राजस्थान में भैंस की, बकरी की और गाय की चराई यह होगी और वह चराई इन पूरे राजस्थान में एक ही तरह की होगी।

एक बात यह है कि आज भी राजस्थान को बने करीब ६–७ साल हो गये हैं परन्तु आज भी जयपुर डिवीजन के उन काश्तकारों पर इस तरह का अन्याय हो रहा है जो जयपुर के वक्त में हो रहा था। इसमें २५ हजार रुपये करीब आते हैं और इससे भी कम आते हैं जो किसानों पर एक प्रकार का भार है, वह भार अभी भी उन पर लागू है। पहले बजट में भी मैंने श्री चीफ मिनिस्टर और वित्तमन्त्री जी से बताया था कि आज जब राजस्थान में कानून बदलते जाते हैं, राजस्थान में अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून थे उनको नया बनाया जा रहा है तो फिर क्या कारण है कि जयपुर में इन किसानों पर एक आना रुपया भार को सरकार लगा रही है और दूसरी रियासतों में जिस तरह के कानून थे बदल दिये गये हैं? जयपुर के कानून को भी बदलिये। फाइनेन्स मिनिस्टर नोट कर लें कि जयपुर में भी यह भार लग रहा है जो पहले लग रहा था और जो पहले बजट में था और इस बजट में अभी जारी है। तो इस बट्टे की चीज जरूर हटानी चाहिए जिससे कि उन किसानों की हालत सुधरे और उनकी भावना में कोई अन्तर न आये जो कि वह बनाये हुए हैं कि किसी जगह तो उनको टैक्स देना पड़ता है और किसी जगह नहीं देना पड़ता।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

Page No.51

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

साहब अब तो कोई और बोलने वाले नहीं हैं। कम से कम आपको पन्द्रह मिनट तो देने ही होगी।

दूसरी चीज यह है कि जो राजस्थान के अन्दर माइन्स हैं उनकी तो वास्तव में बहुत तरक्की हुई है मगर राजस्थान में माइन्स की ट्रेनिंग का एक भी कॉलेज नहीं है। दूसरे जो माइन्स के फोरमेन हैं और माइन्स के ऊपर जो दूसरे लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से जो एतराज आते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि उस तरह की स्कूलें और कॉलेज खोले जिससे कि उनका ठीक तरह से जवाब दिया जा सके। मैं कहता हूँ कि राजस्थान सरकार को माइन्स की ट्रेनिंग के लिए जरूर कॉलेज आदि खोलने चाहिए। इसके साथ ही जो माइन्स को चलाने वाले आदमी हैं उनको राजस्थान सरकार की तरफ से पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए ताकि वह इसमें तरक्की कर सकें। जितनी भी दिक्कतें इन लोगों के सामने आती हैं उनको राजस्थान सरकार हल करे, इससे कई लोगों को फायदा होगा।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले से कहता आ रहा था कि यहां राजस्थान के अन्दर केवल बड़े बड़े आदमियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती हैं बिल्कुल ठीक बात है। मैं देखता हूं कि अभी इस बजट में छोटे कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है मगर उसको हम बढ़ोतरी नहीं कह सकते। आपने हर साल बजट के मौके पर यह आश्वासन दिया कि हम इसके लिए सोच रहे हैं और कहा करते थे कि अगले बजट में हम इसके लिए अवश्य कुछ करेंगे और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायेंगे, लेकिन इसमें कभी कुछ नहीं हुआ। हां, पांच रुपये जो अभी बढ़े हैं वह क्यों बढ़े हैं? इनके बढ़ने का क्या कारण है? यह भी नहीं बढ़ते तो कोई बात नहीं थी। जब कि दूसरे, कमिश्नर्स और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन और हाईकोर्ट के जजेज़ और जो दूसरे डाइरेक्टर्स और सेक्रेट्रीज हैं इनकी तनख्वाहें 'ए' स्टेट के बराबर कर दी गई हैं, तो क्या कारण है कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें इन 'ए' स्टेट के बराबर नहीं की गई, हमारा स्टेट अब 'ए' स्टेट है और आफिसरों की तनख्वाहें दूसरी 'ए' स्टेट के बराबर हैं तो फिर छोटे कर्मचारियों की भी आपको करनी चाहिए थी। जब आप यह काम नहीं करते हैं तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यह कहना कि हम समाजवाद कायम करना चाहते हैं, हम आदर्श समाज की रचना करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं बराबर पुकारता था कि जो पाप करेगा वह फूटेगा और बेईमानी करेगा वह डूबेगा की मिसाल पूरी तरह से लागू होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन बेचारे पुलिस वालों की हालत सुधारिये और इनकी तनख्वाहें बढ़ाइये, अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो जैसा कि रशिया के अन्दर उस जार के ऊपर दावा किया था उसी तरह से आप लोगों के

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ऊपर यह लोग दावा करेंगे और जो शासन चल रहा है उसको मटियामेट कर देंगे । इस तरह से शासन नहीं चलेगा कि आप बड़े आदमियों की तो तनख्वाहें बढ़ा देते हैं और छोटों की परवाह नहीं करते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण आयन्दा सेशन में दीजियेगा । समय बहुत हो गया है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस तरह का शासन कैसे चलेगा कि 'ए' स्टेट बनने के बाद बड़े आदमियों की तनख्वाह और अपने खुद का जो खर्चा है उसमें कोई कमी नहीं की और वह बेचारे पुलिस वाले जो कि गरीब हैं और उनको ४५) रु० माहवार तनख्वाह मिलती है और उनके ६ बच्चे हैं वह कैसे काम चलायेंगे ? अब आप ही बतायें, वह कैसे बच्चों का पेट पालेंगे ? वह चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ?

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार पांच-मिनट ही बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—अब आप आगे सेशन में बोलियेगा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अच्छा दो ही मिनट बोलूंगा ।

मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह जरूर कह देना चाहता हूं कि जो आज अनाज की दुकानें खुली हुई हैं, उनसे लोगों को कोई सुविधा नहीं है । दुकानें भी कम तादाद में खुली हुई हैं इससे वहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और भीड़ अधिक होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है । तो मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इतना तो काम कर दें कि पहले उनको अनाज मिले जो कि कम तनख्वाह पाने वाले हों और दूसरों को बाद में मिले । कम से कम उन लोगों के लिए इतना तो कर दें, तो वास्तव में सभी आपको धन्यवाद देंगे । सरकार ने जैसा काम लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों की एज्युकेशन के लिए किया वैसा ही अनाज के लिए काम कर दिया जाय तो लोगों को जो दिक्कतें अभी पेश आ रही हैं वह न आवें । इतना तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जरूर एलान कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है कि अनाज लोगों को ठीक तरह से मिले और जनता के लिए जो सस्ते भाव की अनाज की दुकानें खुली हैं उनका भी ठीक इन्तजाम हो जायगा तो मैं सरकार को अत्यन्त धन्यवाद दूंगा । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जो कुछ भी आप काम करें वह ईमानदारी के साथ करें। जब ईमानदारी से काम होगा तब ही शासन चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा।

जय हिन्द।

श्री गौरीशंकर आचार्य—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर विरोधी दल के सदस्यों द्वारा और इधर के सदस्यों द्वारा काफी प्रकाश डाने पर भी दो चार बातों पर मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि अब तक इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि हमारी सरकार का काम सही तौर से आंका जाय तो एक काम इसने बहुत ही अच्छा किया है। हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हैं वे काफी अरसे से चल रही थीं और ये संस्थायें अधिकतर सेठों के पैसों से चलती थीं और वही इनको पैसा दिया करते थे। लेकिन अब सेठों के पास से भी पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए इनका काम बहुत ही परेशानी से चल रहा था। अब इसके लिए मुझे खुशी है कि हमारी वर्तमान सरकार के सम्मुख आर्थिक परेशानियां होते हुए भी इन सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता मिल रही है। आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी सरकार ने जो यह सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता देने का कार्य किया है वह वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। मैं उस कमेटी का सदस्य था, इस कारण मुझे मालूम है कि वित्त की ओर से हमारे वित्त सचिव कितने परेशान थे और वह कहते थे कि सहायता नहीं दी जा सकती, मगर फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरह से इन सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता दी है इसके लिए हम कमेटी को धन्यवाद देते हैं।

दूसरी बधाई जो मैं सरकार को देना चाहता हूं वह कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बारे में है। यह जो सौ रूपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पांच रूपये की बृद्धि हुई है यह उचित है और विरोधी दल का यह कहना कि इस रूप में और भी अधिक बृद्धि की जाती तो अच्छा था, यह बात मैं नहीं मानता। मगर मैं आपको यह बता दूं कि अगर हमारी राजस्थान सरकार और भी इसमें अधिक बृद्धि कर देती तो फिर और दूसरी स्टेटों के लिए भी एक मिसाल बन जाती और भारत की दूसरी स्टेटों को भी यह करना पड़ता। किन्तु हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे कि कोई गलत काम हो जाय। इन दो बातों पर मुझे सरकार को खास तौर से बधाई देनी थी।

इसके अलावा मुझे कुछ थोड़ी सी शिकायत भी है। किसी मद में अधिक खर्चा किया जाय, यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन जिस मद में जितना रुपया खर्च किया जाय उसके अन्दर यह भी देखना चाहिए कि उस पैसे का जो कि उस मद में रखा गया है सदुपयोग भी हुआ या नहीं? इसके विषय में जहां तक शिक्षा विभाग का संबन्ध है हमारे राष्ट्रपति से लेकर छोटे से

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

छोटे आदमी हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति की आलोचना करते हैं और इस शिक्षा पद्धति के लिए कहा जाता है कि यह राष्ट्र में बेकारी बढ़ा रही है, राष्ट्र का सर्वनाश कर रही है, नौजवानों के चरित्रों को भ्रष्ट कर रही है, इतनी आलोचनाएं होते हुए भी हम इस पर अधिक रुपया खर्च किये जा रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग भी हो रहा है ? यह मुझे उचित खर्च नहीं मालूम होता । हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए, इसके लिए किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए । इस विषय में यह कह देना अनुचित नहीं होगा, कि हमारे पिछले शिक्षा मन्त्री मास्टर श्री भोलानाथ जी ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाई थी और उसने एक योजना भी पेश की थी, लेकिन वह योजना भी खटाई में पड़ गई । इस योजना को बनाने के लिए जब हम आते थे और उस पर जो खर्चा होता था और उसके जो पैसे सदस्यों को मिलने वाले थे वे भी खटाई में पड़े हुए हैं । मेरा इतना ही कहना है कि हमें शिक्षा के बारे में क्रान्तिकारी कदम उठाना है और भारतवर्ष को शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति की ओर ले जाने वाला कदम अगर हमारी सरकार उठाती है तो उसको इस प्रकार श्रेय हासिल करना चाहिये ।

चिकित्सा के बारे में और राष्ट्रीय चिकित्सा के बारे में हमारी सरकार की उदासीन वृत्ति रही है, इसके लिये मुझे खेद है कि,हमारा राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा के लिये प्रसिद्ध रहा है और उसमें भी खास तौर से जयपुर का नाम हिन्दुस्तान में भी प्रसिद्ध रहा है; जयपुर में आयुर्वेद कॉलेज था लेकिन आज उसका नाम निशान नहीं, न उसकी बिल्डिंग ही है । वहां पर पढ़ाई का भी उचित प्रबन्ध नहीं है । आज हमारी राष्ट्रीय सरकार होते हुए भी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का यह हाल है । आखिर अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो फिर कब दिया जायगा ?

मैं राजनीति का छात्र रहा हूँ । राजनीति में वही सरकार अच्छी समझी जाती है जिसके प्रयत्न ऐसे हों, जिसमें शासन संचालन पर कम खर्चा हो, पुलिस पर कम खर्चा हो, लेकिन आज हम हमारा बजट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पुलिस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और प्रशासन पर भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं इससे असफलता ही आंकी जायगी । यह ठीक है, आप शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सहकारी समितियों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब आप पुलिस और प्रशासन पर ज्यादा खर्चा दिखाते हैं तो यह राजनीति का उसूल है कि उस सरकार को अच्छी सरकार नहीं कहा जा सकता । आपको चाहिये कि आप ऐसा कार्य करें जिसमें पुलिस और प्रशासन पर कम खर्चा हो ।

इसके अलावा मैं विशेष तौर से एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक समझता हूँ । आम जनता को हम हमारे प्रान्त में दो स्थलों पर देखते हैं । एक तो तीर्थ स्थानों पर और दूसरा मेलों के अवसरों पर । इस बजट को देखने से पता चलता है कि तीर्थ स्थानों के लिये

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

कोई योजना नहीं है जिसके लिये खर्च रखा गया हो। अगर हम राजस्थान के तीर्थ स्थलों को समृद्धिशाली बना देते हैं तो हमारे राज्य की आमदनी भी बढ़ सकती है और आम जनता का जीवन स्तर भी उन्नत हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम मेलों के अवसर पर जनता को शिक्षित करने का कार्यक्रम बनायें तो हम जनता को काफी उन्नत कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमारे हाथ में एक जगह का शासन था उन दिनों हमने हमारी रियासत में मेलों के अवसरों पर जनता में शिक्षा की एक विचारधारा फैलाई थी और हमें उसमें काफी सफलता भी मिली थी। जहां तक तीर्थ स्थानों के उन्नत करने का सवाल है, हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जिनको उन्नत कर हम राज्य के कोष को बढ़ा सकते हैं और जनता के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। मुझे अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन आदि तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां जाने से ही आदमी का इतना ज्ञान बढ़ जाता है, वह विद्वान भी हो सकता है। ऐसे ऐसे स्थान भी देखे हैं जहां लोगों ने जाकर प्रचुर ज्ञान हासिल किया है। अगर हम भी राजस्थान के तीर्थ स्थलों पर उचित विकास कर सकें तो हम भारतीय संस्कृति की जो आत्मा राजस्थान में अन्तर्निहित है उसको हम उन्नत कर सकेंगे। इससे राजस्थान का सम्मान बढ़ेगा और इस राज्य के रहने वालों का आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठेगा।

हमारे देहातों में मेले लगते हैं और काफी मात्रा में लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार इसमें उपेक्षा वृत्ति बरत रही है। आज हमें चाहिये यह कि हम देहाती मेलों के अवसरों पर जनता में जांय और उनको यह बताये कि वास्तव में स्वराज्य हमारे यहां आ गया है। आज हमारी देहात की जनता को यह बताना आवश्यक है कि हमारे यहां गांधीजी का स्वराज्य आ गया है, आम जनता हिन्दुस्तान की जिस स्वराज्य को चाहती थी वह आ गया है। जिसका लक्ष्य है देहाती जनता की सेवा करना। आम जनता को मालूम कराने का यही अवसर है, ऐसे अवसरों पर ही शिक्षा के वास्ते भी विशाल प्रबन्ध करना चाहिये। हमने भी अपने यहां जब हमारी सरकार थी, हमने भी देहाती मेलों की अच्छी व्यवस्था की थी जिसमें जनता को शिक्षित करने की व्यवस्था की थी; उसी के आधार पर हम जनता में क्रान्तिकारी विचार-धारा पैदा कर सकते हैं। आम जनता में फैलाने के यही अवसर होते हैं। देहाती जनता के अन्दर जब तक हम स्वराज्य की भावना जाग्रत नहीं कर पायेंगे तब तक हम सही मायने में गान्धी के स्वराज्य की कल्पना नहीं कर सकते।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मुझे आचार्य कौटिल्य का एक उद्धरण याद आता है। जब किसी राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाता है, अगर उसे उस राज्य की सरकार रोक नही सकती तो वह सरकार, सरकार कहने लायक नहीं होती। अगर जनता में भ्रष्टाचार फैलता है तो यह माना जाता है कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अगर तमाम जनता में भ्रष्टाचार फैला हुआ होता है, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ होता है तो उसकी जिम्मेवरी किसके कन्धों पर होती है? आचार्य कौटिल्य के मतानुसार राजनीति शास्त्र के अनुसार शासक वर्ग उस जिम्मेवारी से अलग

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

नहीं हो सकता। आचार्य कौटिल्य के मतानुसार यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैल जाता है तो उसका एक ही इलाज है, वह यह कि शासक वर्ग इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये गुप्तचर का काम करें। किंवदन्तियों में आपने सुना होगा, विक्रम आदि राजा लोग गुप्तचर के रूप में घुमा करते थे और वे देखते थे कि कहां कहां भ्रष्टाचार होता है। हमने आज तक नहीं देखा और नहीं सुना कि हमारे मंत्री लोग कभी वेष बदल कर घूमते हों। यह राजनीति के अनुसार बहुत आवश्यक है कि अगर आप अपने राज्य शासन के भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आप गुप्तचर बनकर कार्य करें।

इसके अलावा मैं एक बात और कहे बिना नहीं रह सकता, वह है, हरिजनों के लिये। आज तक हम हरिजनों के निवास की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। जिस कांग्रेसी शासन में हरिजन सोचते थे कि हमारे रहने के लिये अच्छी व्यवस्था होगी किन्तु आज हम एक तरफ देखते हैं जयपुर में आलीशान इमारतें बन रही है, लेकिन हमारे कांग्रेसी शासन को चाहिये कि जहां हम और भवनों के निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं वहां हमें हरिजनों की भी कोलोनी पक्की बना देनी चाहिये, तभी हम गांधीजी के स्वप्न को सही कर सकते हैं। गांधीजी चाहते थे कि हरिजन कन्या राष्ट्रपति बने। आज आप इनके लिये राष्ट्रपति भवन की सैर नहीं करा सकते तो कम से कम इनके निवास के लिये पक्के मकान तो बनवा दीजिये। आपके यह करने पर गांधीजी की स्वर्ग में बैठी हुई आत्मा आपको धन्यवाद देगी, उनकी आत्मा सन्तुष्ट होगी जो वे यह चाहते थे कि भारतवर्ष का सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति हरिजन कन्या हो। आज हम देखते हैं कि हरिजन तमाम गन्दगी साफ करने के बाद भी उसको टूटी फूटी झोपड़ी नसीब नहीं।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो समाज का निर्माण करती है। लेकिन आज जो शिक्षा देने वाला वर्ग, शिक्षक वर्ग जो है उसकी हालत पर हमें तरस आता है। आज हमारे यहां शिक्षकों का वेतन इतना नीचा है जिसके लिये हमारे राष्ट्र के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि मुझे शिक्षकों का वेतन देखकर रोना आता है। मैं सोचता हूँ, रोना तो हमारे सभी शिक्षा मंत्रियों को आता होगा, वह रोना केवल रोने तक ही सीमित नहीं रहता उसके लिये कई उदाहरण भी पेश किये गये हैं। आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से लेकर एक मामूली शिक्षा शास्त्री भी आज की शिक्षा पद्धति की आलोचना करता है, किन्तु इसको बदलने की ओर कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा पा रहा है। आज हम शिक्षकों के वेतन को देखकर रोते हैं. लेकिन हम इस ओर क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। विभिन्न सूबों में भी शिक्षकों के वेतन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मेरा, हमारी कांग्रेसी सरकार से निवेदन है कि वह इस ओर क्रान्तिकारी कदम उठाकर देश को मार्ग बतावे। यही सुझाव पेश कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल और आज की बहस के दौरान में करीब करीब हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, जो बातें कहीं उन्होंने ज्यादातर महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर जोर दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो पांच रुपये ग्रान्ट दी गई है, वह बहुत कम है उसे ज्यादा बढ़ाना चाहिये था। इस सिलसिले में कई तरह की बातें इस सदन में आई हैं; मैं यह सोचता था अध्यक्ष महोदय, इन पांच सालों के शैशव काल में इस सदन ने जो परम्परायें डाली थीं उन परम्पराओं को हमारे माननीय सदस्यों ने आज आखिरी दिन तोड़ा है। अगर हमने अपनी बोलचाल में, अपने तरीकों में यदि इस प्रकार की परम्परायें जारी रखीं तो हम आने वाले जमाने के लिए उपयुक्त परम्परायें स्थापित नहीं कर पायेंगे। जमवा-रामगढ़ से आये हुए एक माननीय सदस्य ने इस बार बहुत जोरदार तकरीर की जो सदन की सारी परम्पराओं से परे थी। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का भरसक प्रयोग किया जो इस सदन में नहीं कहे जाने योग्य थे। वे भी हमने सुने क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां कुछ भी कहने का हर माननीय सदस्य को हक है। ये यह समझते रहे हैं कि उनका यह परम्परा गत अधिकार है कि जितनी भी गलत बातें हों वे लाकर सदन में सुनायें और सदन ने उन बातों को हंसते हुए सुना इससे सदस्यों का मनोविनोद जरूर हुआ किन्तु सदन की परम्परा उन्होंने नहीं निभायी। मैं तो यह सोचता था कि माननीय सदस्य होली के मूड में हैं शायद अभी तक उन पर यही मूड बना हुआ है जिसप्रकार होली में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार उन्होंने अपने भाषण में यहां किया।

लेकिन मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है, कि उनको इन शब्दों के प्रयोग से चाहे बाहर चुनाव लड़ने में फायदा नहीं हुआ पर यहां थोड़े सदस्यों का और इस सदन का मनोविनोद जरूर हुआ और इसमें उनको भी हंसने को कुछ मिला।

जो बातें इस सदन में कही गई हैं उनका सिलसिलेवार जवाब तो मैं दूंगा ही पर अनावश्यक बातें जो कह दी गई हैं उनके बारे में निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि आज भी मैंने और सदन ने उनकी बातों को होली मूड में ही लिया है और यहां उनके प्रिय मुख से जो बौछारें हुई हैं इसके लिए उनका अभिनन्दन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे अपनी जिन्दगी में इसी तरह से होली मूड में ही हमेशा बोलते रहेंगे, ताकि लोगों पर इसी तरह का असर हो जिससे: चाहे मैं दुबारा इस सदन में आऊं या नहीं, पर वे तो कभी इस सदन में नहीं आ सकें और वे नहीं आ सकेंगे यह तो वे विश्वास रक्खें।

जो खास मुद्दा, अध्यक्ष महोदय, बहस का इस सदन में रहा है वह वेतन स्केल के बारे में है और माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे यहां का वेतन स्केल बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने हमेशा इसी भावना से काम किया है कि निम्न कर्मचारियों की हमेशा तरक्की होती रहे और इस दिशा में काफी प्रयास भी किया है। थोड़े दिनों पहले, गत वर्ष, जब हमनें अपनी वेतन स्केल को दरों को रिवाइज़ किया था, रेश्योनेलाइज़ किया था उस वक्त भी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इस चीज को ध्यान में रक्खा था और जो घोषणा हम ने की थी वह किसी अच्छी स्टेट से कम नहीं था। आज भी महंगाई बढ़ाने की जो घोषणा की है वह भी उत्तर प्रदेश के बराबर की है और यदि मैं आंकड़ों से बताऊं तो सदन को विश्वास हो जायगा कि हम आज आगे ही हैं। यू.पी. मध्य प्रदेश या और किसी पार्ट ए स्टेट से मुकाबले में हम पीछे नहीं हैं।

मैं सबसे पहले यहां के एल.डी.सी., टीचर्स या कॉन्स्टेबल हैं उनके ग्रेड पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और यह बताना चाहूंगा कि हम उनके मुकाबले में हैं। हमारे यहां एल. डी. सी. का सेक्रेटेरियट में ग्रेड है ६०। ४। ८०। ५। १०० ई. बी. ५। १३० और १५) स्पेशल पे जब कि यू. पी. में स्पेल पे नहीं मिलते हुए ८०। ६। ११०। ६। १४० है और इससे नीचे के क्लर्क को मिलता है ६०। ४। ८०। ५। १२० और आउट साइड सेक्रेटेरियट मिलता है ६०। ४। १००। ५। १६०। तो इस तरह से ६०) स्टार्ट हमारे यहां भी होता है। महंगाई भत्ता यू. पी. में जो मिलता है वह यहां मिलता है।

इसी तरह से कॉन्स्टेबल को लीजिये। हमारे यहां ३०।१।५० है यू. पी. में ३०। १। ४५ बेसिक पे है। पटवारी की बेसक हमारे यहां ४०। १। ६० है और उनके यहां यू०पी० में ३५। १।५५।

तो इस तरह से जब यू०पी० से हम अपने कर्मचारियों का मुकाबला करते हैं तो हम यह मानते हैं कि जहां हमारे यहां कमसे कम मिलता है वह भी यू.पी. के मुकाबले में है। महंगाई अलबत्ता उनके मुकाबले में कम थी और इसलिये इस बार यह निर्णय किया कि ५) की वृद्धि की जाय जिससे यू. पी. के मुकाबले में इस माने भी हो जाए। तो हम आज यह कह सकते हैं राजस्थान और यू. पी.वेतन स्केल और महंगाई भत्ते दोनों में बराबर हैं बल्कि कई जगहों के हमारे वेतन स्केल उनसे ज्यादा अच्छे हैं।

इतना करने के बाद भी अगर यह कहा जावे कि हमने कुछ नहीं किया या आगे नहीं बढ़े तो मैं उनकी समझ को दाद देता हूं। आज हमने क्या किया है इसका प्रत्यक्ष सुबूत तो यह है कि आज कांग्रेस बहुमत में चुनावों में जीत कर यहां आई है। यह इस बात का सुबूत है कि कांग्रेसी सरकार ने जो किया है वह जनता की भलाई के लिये किया है और इस तरह जनता का विश्वास सम्पादन किया है जिसके प्रत्युतर में जनता ने वापिस कांग्रेस को बहुमत में चुनकर यहां भेजा है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पंच वर्षीय योजना का कोई फल नहीं हुआ, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इसके साथ उन्होंने यह भी मांग की कि इसके लिए पे कमीशन की

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

नियुक्ति की जावे। मैं निवेदन करूं कि पे कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्त वक्त पर सरकार ने स्वयं इस पर विचार किया है और विचार करके जैसी भी सरकार की हैसियत रही, ज्यों ज्यों सरकार के पास आर्थिक साधन बढ़ते गये त्यों त्यों कदम उठाये हैं और ये कदम उठाने में राजस्थान सरकार कभी भी पीछे नहीं रही है। इस सिलसिले में मैं अपने उन साथी सदस्यों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने वक्तन-फवक्तन काफी अच्छे सुझाव दिये जिससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ है और जिन्हें सरकार भी आसानी से कार्य रूप में बदल सकी है। आज भी हमारे माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक अच्छे सुझाव दिये हैं उनका स्वागत करते हैं और यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी। जो अच्छे सुझाव हैं वे हमेशा स्वागत करने योग्य हैं। पर जो बातें दूसरों को नीचे गिराने की नीयत से कही जाती हैं वे कभी प्रशंसनीय नहीं कही जा सकतीं और न कोई भी कदम उस पर उठाया जा सकता है। वे तो केवल इस नीयत से कही जाती हैं कि हमें दूसरों की निगाहों में गिराया जावे। हमारे माननीय सदस्य यह भूलेंगे नहीं कि यदि उनका काम नहीं होता है, उनके रिश्तेदारों का सवाल आता है और उस पर उनकी सिफारिश नहीं मानी जाती है तो नहीं मानने वाला अमुक मन्त्री बुरा है और मान लेता है तो अमुक मन्त्री अच्छा है। चाहे फिर जायज हो या बेजा उनकी सिफारिश हो। ऐसी बेजा बात से मानने से इन्कार करने वाला मन्त्री बुरा हो गया, बेईमान और रिश्वतखोर हो गया उनकी नजरों में, आते हैं इस सदन में तो फलोर क्रास करके एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं यह सोच कर कि शायद उधर जाने से अधिक फायदा मिले। शायद मेरे एक माननीय सदस्य भी इसी नीयत से उधर से इधर आये थे पर जब देखा कि इधर तो सभी बराबर हैं, न किसी का पक्षपात किया जाता है न विरोध, जो सही और न्यायपूर्ण बात होती है वही की जाती है, इस सदन में जितने भी बैठते हैं सब के साथ एक तरह का समान व्यवहार होता है तो फिर इधर से उठकर उधर ही चले जाते हैं इस नीयत से कि गाली निकालने में ही फायदा है, चलो उधर ही बैठें। तो इस नीयत से क्लास लोअर करके आते हैं तो उनको फायदा है। क्योंकि एक परम्परा रही है और इस तरफ बैठने वाले उसको मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन वे भूल गये, छोटा दिल है, छोटा दिमाग है सोचने का तरीका अलग है और एक संकुचित मनोवृत्ति से या दूषित मनोवृत्ति से सोचते हैं, उनका दिमाग उस तरफ जाता है और जाना चाहिए और अब तो मौका है। इस सदन में तो मौका नहीं है क्योंकि उनके लिए माणक चौक की चौपड़ खुली है, यहां तो प्रोटेक्शन है। वहां बाहर चौपड़ पर जाकर कहे तो मजा भी मिले। कह दिया कि मोरिजा की खानों से तीन लाख की कमाई हुई और उसको आसपुर के चुनावों में खर्च कर दिया, हालां कि मोरीजा की खानों का केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा है। उन्होंने कह दिया मजेदार काम हुआ और कह दिया कि आसपुर में तीन लाख का खर्चा हुआ। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आगे आकर कहें। उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। वे इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है, समझते हैं कि इस सदन में सुरक्षित हैं और कुछ भी कह सकते हैं और कहते हैं, जिस तरह से ये बातें कहते हैं कि करोड़ों रुपया कमा लिया, बंगले बन गये, अरे भाई......

Page No.60

श्री मानसिंह महार—बंगले कहां से बने, जरा यह तो बताइये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने निवेदन किया क्योंकि एक स्पेसिफिक बात कही गई है इसलिए उत्तर देना जरूरी है। यह कह दिया कि मोरीजा की खानों से करोड़ों रुपया ले लिया, मैं निवेदन करूंगा कि वे इसको साबित करें, मैं यही कहना चाहूँगा।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, उन खानों को कौन रख......

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री मानसिंह महार—यह गलत बात कही है।

श्री अध्यक्ष—Order please ! जबाब देने दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिस वक्त माननीय सदस्य बोलते हैं तो चाहे दूसरे चुपचाप सुने जायं वे समझते हैं कि उनके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। उनको चुप रहना चाहिए, दूसरे भी बोल सकते हैं, उनके पास तथ्य नही हैं लेकिन हमारे पास आधार है।

दूसरा यह कहा गया कि माइनिंग से आमदनी बढ़ाने के बजाय आज हम देखते हैं कि कम आमदनी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद हमारे माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स लागू हैं, उसके बाद माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स लागू हुए हैं। मिनरल रूल्स लागू होने से पहले १६—२० रोयल्टी लेते थे, उसको कम करना पड़ा। माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत जो पत्थर पर रोयल्टी वसूल की जाती थी उसको कम करना पड़ा। इससे किसानों को और दूसरे लोगों को लाभ पहुँचा है, तो आमदनी उससे बढ़ नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी जहां तक आमदनी का ताल्लुक है, जितने कन्सेशन दिये गये हैं, वह घटी नहीं है, बढ़ी है और ज्यों ज्यों निरन्तर काम धन्धे बढ़ते जावेंगे खनिजों का विकास होता जावेगा, वहां आमदनी भी बढ़ती जावेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि खानों के बारे में कोई एन्स्टीट्युशन नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद उनको मालूम नहीं है, वे अभी चले गये हैं, राजस्थान में एक माइनिंग कॉलेज है और रेगुलर शिक्षण उसमें शुरु हो गया है।

हमारे माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने आज सदन में यह बात रखी कि १.८ करोड़ रुपयों की जो आमदनी बताई गई है उसके लिए अब तक कुछ नहीं बताया गया कि किस तरह से आमदनी होगी, और यह एन्टीसिपेटेड मान कर घाटे को पूरा किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बारे में स्पष्ट है कि १.८ करोड़ के हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, प्लानिंग कमीशन यह मानकर चलेगा कि १.८ करोड़ की आमदनी हमको बढानी पड़ेगी और उस पर सारा प्लान बेस्ड है। तो यह तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कि किस तरह से आमदनी बढ़ाये और जो कुछ सुझाव हैं, विचारधारा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वे उन पर विचार करेंगी। किसी तरह आमदनी खड़ी करके १.८ करोड़ के रिसोर्सेज़ लाने पड़ेंगे और उनको बजट में जैसा एन्टीसिपेट दिखाया गया है, करना पड़ेगा वर्ना उन रिसोर्सेज़ के बिना सफर करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया और उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दूं। उन्होंने कहा कि मोटर स्प्रिट टैक्सेशन के अन्तर्गत विचार करते हैं तो जो केरोसीन पॉवर पैदा करता है, डीज़ल ऑइल पॉवर पैदा करता है उन सब चीजों पर टैक्स वसूल नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट के अन्तर्गत वसूल नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह मामला विचाराधीन है। यह डिस्प्युटेड मामला है कि ये सारी चीजें मोटर स्पिरिट टैक्सेशन एक्ट के अन्तर्गत आती हैं या नहीं। लेकिन यह डेफीनिट है कि जहां तक डिज़ल ऑइल का ताल्लुक है टैक्स की उसमें वृद्धि की है और पहले से अधिक आमदनी होने लगी है।

इन्हीं माननीय सदस्य ने सदन को, जिन्हें फ्री ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। यह बात पहले ही सदन में आ चुकी है और निवेदन करूंगा कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर का जहां तक ताल्लुक है इनको कवेनेन्ट के मुताबिक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, यह कितनी फ्री हो, आखिर कोई हद होनी चाहिए। कभी एक लाख की खर्च करते हैं तो क्या दो तीन लाख को कर सकते हैं? तो यह करना जरूरी था कि किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाय। तो इस पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आपस में विचार-विमर्श करके यह तय किया कि कोई हद होनी चाहिए और यह किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो कन्ज्यूम करते हैं और खर्चा होता है उसका १० पर्सेन्ट फ्री दें और अधिक होगा तो उनको देना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे रूल्स का भी है और यह आगे जाकर समझौता हुआ है। दो साल के बाद यह जो इलेक्ट्रिसिटी है वह उनको ८ पर्सेन्ट के हिसाब से उनको माफ करेंगे।

इसी तरह से इन्हीं माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि उदयपुर के महाराणा को चेरिटी के लिए २ लाख रुपये का जो अलाउन्स दिया है वह भी गलत हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि कोवेनेन्टिंग स्टेट उदयपुर में पांच लाख रुपया दिया था जिससे कई विधवाओं का और असहाय लोगों का पेट पलता था। आज अगर यह बन्द कर दिया जाता तो जितने लोग इन पर डिपेन्ड करते थे, उनके लिए दूसरा कोई जरिया नहीं था और भारत सरकार के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि दो लाख चेरिटी का रखा जाय और उसी आधार पर यह प्रोविजन इस बजट में किया गया है, जो मैं समझता हूं वाजिब चीज है और उन लोगों के हित में हैं जो असहाय हैं, निर्बल हैं और विधवायें पेट पालती रही हैं।

उन्हीं माननीय सदस्य ने बुक्स के टेन्डर के बारे में भी यहां पर चर्चा की। जो फेक्ट्स बताये हैं मैं उस बात की जांच करूंगा और यह निश्चय रखें कि जो भी मुनासिब कार्यवाही हो सकेगी उस विषय में की जायगी। कोई भी सरकारी रुपये का वेस्ट यह गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती है,

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

जो भी ऑर्डर दिया जाय उसके मुताबिक चीज़ें सप्लाई हों । उसके अन्दर कोई खराबी हो, कोई शिकायत हो तो मुनासिब जांच की जायगी । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि के किताबों का जो ऑर्डर दिया हुआ है वही किताबें सप्लाई होगीं, बाकी किताबें रिजेक्ट कर दी जायंगी, जो पुरानी पड़ी हुई हैं उनके स्टॉक को देखा जायगा । यह नहीं हो सकता है कि पुराने एडीशन की सप्लाई की गई हों और दाम नये एडीशन के दिये जायं ।

उसके बाद हमारे माननीय मित्र जो अजमेर से तशरीफ लाये हैं उन्होंने एक बात कही है, और उन्होंने कल की घटना के बारे में कहा है कि उनका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के क्लर्क ने बगैर पैसा दिये काम नहीं किया है, हालांकि उन्होंने दिया नहीं है । हम इस बात को देखेंगे कि क्या वजह है, क्योंकि कोई बात अगर उन्होंने कहीं है तो उसकी जानकारी करना बहुत आवश्यक है और उनको इस बात से सन्तोष होगा और उन्हें बताया जायगा कि वास्तव में क्या स्थिति है ? उनको कॉपी क्यों नहीं मिली है ?

उन्होंने जो सुझाव डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के बारे में दिया है सरकार उन पर विचार करेगी और निर्णय देगी ।

एक हमारे जोधपुर से आने वाले दूसरे माननीय सदस्य ने जोधपुर में शिक्षा के ऊपर खर्च जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बताया है । वैसे जोधपुर का जहां तक संबन्ध है वहां गर्ल्स कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है । उसका निर्माण प्रारम्भ हो गया है । जोधपुर में एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है काफी खर्चा हो रहा है । उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं रह सकती ।

हमारे संस्कृत प्रेमी माननीय सदस्य ने संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए जो सुझाव दिया है उसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उस पर भी विचार करेगी । सरकार द्वारा संचालित संस्कृत पाठशालाओं और संस्कृत के अध्यापकों के जो ग्रेड्स हैं उसमें किसी तरह की विभिन्नता नहीं है । उनको भी रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स में लेने की वजह से कुछ अध्यापकों के ग्रेड में फर्क जरूर हुआ है, लेकिन उनको दूसरे टीचर्स के समान ही माना गया है ।

हमारे टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने बनास ब्रिज पर जो टैक्स लिया जाता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, और, मैं समझता हूं, सरकार इसके ऊपर विचार करेगी, क्योंकि वह टोंक स्टेट के जमाने से चला आ रहा है । यह आमदनी का जरिया टोंक के जमाने का था । अब क्या पोज़ीशन है और आपने जो सुझाव दिया है वास्तव में ठीक है या नहीं, उसकी जांच करके जो कुछ भी सरकारी निर्णय होगा उससे उनको अवगत किया जायगा ।

इर्रिगेशन रेट्स के बारे में आपने बताया है, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है इर्रिगेशन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

की विभिन्न दरें मुकर्रर होती हैं। वह फसल के मुताबिक होती हैं। गन्ने की फसल की ज्यादा रेट्स होती हैं, गेहूँ की कम होती हैं। कपास की अलग रेट्स होती है, जीरे की अलग रेट होती है। इस प्रकार से अलग अलग रेट्स होती हैं, फसल के मुताबिक अलग अलग रेट्स होती हैं। किसी भी फसल को कोई भी करें किन्तु बीघे के हिसाब से रेट्स मुकर्रर नहीं किये जा सकते हैं। शायद टोंक में यह अमल रहा हो कि चाहे कोई भी फसल हो वही वाटर रेट होगा। यह सिस्टम अवैज्ञानिक है। सारे राजस्थान में जो मौजूदा तरीका है वही अपनाना पड़ेगा। अगर वास्तव में किसानों का उससे नुक्सान हुआ हो या उनके साथ ज्यादती हुई है तो अवश्य विचार किया जायगा।

एक हमारे माननीय सदस्य ने यहां राजस्थान में जो ग्रेज़िंग फीस ली जाती है उसके बारे में सवाल उठाया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में विभिन्न दरें हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म की दरें हैं। वे क्षेत्र ही अलग अलग हैं। जहां कहीं रेगिस्तान है वहां की दरें अलग हैं। जो पहाड़ी इलाका है, जिनके यहां पहाड़ ही पहाड़ हैं तो अलग दरें हैं। उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बिठाई है। उसकी रिपोर्ट के आने के बाद उस पर अमल किया जा सकता है।

ग्रेन शोप्स के बारे में और उनकी सप्लाई के बारे में कहा गया है। यह तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को बता दिया गया है कि ग्रेन्स की सप्लाई और उसके स्टॉक्स को ठीक किया जायगा और जो स्टॉक्स बहुत कम हैं उनकी व्यवस्था ठीक की जायगी, उन शोप्स को बढ़ाया जायगा। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। नाज के गोदाम ठीक बनने वाले हैं। यह कोशिश की जायगी कि अनाज के भाव ज्यादा नहीं बढ़ें और लोगों को ठीक दाम पर वह अनाज मिलता रहे।

एक हमारे माननीय सदस्य ने वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं होने का प्रश्न किया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है और चल रहा है और दिनों-दिन हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होता जा रहा और वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो आज तक चली आ रही है कुछ अर्से में देखेंगे कि वह बिल्कुल पलट दी जायगी और आज जो ऑल इंडिया पोलिसी बनी है, उसके मुताबिक राजस्थान सरकार अपनी शिक्षा पद्धति को आधारित करती है और वह सारी की सारी शिक्षा पद्धति उन्हीं के सिद्धान्तों के अनुसार चलाई जायगी।

एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के एक्सपेन्डीचर को कम करने के बारे में माननीय मित्र ने सुझाव दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रोपोर्शन से हमारी पब्लिक युटिलिटि सर्विसेज़ का खर्च बढ़ता है यानी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में जिस प्रमाण में खर्चा बढ़ता है, मैं कह सकता हूं कि उसी प्रोपोर्शन में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के खर्चे का बजट बढ़ता है। अगर

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आप प्रोपोर्शन को देखेंगे तो खर्चे में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो कैसे कह सकते हैं कि पुलिस का खर्चा बढ़ता जा रहा है ? हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे राज्यों के स्तर पर लाने के लिए जो कुछ करना आवश्यक था, उनको इक्विपमेंट देना आवश्यक था उनका युनिफार्म और दूसरी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना लाजमी था। इस तरह से उनकी तनख्वाह कम थी उन तनख्वाहों को स्तर पर लाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष खर्चा इस मद में नहीं बढ़ा है, जिसको अगर मेरे माननीय मित्र बजट को अच्छी तरह से देखते तो पता लगता।

मेलों के बारे में, और यात्रा के स्थानों के विषय में भी आपने जिक्र किया है। मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मेले काफी तादाद में सरकार की तरफ से भराये जाते हैं और उनका इन्तजाम सरकार की तरफ से होता है। राजस्थान में पशु-मेलों में बहुत अच्छे विकास के कार्यों के लिये और जनता में अनेक चीजों की बिक्री के लिये प्रबन्ध किया जाता है तथा और और चीजों के लिये और एज्युकेशन देने के लिये प्रबन्ध किया जाता है। जितने मेले भरते हैं उनमें इस प्रकार की सामग्री होती है और उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्साह लोगों में पैदा किया जाता है। हमारे यहां नागौर का मेला और पुष्कर का मेला प्रसिद्ध है और भी मवेशियों के और दूसरे मेले होते हैं उनमें अच्छा से अच्छा इन्तजाम सरकार की तरफ से होता है और लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से प्लेसेज़ ऑफ पिलग्रमेज हैं उनको भी सुधारने के लिये सरकार निरन्तर कोशिश करती है।

हरिजनों के लिये मकानों की व्यवस्था करने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है: और हम उम्मीद करते हैं कि म्युनिसपेलिटीज़ को लोन देकर और सरकार की ओर से इमदाद देकर हरिजनों के लिये इन्तजाम किया जायगा। हरिजनों के लिये कुछ कोलोनीज़ बननी शुरू हुई हैं और बनी भी हैं। मैं उम्मेद करता हूं कि समयानुसार तथा और और जगह भी इस प्रकार का कदम उठाया जायगा।

शिक्षकों के वेतन के बारे में भी मित्रों ने सुझाव दिया। मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा ख्याल किया जाता है कि हमारे यहां उनका वेतन कम है लेकिन वर्तमान वेतन श्रंखला के अनुसार यह निवेदन करूंगा कि दूसरे और राज्यों के मुकाबले में, जैसे मद्रास और दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले में उनके वेतन आज हैं। ज्यों ज्यों हमारे रिसोर्सेज़ बढ़ते चले जायेंगे, आमदनी बढ़ती जायगी त्यों त्यों अच्छे से अच्छा वेतन देने का प्रयत्न किया जायगा क्योंकि वर्तमान में जो भी आमदनी के जरिये हैं उनसे यह नहीं कह सकते कि आज वर्तमान दरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर सकेंगे, लेकिन ज्यों ज्यों सरकार के राजस्व की हालत बढ़ती चली जायगी, उम्मीद है उनका वेतन भी बढ़ता चला जायगा, और और जगहों के मुकाबले में कम नहीं रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कन्या पाठशालाओं की सेविकाओं को अब भी १५ रु०

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

मासिक वेतन मिलता है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किस जगह इतना कम वेतन मिलता है। इसके बारे में वे मुझे अलग बता देंगे तो अच्छा रहेगा ताकि कोई बात रह गई हो तो उसे ठीक करने की कोशिश की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां जो मुद्दे की बातें माननीय सदस्यों ने उठाई थी उनका संक्षेप में मैंने सदन के सामने जवाब प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे संतोष होगा। यह ठीक है कि मौजूदा बजट जो भी २ वर्ष से चला आ रहा है उसी रनिंग एक्सपेन्डिचर को आधार मानकर और जो भी आमदनी और खर्चे का लेखा तैयार किया गया इसी के अनुसार है और जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि यह रूटीन तरीके का है यह उसी तरीके का है क्योंकि मुझे न तो इससे आगे बढ़ना था और न नई बात ही पैदा करनी थी। यह जिम्मेदारी जो आगे की सरकार होगी उसी की होगी कि कौन कौन से रिसोर्सेज पैदा करने हैं और कौन से खत्म करने हैं और नये टेक्सेज़ क्या होंगे, यह जिम्मेदारी आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन फोर्म करेंगे उनकी होगी। यह उलझन हमको नहीं करना चाहिये था इसलिये नहीं किया गया। इसलिये नई बातें माननीय सदस्यों को इसमें नहीं मालूम पड़ी। इसलिए जिन माननीय सदस्यों को संतोष हो सकता है उनको अवश्य संतोष होगा और कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनको संतोष कभी नहीं हो सकता चाहे इधर हों या उधर उनके लिये सहानुभूति प्रकट करता हूं। इसके साथ ही सब सदस्यों को जिन्होंने आर्थिक अवस्था को सुधारने में सहयोग दिया है या आर्थिक पहलू को मद्दे नजर रखकर हमें आगे बढ़ाने के लिये मदद दी है उनको मैं धन्यवाद देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों का जो सहयोग रहा है उसके लिये उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज इस सदन का अन्तिम दिन है और आज के बाद हम अलग अलग होंगे लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे संम्बन्ध इसी प्रकार बने रहेंगे और हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

मांग संख्या १ से ४२ पर मत-दान

Now I may move motion, Sir, Mr. Speaker, Sir, "That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the schedule of Demands for Grants and Appropriations be granted to the Governor, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1958, in respect of the Heads of demands entered in the Second Column thereof against Demands Nos. 1 to XLII,"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री ब्रजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

राजस्थान एप्रोप्रिएशन (वोट ओन एकाउन्ट) विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापन विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रिएशन (वोट ओन अकाउन्ट) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की सम्मति है कि यह विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

मै प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल को पास (पारित) करवा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

माननीय सदस्यों एवं माननीय अध्यक्ष के विदाई भाषण

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पिछले समय जब हम यहां पर मिले थे ख्याल यह था कि शायद अन्तिम बार मिल रहे हैं और यह समझ कर कुछ शब्दों और भावनाओं का आदान-प्रदान करके हमने उस अधिवेशन को समाप्त किया था लेकिन सौभाग्य की बात है कि माननीय सदस्यों से फिर यहां पर दुबारा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और यह दरअसल में एक ऐसा अवसर है कि जिस समय बहुत कुछ यह पहलू सामने है कि कई माननीय सदस्य दुबारा इस सदन में आकर अपने विचारों का लाभ इस सदन को नहीं दे पायेंगे; कई माननीय सदस्य दुबारा आयेंगे उनका लाभ तो सदन को मिलता रहेगा। पिछले ५ वर्षों में, मैं समझता हूं, इस सदन में जो कार्य हुआ उसके सम्बन्ध में मुझे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में यह पहला मौका था कि जब एक विधान सभा के अन्दर बैठकर संपूर्ण अधिकारों के साथ हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिसका असर राजस्थान के जीवन को कई वर्षों तक आगे बढ़ाता रहेगा। विचार धाराओं में कई बार उतार चढ़ाव आये। वैसे भी बहुत से उतार-चढ़ाव पांच वर्षों में आते रहे लेकिन एक बात निश्चित तौर से कही जा सकती है कि सारी बातों के बीच में भी इस सदन के द्वारा राजस्थान को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया गया और ५ वर्ष पहले जहां हम थे उससे आज हम आगे बढ़े हुए हैं। माननीय सदस्यों के विचारों से कभी एक पक्ष में और कभी दूसरे पक्ष में और कभी कुछ व्यक्तियों के दिलपर ठेस पहुंचने की संभावना हो सकती है लेकिन जनतंत्र के अन्दर स्वतंत्रा पूर्वक विचार करने का जो एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है उससे बहुत से माननीय सदस्यों ने, मैं समझता हूं अच्छी परम्परायें भी डाली हैं और उन परम्पराओं के द्वारा आगे काम करने में लाभ मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनसे दुख हो सकता है। मैं समझता हूं आज यहां से जो भी एक दूसरे से बिदा होंगे उनको दुःख होगा क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर जरूर निवेदन करूंगा कि इस सदन ने काफी कार्य किया और माननीय सदस्यों ने काफी कार्य किया।

मैं यह कहे बिना नहीं रहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आपके संचालन में इस सदन ने जो कार्य किया और जितना सुचारू रूप से काम चलता रहा उस सबके लिए हम सबको गौरव होना

Page No.68

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

चाहिये । मैं इस अवसर पर आपको भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । निरन्तर पांच वर्षों तक आपने इस सदन को चलाने के लिये कई कठिनाइयों के बीच में काफी मार्ग दर्शन किया है । मैं अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर कहना नहीं चाहता लेकिन यह भावना प्रकट करना चाहता हूं कि जो भी यहां रहें वे सब मिलकर आगे की कार्यवाही चलावेंगे लेकिन जो सदस्य यहां नहीं होंगे उनकी स्मृतियां यहां हमारे सामने रहेंगी । मैं आशा करता हूं कि समय समय पर, सदन के अन्दर न रहते हुए भी, जो अनुभव उन्होंने यहां किया है उसका लाभ राजस्थान को मिलता रहेगा । इस अवसर पर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं तो उचित होगा कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई हो जिससे कटुता पैदा हुई तो उन कटुताओं को भूल कर, कुछ भी कहा हो, उन सारी चीजों को भूलकर हम आज विदा हो रहे हैं तो अच्छी स्मृति लेकर बिदा हों तो अच्छा है । अब तक हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जितना प्रयत्न हम कर सकते थे वह प्रयत्न हमने किया । यह स्मृति अच्छी स्मृति हो सकती है जिसे दिल में लेकर हम जायेंगे । कटुताओं की स्मृति को भूल जाना चाहिए, अच्छी स्मृतियों को दिल के अन्दर रख कर जाना जरा उपयुक्त होता है । यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं समझता हूं कि जो दो तीन बातें मैंने कही हैं उनसे माननीय सदस्य सहमत होंगे । इस वक्त जब कि हम बिछुड़ रहे हैं, कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले पांच सालों में राजस्थान में जो भी कार्य किया और जो सबसे पहले यहां पर जनतन्त्र के परीक्षण का अवसर मिला था उसके अन्दर जितना सहयोग और असहयोग सबने मिला कर दिया, सबने जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किया । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(करतल-ध्वनि)

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, पिछली बार वैसे तो मैंने विरोधी दल की ओर से निवेदन कर ही दिया था और यह भी मैंने तो आशा जाहिर की थी कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन जो सौभाग्य हमें इस बार मिलने का प्राप्त हुआ है और सम्भवतः यह नहीं होगा कि हम आगे भी इसी तादाद में यहां जो इस वक्त हैं, फिर मिल सकें । लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय की एक बात से सहमत हूँ कि विधान सभा में आना ही केवल सेवा का रास्ता नहीं है, इसके अतिरिक्त भी रास्ते हैं और इसलिये हमारे बहुत से सदस्यों को जो इस बार विजयी नहीं होकर आये हैं, फिर भी उनके सामने केवल विधान सभा ही सेवा का रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी रास्ते हैं और बाहर रह कर, मेरे ख्याल से, वे बहुत सेवा कर सकते हैं । मैं विश्वास करता हूं कि इस बार नहीं तो अगली बार भी वे अपनी सेवाओं का मूल्य जनता से प्राप्त कर सकेंगे और उनको दूसरी प्रकार की सेवायें करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा । जो कार्य आज से पहले पांच वर्ष में हमने किये हैं, सम्भवतः उनमें कई समय ऐसे भी आये होंगे जब आपस में शब्दों में आदान-प्रदान कुछ तेजी से भी हुआ है लेकिन मैंने पहले भी बताया, अध्यक्ष महोदय, कि यह सब कुछ हुआ कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर और

Page No.69

[श्री तनसिंह]

विचारों को अपने ढंग से रखने, अपने विचारों में आस्था रखने, अपने विचारों में विश्वास रखने के कारण जो कटुता बढ़ी है तो वह उद्देश्य की उच्चता को देखते हुए क्षम्य है और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ घटना पीछे घटित हुई है, पहले जो कुछ भी हो चुका है, उसे भूल कर हमने जो कुछ भी कार्य किये हैं उससे भी आगे बढ़ कर आगे भविष्य में काम करेंगे और इस प्रकार राजस्थान की खुशहाली के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक इतिहास निर्माण करने में पृष्ठ पर पृष्ठ जोड़ते रहेंगे। इस अवसर पर मुझे इससे अधिक नहीं कहना है। मैं आने वाली विधान सभा, जो इस विधान सभा के न आने वाले सदस्य हैं, उनके प्रति सहानुभूति प्रगट करता हूं और आने वालों से आशा करता हूं कि वे हमारे इस प्रदेश को तरक्की, आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे और जो कुछ उदाहरण हमने रखे हैं, उससे भी आगे बढ़ कर उदाहरण जनता और लोगों के सामने रखेंगे।

मैं आपको पुन: धन्यवाद दूंगा कि इस कार्य-काल में आपने हमारा पथप्रदर्शन किया और हम लोगों को समान अवसर देकर जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा कायम की। मैं इन शब्दों के साथ फिर धन्यवाद देता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान की पहली विधान सभा के कार्यकाल के पांच वर्ष समाप्त हो रहे हैं और आज हम सदन में इस सत्र के आखिरी दिन मिल रहे हैं। पिछले ५ वर्षों की कार्यवाही का एक छोटा सा सिंहावलोकन अक्टूबर मास में मैं कर चुका हूं। उसके बाद अजमेर राज्य राजस्थान में सम्मिलित हुआ और इसके पश्चात् दो सत्र और हुए, जिनमें कुल १३ बैठकें हुईं, इनमें २१ विधेयक प्रस्तुत किए गए जो पारित भी हुए। सारे समय में सदन की लगभग ३०० बैठकें हुईं। इन बैठकों में लगभग ७५०० प्रश्न सूचनार्थ सदस्यों ने पूछे। कुल १८१ बिल सरकार की ओर से सदन में प्रस्तुत हुए जिनमें से १६५ अधिनियम बन कर पारित किये गये तथा २ अशासकीय बिल भी पास हुए। शेष सात विचाराधीन रहे या वापिस ले लिये गये। सदन की पब्लिक अकाउन्ट्स और एस्टीमेट्स कमेटियों ने ४ तथा ७ रिपोर्ट्स क्रमशः प्रस्तुत कीं, ३ रिपोर्ट्स प्रिविलेजेज़ कमेटी ने प्रस्तुत कीं।

जो दिलचस्पी माननीय सदस्य इस विधान सभा के कार्यों में लेते रहे हैं वह इस बात की द्योतक है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के अभाव-अभियोगों की चिन्ता रखते रहे हैं और जनतन्त्र के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में उन्होंने सहयोग दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने, चाहे वे किसी भी दल के हों, बड़ी सहिष्णुता और सद्भावना से सदन की उच्च परम्पराओं को कायम रखा है।

[श्री अध्यक्ष]

यह हमारा परम सौभाग्य रहा है कि जनतंत्र के प्रारम्भिक वर्षों में काफी अच्छे वातावरण में हम लोगों ने सारे वाद-विवाद किये और इस सदन में सन्तुलन बनाये रखा जिसके बिना हमारे लिए सफलता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं यह एक बड़े हर्ष व गर्व का विषय है कि जितने भी नेता इस सदन में आए सभी की अध्यक्ष पद के प्रति जागरूकता रही। इसके लिए मैं विशेष रूप से सबको कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार मैं राजकीय सचिवालय की तत्परता तथा सहयोग की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने सदैव सूचनाएं उपलब्ध करने तथा हमारे कार्य को सफल बनाने में विशेष रूप से प्राक्कलन तथा जनलेखा समिति के सम्बन्ध में, संतोषप्रद योग दिया है। अपने विधान सभा के सचिवालय के कर्मचारियों ने भी मुझे पूर्ण संतोष दिया है। यहां के कर्मचारियों ने बड़े परिश्रम से गत पांच वर्षों में अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और अत्यन्त श्रद्धा और स्नेह की भावना से सारे कार्यों को सुचारुरूप से चलाने में एक ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किया है और यहां तक कि मैं उन्हें अपने परिवार का ही एक अंग समझने लगा हूं।

इस सदन का जो वर्तमान स्वरूप हमारे अजमेर के विधान सभाई सदस्यों के सम्मिलित होने के बाद हुआ है वह भी बड़े संतोष का विषय है। मुझे हर्ष है कि उन्होंने हमारे वाद-विवाद के स्तर को ऊंचा रखने व कार्य संचालन में प्रशंसनीय योग दिया है। मैं सभी सदस्यों को पुनः एक निवेदन करना चाहूंगा, जो यह है कि मेरे निर्णयों से अथवा अनुशासन के हित में किंचित व्यवहार से किसी अवसर पर अथवा विशेष परिस्थिति के कारण सम्भव है कोई आघात पहुँचा हो। इस सम्बन्ध में मेरे लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मेरी किसी के प्रति कभी कोई कुभावना नहीं रही है, चाहे वे बाईं तरफ बैठने वाले हों चाहे दाहिनी तरफ। मेरा लक्ष्य कटुता को परे रखते हुए जनतन्त्र को विकसित करने का ही रहा है और इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने कार्य किया है और अपने निर्णय लिये हैं। सदस्यों ने बिना किसी आपत्ति के उन्हें शिरोधार्य करके माना है इसका मुझे गर्व है और मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

जनतन्त्र के पवित्र मन्दिर के लिए यह बहुत बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही सहयोग, संयम तथा अनुशासन शीलता का परिचय देंगे और सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहेंगे। आज हम लोग विदा हो रहे हैं। इस सदन के अधिकांश सदस्य द्वितीय चुनावों के बाद पुनः यहां नहीं आ रहे हैं और हमें उनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ इस सदन में नहीं मिल सकेगा, इसका मुझे खेद अवश्य है, किन्तु साथ ही विश्वास है कि वे अन्य क्षेत्रों में देश की सेवा करेंगे और जनतन्त्र को दृढ़ बनायेंगे। सदन में उनके स्थान पर अब बहुत से नये सदस्य

[श्री अध्यक्ष]

आने को हैं जिनसे हमें नया बल और नयी प्रेरणा मिलेगी। निस्सन्देह हमारे नवनिर्मित कल्याणकारी राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी और हम सब देशवासियों को पूर्ण सुख और शान्ति प्राप्त होगी।

मैं इसी शुभ कामना को लेकर आप सबका पुनः अभिनन्दन करता हूं और एक बार फिर अपने प्रति स्नेह व सद्भावना के लिए आभार प्रगट करता हुआ जनकल्याण की शुभ कामना करता हूं।

जयहिन्द।

(करतल-ध्वनि)

सदन की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक २१-३-५७ को मध्यान्ह पश्चात् १२ बजकर २२ मिनिट पर समाप्त हुई तथा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२१ मार्च, १९५७,

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।